खण्ड-240, अंक-7
सोमवार, 27 फाल्गुन, शक संवत् 1884
(18 मार्च, 1963 ई0)

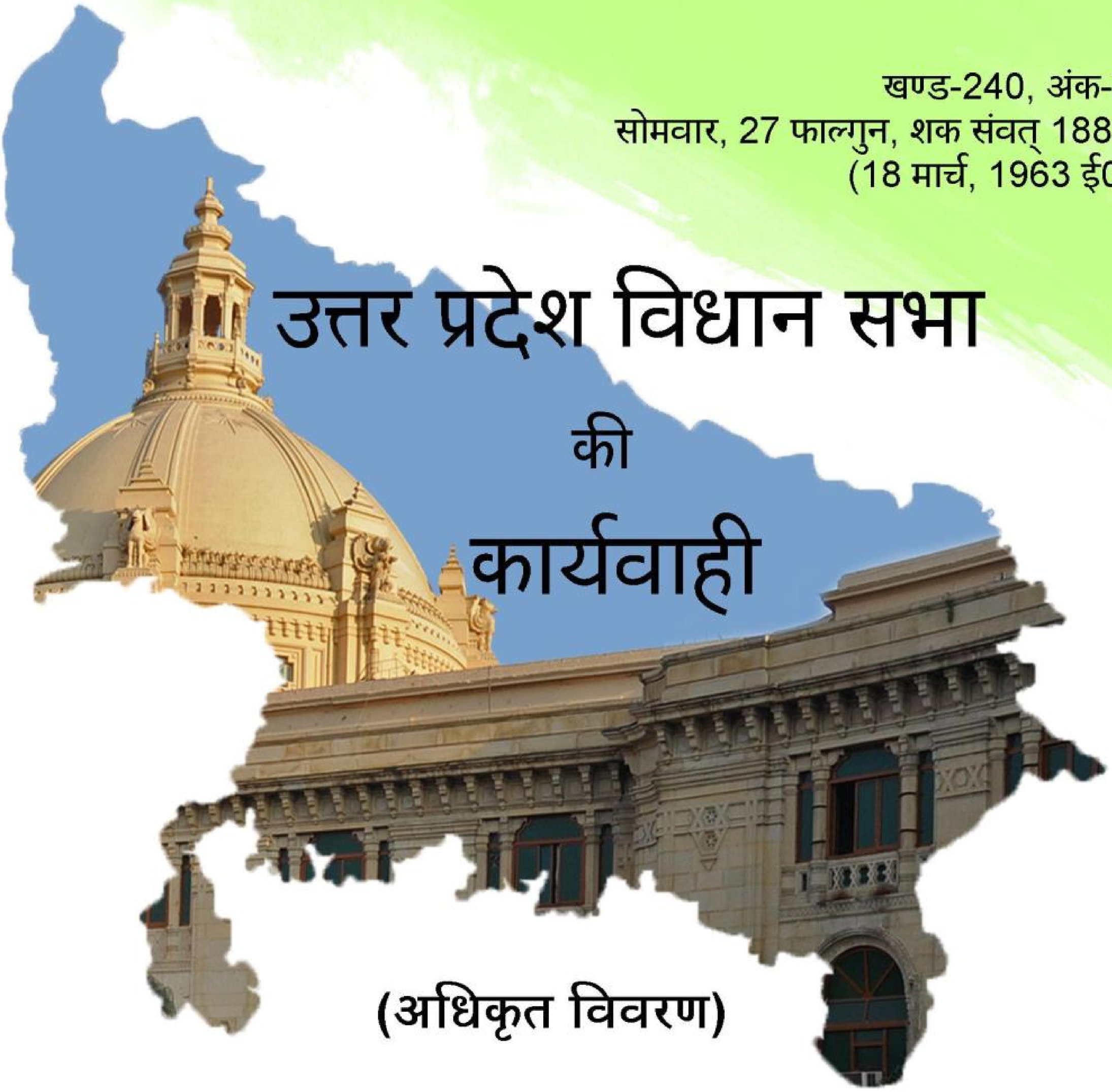

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 240 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	५६१–५६५
लखनऊ में औद्योगिक प्रदर्शनी के 'मां की पुकार' कक्ष में आपत्तिजनक ज्ञापनों पर रोक लगाने के लिये श्री राज्यपाल द्वारा जारी किये गये कथित आदेश के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	५६५–५६६
प्रश्नोत्तर	५६६–५९७
प्रश्नों के स्थगन पर आपत्ति	६९७–५९८
उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका सेवा नियमावली, १९६२ का शुद्धि-पत्र (सदन की मेज पर रखा गया)	५९८
लखनऊ में औद्योगिक प्रदर्शनी के 'मां की पुकार' कक्ष में श्री झारखंडेराय के सम्बन्ध में कथित असत्य चित्रण तथा कथन के विषय पर प्रदर्शनी के आयोजकों एवं संगठनकर्ताओं के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट) ..	५९८–५९९
लखनऊ में औद्योगिक प्रदर्शनी के 'मा की पुकार' कक्ष को पुलिस द्वारा हटाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (जारी) ..	५९९–६०१
गोरखपुर जिलान्तर्गत महराजगंज में स्थित गणेशशंकर विद्यार्थी स्मारक इंटर कालेज में १५ मार्च, १९६३ की घटी घटना के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	६०२
लखनऊ में औद्योगिक प्रदर्शनी के 'मां की पुकार' कक्ष को पुलिस द्वारा हटाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	६०२–६०३
विभिन्न समितियों के निर्वाचन का परिवर्तित कार्यक्रम	६०३
एडवर्ड सप्तम सेनिटोरियम, भुवाली की कार्य परामर्शदात्री समिति के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	६०४
कतिपय विषय के सम्बन्ध में जानकारी	६०५
१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या २९––समाज कल्याण (स्वीकृत)	६०५
अनुदान संख्या ८––राज्य विधान मंडल (स्वीकृत)	६०५–६०६
अनुदान संख्या २७––सूचना निदेशालय (स्वीकृत)	६०६
अनुदान संख्या २८––अनुसूचित और पिछड़ी हुयी जातियां (स्वीकृत) ..	६०६–६५३
नत्थियां	६९४–६६२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १८ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३२५

अक्षयवरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैय्यद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेध्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदरनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंग प्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री

गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त मिश्र, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री

बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरमसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद श्री
माधोनारायण मुद्गल,, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुक्मसिंह राठौर, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपाल सिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री

हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री, नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा लघु उद्योग उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

लखनऊ में औद्योगिक प्रदर्शनी के 'मां की पुकार' कक्ष में आपत्तिजनक ज्ञापनों पर रोक लगाने के लिये श्री राज्यपाल द्वारा जारी किये गये कथित आदेश के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक कान्स्टीट्यूशनल प्वाइंट आफ आर्डर है । सदन की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व मैं बताना चाहता हूं कि यह सरकार जो यहां बैठी हुई है, वह यहां बैठने के योग्य नहीं है, वह सरकार है ही नहीं ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी तो क्वेश्चन आवर शुरू भी नहीं हुआ है . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

उनका भी एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रामायणराय—

श्रीमान्, क्या जब तक सदन की कार्यवाही शुरू न हो, व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

वे कहते हैं कि यह सरकार ही प्रापरली कान्स्टीट्यूटेड नहीं है ।

श्री नरसिंह नारायणपांडेय—

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि सरकार प्रापरली कांस्टीट्यूटेड नहीं है । आप 'स्वतंत्र भारत' अखबार को देखें । उस अखबार में यह लिखा है कि राज्यपाल महोदय ने एक आर्डर भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दिया और वह यह है कि 'मां की पुकार' नामक पैविलियन को बंद कर दिया जाय । मेरा कहना यह है कि भारतीय विधान के अन्तर्गत यह गवर्नमेंट का कर्त्तव्य है कि वह गवर्नर महोदय को एडवाइस करे लेकिन इस केस में गवर्नमेंट ने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है, तो गवर्नमेंट के अपनी ड्यूटी को प्रापरली फंक्शन न करने के कारण राज्यपाल महोदय को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आर्डर देना पड़ा ।

श्री रामायणराय—

श्रीमन्, इस प्रकार का तो कोई सवाल क्वेश्चन आवर के बाद ही उठाया जा सकता था ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, आप पहले मेरा प्रोपोजीशन सुन लें । श्रीमन्, जब इस गवर्नमेंट ने अपने कर्त्तव्य का पालन ही नहीं किया है । यह गवर्नमेंट ही नहीं है तो यह सदन किस के प्रति जिम्मेदार है ? इसको बरखास्त कर दिया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

अगर इस गवर्नमेंट में राज्यपाल महोदय का कान्फीडेंस न होता तो राज्यपाल महोदय इसको स्वयं डिसमिस कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है इसलिये मैं यह समझता हूं कि या तो राज्यपाल महोदय ने मंत्रिमंडल की एडवाइस पर ऐसा किया है अथवा अपने अधिकारों का प्रयोग करके ऐसा किया है जो उनको प्राप्त हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, यह आदेश सरकार की तरफ से नहीं बल्कि राज्यपाल महोदय की ओर से दिया गया है।

श्री रामायणराय--

श्रीमन्, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न रखा था और आपने दूसरा प्रश्न सुन कर अपने आदेश भी दे दिये। क्वेश्चन आवर श्रीमन्, अपोजीशन का एक खास समय होता है।

श्री अध्यक्ष--

फिर आप और समय क्यों ले रहे हैं?

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १८ मार्च, १९६३

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

मुरादाबाद के बेलदारान मुहल्ले में कथित मस्जिद की तामीर पर एतराज

*१--श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित) तथा श्री खेमचन्द (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शहर मुरादाबाद, मोहल्ला बेलदारान में बिल्कुल लबे सड़क कायदा और कानून से कतई खिलाफ हजरत मौलाना नईमुद्दीन साहब मरहूम व मगफूर की मस्जिद से सिर्फ चालीस कदम के फासले पर बेलदारान लोग जहां इर्द-गिर्द तमाम मुसलमान आबाद हैं कोई मन्दिर तामीर कर रहे हैं?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--

जी नहीं।

*२--श्री हलीमुद्दीन (अनुपस्थित) तथा श्री खेमचन्द (अनुपस्थित)--

क्या इस वजह से वहां की आबादी में सख्त इस्तराब व हैजान फैला हुआ है और झगड़ा होने का अन्देशा है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--

प्रश्न नहीं उठता।

*३--श्री हलीमुद्दीन (अनुपस्थित) तथा श्री खेमचन्द (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मन्दिर मजकूरा बाला की तामीर म्युनिसिपल बाईलाज के बिलकुल खिलाफ की जा रही है और आफिसर इन्चार्ज साहब म्युनिसिपल बोर्ड, मुरादाबाद ने महज पन्द्रह रुपये तावान डाल कर तस्फिया कर लिया है और मंदिर की तामीर की इजाजत दे दी है? अगर यह सब सही है, तो सरकार इस सिलसिले में क्या, कार्यवाही कर रही है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर जेल से बन्दी, देवदत्त दीक्षित की शिकायत

*४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतलायेंगे कि देवदत्त दीक्षित, कैदी फांसी, जिला जेल, सीतापुर ने जिन्होंने राष्ट्रपति से अपनी सजा की क्षमा याचना का प्रार्थना पत्र दिया है, शिकायती पत्र भेजे हैं कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी सम्पत्ति हड़पने के लिये उनके स्थान पर गांव वालों ने अपने नाम जायदाद पर चढ़वा लिये हैं ? यदि हां, तो वह शिकायतें क्या हैं तथा सरकार ने उन पर कौन सी कार्यवाही की ?

कारागार राज्य मंत्री (श्री गोविन्दसहाय)—

जी हां, बन्दी, देवदत्त दीक्षित ने कुछ शिकायती पत्र जिला जेल, सीतापुर के अधीक्षक को दिये। उनमें उन्होंने अपनी स्त्री व बच्चों को पुलिस द्वारा परेशान करने तथा अपनी जमीन पर दूसरों का कब्जा किये जाने की शिकायत की थी।

शिकायती पत्रों को अधीक्षक, जिला जेल, सीतापुर ने संबंधित अधिकारियों को उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

अम्बारा सड़क, बरौंछा पुल बन्द होने से कठिनाई

*१—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वन विभाग, दक्षिणी खीरी, जिला खीरी द्वारा अम्बारा रोड तथा बरौंछा पुल, जो एक मात्र परम्परागत यातायात संबंधी साधन था बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

वन मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

जी नहीं। अम्बारा रोड तथा उस पर स्थित बरौंछा पुल वन विभाग का निजी मार्ग है। इस मार्ग पर यातायात कभी बन्द नहीं किया गया। जिन लोगों के पास वन विभाग द्वारा दिये गये आज्ञा पत्र मौजूद हैं उनको उक्त मार्ग पर यातायात में कोई बाधा नहीं होती।

*२—श्री छेदालाल चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त कथित सड़क तथा पुल के वन विभाग द्वारा बन्द कर दिये जाने पर प्रभावित किसानों तथा फार्मर्स ने संबंधित अधिकारियों की सेवा में अपनी कठिनाइयों का कोई (रिप्रेजेन्टेशन) प्रतिनिधित्व भी किया है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी हां, अम्बारा की ओर रहने वाले कुछ फार्मर्स ने वन अधिकारियों के समक्ष अपनी गन्ने से भरी भारी ट्रकों को ले जाने के संबंध में एक (रिप्रेजेन्टेशन) प्रतिनिधित्व किया था। उस पर विचार करने के बाद यह तय किया गया कि बरौंछा पुल जो लकड़ी का बना हुआ है जिस पर गन्ने से भरी ट्रकें ले जाने से पुल टूटने का भय है, उसको इतना मजबूत कर दिया जाय कि गन्ने से भरी हुई ट्रक उस पर बिना खतरे के चल सके। गोला गन्ना यूनियन ने इस कार्य के लिये २०,००० रुपया देने का वादा किया था पर यूनियन ने अभी तक २०,००० रुपया नहीं दिया।

*३—श्री छेदालाल चौधरी—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त रोड पर लालहापुर से पुनर्भू-ग्रान्ट तक करीब १ मील ग्राम समाज पुनर्भू-ग्रान्ट की सड़क खोद करके विभागीय रोड बना ली गयी है और ग्राम समाज की रोड समाप्त कर दी गयी है तथा उक्त ग्रन्ट के लोगों के पशुओं, बैलगाड़ियों को उसके उपयोग से वंचित कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

इस मार्ग की जमीन सन् १९३७, ३८ में उसके मालिकों द्वारा वन विभाग को सौंप दी गई थी तब से यह मार्ग वन विभाग के स्वामित्व में है। वन विभाग द्वारा उस पर मोटर तथा बैल गाड़ी के लिये अलग-अलग मार्ग बनाये गये हैं और गांव वालों की अपने पशुओं तथा बैलगाड़ियों को उक्त सड़क से ले जाने में कोई प्रतिबंध नहीं है।

श्री छेदालाल चौधरी--

क्या वन मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि २६ दिसम्बर से वन अधिकारी, खीरी ने इस रोड को बन्द कर दिया है और इस संबंध में वन अधिकारी और मंत्री जी को खुद वहां के फार्मर्स यूनियन ने टेलीग्राम दिया है? यदि हां, तो क्या मेरी इस जानकारी को सही मान कर वे इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे?

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)--

इस तरह का कोई तार या कोई रेप्रेजेंटेशन अभी तक इस बीच में आया नहीं है। कुछ दिन पहले यह मांग की गयी थी कि गन्ने से लदे हुए ट्रकों को उस मार्ग से आने दिया जाय। उस संबंध में वहां के डी० एफ० ओ० और अरण्यपाल से उन लोगों ने बातचीत की और यह निश्चय किया गया कि पुल को मजबूत बनाने के लिये अगर यूनियन २० हजार रुपया दे देगी तो ट्रकों के आने जाने में सुविधा होगी, अन्यथा जो दूसरा रास्ता है, यद्यपि वह भी कच्चा ही रास्ता है वह बैल-गाड़ियों के लिये रह जायगा। मगर पुल जब तक मजबूत न बन जाय तब तक इस रास्ते से ट्रकों का आना जाना संभव नहीं होगा।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

सबन्धित पुल से भारी ट्रकों का ले जाना तो मना कर दिया गया है, लेकिन क्या बैल-गाड़ियों का जाना भी बन्द है?

श्री अलगूराय शास्त्री--

उस पुल से गन्ने से लदी हुई बैल गाड़ियां भी नहीं आ सकतीं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बताया कि विभाग ने यूनियन से पुल को मजबूत बनाने के लिये २० हजार रुपया लेने का निश्चय किया, तो क्या इसकी सूचना यूनियन को दी गयी? यदि हां, तो यूनियन ने उसका क्या जवाब दिया?

श्री अलगूराय शास्त्री--

यूनियन से मिल कर बातचीत हुई, उनका ही तो प्रस्ताव था। उसको वे खूब अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री छेदालाल चौधरी--

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि गोला-अलीगंज रोड से कालीचरण-पुरवा और लालहापुर के पास कैनाल के एप्रोच पर गोला-अम्बारा रोड और गोला-अलीगंज रोड जो दो पैरेलल रोड्स हैं, उनमें से एक को निजी सड़क और दूसरी को सार्वजनिक रोड घोषित करने की कृपा करेंगे?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

जिन दो सड़कों का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, उन दो सड़कों के नाम लेकर तो हमारे पास कोई सूचना है नहीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग अगर खुद इन सड़कों को लेना चाहता है तो हमें तो कोई एतराज है नहीं। लेकिन जब तक सुरक्षित बन के अन्दर यह सड़क है तब तक उस पर वन विभाग का ही अधिकार होता है और किसी निश्चित प्रयोजन के लिये ही है।

श्री रामभजन (जिला खीरी) --

क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि मन्त्री जी ने बताया कि पुल कमजोर होने के कारण उस पर ट्रक्स की इजाजत नहीं है लेकिन क्या यह सही है कि इस साल भी ट्रक्स के लिये परमिट विभाग की तरफ से दिये गये हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

यह सही है। लेकिन परमिट इस आश्वासन पर दिया गया है कि गन्ना यूनियनें २० हजार रुपया देंगी लेकिन अफसोस है कि अभी तक उन की तरफ से शर्त पूरी नहीं की गई है और अब दोबारा इस कारण से मजबूरन बन्द करना होगा।

रामपुरा क्षेत्र के फारेस्ट गार्ड के खिलाफ शिकायत

*४--श्री विजयसिंह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)--

क्या वन मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि जालौन जिले के रामपुरा ब्लाक के वन क्षेत्र में फारेस्ट गार्ड के खिलाफ ब्लाक अध्यक्ष तथा अन्तरिम जिला परिषद् अध्यक्ष ने क्या-क्या शिकायतें जनवरी, १९६२ के बाद भेजी और सरकार उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अलगूराय शास्त्री --

रामपुरा बीट के फारेस्ट गार्ड के खिलाफ ब्लाक अध्यक्ष या अध्यक्ष, अन्तरिम जिला परिषद् जालौन, से १ जनवरी, १९६२ के बाद कोई शिकायत नहीं आई थी। एक्जीक्यूटिव अफसर, अन्तरिम जिला परिषद्, जालौन, द्वारा एक शिकायती पत्र अक्तूबर, १९६२ में आया था जिसमें फारेस्ट गार्ड के खिलाफ एक आम शिकायत की गई थी कि वह वहां की जनता को परेशान करता है और रिश्वत लेता है। विभागीय जांच में शिकायतें गलत निकलीं।

देवरिया जिले में सस्ते अनाज के दुकानदारों का बकाया

*५--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला के प्रत्येक सस्ते गल्ले के दूकानदारों का कितना-कितना रुपया १ जनवरी, १९६३ तक भाड़ों का बाकी है और कब से बाकी है तथा कितना रुपया ऐसे लोगों का बाकी है जो इस समय सस्ते गल्ले के दूकानदार नहीं हैं ? क्या सरकार ऐसे दूकानदारों की एक लिस्ट सदन की मेज पर रखेगी ? अब तक भुगतान न हो सकने का क्या कारण है ? क्या एक माह के अन्दर भुगतान कराने की व्यवस्था होगी ?

रसद मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी) --

वांछित सूचना संलग्न सूचियों† में दी हुई है।

भाड़ों के बिल प्राप्त होने पर उनकी जांच जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय लेखाधिकारी गोरखपुर तथा सम्बन्धित सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर द्वारा की जाती है। यदि बिलों में कोई गलती पाई जाती है तो उन्हें दूकानदार को ठीक करने के लिये वापस करना पड़ता है। अक्सर इस सब कार्यवाही में देर हो जाने से बिल प्री आडिट के लिये एकाउन्टेंट जनरल, इलाहाबाद को भेजने पड़ते हैं। वहां भी समय लगता है। जब बिल वहां से पास होकर आते हैं तब भुगतान किया जाता है। इन पूर्वोक्त कारणों से भुगतान में देर होती है।

एक माह के अन्दर भुगतान होना कठिन है परन्तु यह प्रयत्न किया जायगा कि भुगतान शीघ्र से शीघ्र हो जावे।

---

†सूचियां छापी नहीं गईं।

गोरखपुर तथा अन्य बाढ़ क्षेत्रों में रिलीफ शाप्स

*६--श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर) --

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के बाढ़ क्षेत्रों में प्रत्येक जिले में गत बाढ़ के बाद कितनी रिलीफ शाप्स खुलीं जो चल रही हैं तथा उन पर ३१ जनवरी, १९६३ तक कुल कितना रुपया सरकार का व्यय हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी --

कुल ६३१ रीलिफ शाप्स खोली गईं और उन पर ३१ जनवरी, १९६३ तक १५,२५,८०२.४४ रुपया व्यय हो चुका है, जिसका ब्योरा सूची १ में संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६५४ पर)

*७--श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जिले में किन-किन स्थानों पर नयी रिलीफ शाप्स खुली हैं तथा उनके खोलने का सुझाव किन-किन अधिकारियों ने दिया है और उसके अनुसार कितनी दुकानें खोलना बाकी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी --

जिन-जिन स्थानों पर नई रिलीफ शाप्स खोली गई हैं उनकी सूची २ संलग्न है । इन दूकानों के खोलने का सुझाव बी० डी० ओ०, तहसीलदार, ए० डी० ओ०, ब्लाक प्रमुख तथा एम० एल० ए० इत्यादि ने दिया था । अब कोई भी दूकान खोलनी शेष नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६५५ पर)

श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या रसद मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि तालिका में बलिया में लिखा है ४,४४,७०० रुपया, देवरिया में ४,१०,६५२ रुपया गोरखपुर में २,५८,३७२ रुपया खर्च हुआ है जब कि दूकानें बलिया में ३०, देवरिया में २०० और गोरखपुर में १९२ खुली हैं, तो इन दूकानों की संख्या अधिक और रुपये के खर्च में कमी का कारण क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी --

यों तो जिलाधीशों को अधिकार है कि वह अपने यहाँ चाहे जितनी दूकानें खोलें, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस जिले में और जिलों की बनिस्बत बाढ़ क्षेत्र के कारण कम रहा होगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह --

श्रीमन्, मैंने जानना चाहा कि देवरिया में २०० दूकाने हैं और खर्च ४,१०,६५२ रुपये का, बलिया में ३० दूकानें हैं और खर्च ४,४४,७०० रुपये का, गोरखपुर में १९२ दूकानें हैं खर्च २,५८,३७२ रुपये का है और आजमगढ़ में १४७ दूकानें हैं और खर्च ३,३८,१८४ रुपये का है तो जहां दूकानें अधिक संख्या में खुली वहां खर्च कम हुआ और जहां कम खुलीं वहां अधिक, तो इसका कारण क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

लोगों ने खर्च कम किया होगा और कारण क्या हो सकता है ।

श्री कल्पनार्थसिंह --

क्या मन्त्री जी को सूचना है कि कितना गल्ला किस-किस जिले में उठाया गया और उन जिलों में अलग-अलग बाढ़ क्षेत्र कितना रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी --

इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी । जितनी बात प्रश्न में पूछी गई थीं उसी का जवाब दे दिया गया है ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया) --

इस बात को देखते हुये कि बलिया में ३० दूकानें खुलीं और ४,४४,००० रुपया का गल्ला बिक्री हुआ इस के माने यह है कि वहां गल्ले की ज्यादा आवश्यकता थी और खपत अधिक हुई बाढ़ के कारण से, तो क्या मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि वहां आवश्यकता से कम दूकानें खोली गईं और क्यों कम खोली गईं जब कि वहां ज्यादा गल्ले की आवश्यकता थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी --

यह दूकानें बाढ़ क्षेत्र में खोली गईं और उनमें कहीं २ मन उठाया गया और कहीं २५ मन उठाया गया, यह कोई दलील नहीं है। जितनी आवश्यकता थी लोगों ने लिया।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय --

मन्त्री जी बतायेंगे कि जो गल्ला कम उठा है उसका एक कारण यह भी है कि वहां के लोगों के पास गल्ला ठीक से नहीं पहुंच पाया है और लोगों ने इसकी शिकायत भी खाद्य मन्त्री से की कि स्थानीय केन्द्रों से गल्ला दूसरी जगह चला जा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी --

मुझ से तो वहां के लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा है, ३ सेर का गेहूं सरकार दे रही है।

श्री रामायणराय --

जहां गल्ला कम उठा है वहां का इस्टैब्लिशमेंट का खर्चा ज्यादा है और जहां ज्यादा उठा वहां कम है, यह उन्होंने किस आधार पर कहा ? आप देखें जो उत्तर दिया गया जिन जिलों में कम दुकानें खुलीं वहां तो इस्टैब्लिशमेंट चार्ज बहुत ज्यादा है और जहां ज्यादा दुकानें खुलीं वहां कम पैसा खर्च हुआ है, इसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी --

इस्टैब्लिशमेंट का मैंने जिक्र भी नहीं किया। मैंने कहा इतना रुपया रिलीफ में, ब्लिसडाइज्ड रूप में दिया है।

श्री अध्यक्ष --

माननीय मन्त्री जी ! प्रश्न संख्या ७ के बारे में क्या आपने यह दिखाया है कि इस्टैब्लिशमेंट का खर्चा कितना हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी --

इसमें इस्टैब्लिशमेंट का कोई खर्चा नहीं दिखाया गया है।

श्री अध्यक्ष --

उनका प्रश्न यह है कि जो दिखाया है उसको एक्सप्लेन कर दीजिये कि जहां कम दुकानें खुली हैं वहां पर इस्टैब्लिशमेंट का खर्चा ज्यादा दिखाया।

श्री जगमोहन सिंह नेगी --

इस्टैब्लिशमेंट का इसमें खर्चा ही नहीं है यह तो प्राइवेट दुकानदार होते हैं।

श्री रामायणराय --

मान्यवर, प्रश्न यह है कि १९६३ तक कुल कितना रुपया सरकार का व्यय हुआ, इसका उत्तर दिया मन्त्री जी ने। तो सरकार का रुपया इस्टैब्लिशमेंट में खर्च हुआ या किसी और मद में खर्च हुआ ?

श्री अध्यक्ष --

यह तो बता दिया।

श्री कल्पनाथसिंह --

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में अधिक दूकान होते हुये जो कम खर्चा दिखाया गया उसका यह कारण है कि सरकार के आदेशानुसार गोरखपुर की फेयर प्राइस शाप्स बन्द कर दी गई थीं और उनको गल्ला नहीं उठाने दिया गया था इसलिये यह खर्चा कम आया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी --

आप उसमें देखिये इतना कम गल्ला बिका। जितने आदमियों ने सामान लिया वह है। हमने तो जिला मैजिस्ट्रेट को अधिकार दे दिया था कि १९० के बजाय ४०० खोल लें तो इसकी इजाजत है।

श्री कल्पनाथसिंह --

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ७ के बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछने दें।

श्री अध्यक्ष --

आप अगर सन्तुष्ट नहीं हैं तो नियम ५० में दे दें, उसको देख लेंगे।

*८-९--श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर) --

[२७ मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न संख्या १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

वन लगाने वाले टांगिया किसान

*१०--श्री नरसिंहनारायण पांडेय --

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किन किन वन विभागों में टांगिया किसानों द्वारा जंगल लगाया जाता है ? कुल टांगिया किसानों की संख्या क्या है तथा उनको सरकार की ओर से क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल --

उत्तर प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी व भूमि प्रबन्धक वृत्तों के कुछ वन खंडों में टांगिया किसानों द्वारा जंगल लगाया जाता है। कुल टांगिया किसानों की संख्या वन विभाग के वन खंडों में निम्नलिखित है :--

क्रम-संख्या	वन खंड का नाम			टांगिया काश्तकारों की संख्या
१	दक्षिणी खीरी	..	..	४३
२	दक्षिणी गोंडा	..	..	२५०
३	उत्तरी गोंडा	..	..	४३६
४	बहराइच	..	..	१,९००
५	गोरखपुर	..	..	१,९५०
६	सहारनपुर	..	..	८९२
७	रामनगर	..	..	१३०
८	देहरादून	..	..	२०
९	बुन्देलखंड	..	..	२५
१०	उत्तरी दोआब	..	..	२००
११	ब्रजभुमि	..	..	११९
१२	दक्षिणी दोआब	..	..	७
		कुल योग	..	५,९७२

टांगिया काश्तकारों को वन विभाग द्वारा निम्नलिखत सुविधायें प्राप्त होती हैं :

(१) टांगिया वाले स्थान में उन्हें १ से ४ साल तक मुफ्त खेती करने की सुविधा दी जाती है और उपज उनकी ही होती है ।

(२) पीने के पानी का प्रबन्ध विभाग द्वारा टांगिया क्षेत्र में हैंड पाइप लगाये गये हैं।

(३) छप्पर बनाने के लिये लकड़ी तथा घास, जलाने के लिये ईंधन तथा सिंचाई के लिये छीप खम्भे मुफ्त दिये जाते हैं ।

(४) मवेशियों को निःशुल्क चरने दिया जाता है ।

(५) मुफ्त दवा बांटी जाती है ।

(६) जो टांगिया काश्तकार नहरों के किनारे जंगलों में भूमि प्रबन्धक वृत्त में बसे हैं उन्हें सिंचाई के लिये नहर विभाग द्वारा भी सुविधा दी जाती है।

(७) विभाग में कहीं कहीं पर प्राइमरी स्कूल भी खोले गये हैं जहां टांगिया काश्तकारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है और पुस्तकें तथा लिखने की सामग्री आदि भी मुफ्त दी जाती हैं ।

*११--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या वन मन्त्री कोई एक कमेटी इन टांगिया किसानों की दशा की जांच हेतु बनाने पर निकट भविष्य में विचार कर रहे हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

जी नहीं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या वन मन्त्री बतलायेंगे कि जो सुविधायें दी गयी हैं उनके बाद भी टांगिया किसान जो जंगल लगाते हैं और बीज खरीद कर बाहर से ले आते हैं जंगल लगाने के लिये उनके बारे में क्या सुविधा देने के लिये सरकार ने सोचा है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल --

माननीय सदस्य का सवाल अगर यह है कि जंगल लगाने के लिये बीज वह बाहर से खरीद कर लाते हैं तो मेरी सूचना के अनुसार यह सही नहीं है। जंगल लगाने के लिये पद्धति यह होती है कि बीज जंगल विभाग ही देता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

माननीय मन्त्री ने जैसा कहा कि उनको खेत दिये जाते हैं और उस खत में उनको हक है कि अपनी उपज करके सामान उनमें पैदा करें तो क्या माननीय मंत्री फिर से जांच करावेंगे कि जो खेत दिये जाते हैं टांगिया किसानों को उन में जो गल्ला पैदा होता है वहां के फारेस्टर तथा रेंजर उसमें भाग लेते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

टांगिया का मतलब यह है कि भूमि दी जाती है आदमियों को वृक्षारोपण के लिये और जब तक वह वृक्ष बड़े नहीं होते और वह भूमि जंगल की सूरत प्राप्त नहीं करती तब तक वह खेती कर सकते हैं। माननीय मन्त्री जी यह कह रहे हैं कि वहां पर करप्शन है, वहां के फारेस्टर्स तथा रेंजर्स कुछ ले लेते हैं तो ऐसी सूरत में माननीय मंत्री जी का क्या कहना है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

ऐसी कोई सूचना नहीं है। यह मुमकिन भी नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

प्रश्न ११ के उत्तर में कहा गया "जी नहीं" तो क्या कोई हाई पावर कमेटी बना कर सरकार जांच करायेगी, इसमें उसको क्या दिक्कत है कि उनकी कंडीशन्स की जांच की जाय ?

श्री अलगूराय शास्त्री--

यह प्रश्न तो है नहीं। यह सुझाव है। उसकी आवश्यकता नहीं है लिहाजा कोई कमेटी नियुक्त करने का प्रश्न नहीं है।

मैनपुरी नगरपालिका में परिगणित जातीय कर्मचारी

*१२--श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा) (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी नगरपालिका में कितने चुंगी क्लर्क, मास्टर व क्लर्क हैं और उनमें कितने परिगणित जाति के हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

मैनपुरी नगरपालिका में कुल २२ चुंगी क्लर्क हैं इनमें से कोई भी परिगणित जाति का नहीं है। मास्टरों की कुल संख्या ३६ है जिनमें से चार परिगणित जाति के हैं इसी प्रकार कुल १६ क्लर्कों में से एक परिगणित जाति का क्लर्क है।

तुलसीपुर एवं हरैया क्षेत्रों में अनाज की मन्दी

*१३--श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री सूरजलालगुप्त वकील (जिला गोंडा)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र तुलसीपुर एवं हरैया सतघरवा (शिवपुरा), जिला गोंडा में धान तथा चावल राप्ती के उस पार तराई से इस पार न आने देने से गल्ला मन्दा बिक रहा है जिससे जनता में असन्तोष व्याप्त होने के कारण एक प्रस्ताव पारित कर के सरकार को भेजा गया है कि कम से कम जिले के अन्दर आने जाने के लिये रास्ता खोल दिया जावे? इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह सही नहीं है कि इस प्रतिबन्ध के कारण इस क्षेत्र में गल्ले का भाव मंदा हो गया है। इस सम्बन्ध में एक स्मृति-पत्र सचिव, कांग्रेस कमेटी, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है जो शासन के विचाराधीन है।

*१४--श्री सुखदेवप्रसाद तथा श्री सूरजलाल गुप्त वकील--

क्या यह भी सत्य है कि अभी तक गुप्त रूप से मार्कटिंग एवं पुलिस द्वारा घूस लेकर केवल मिसई घाट, बलरामपुर के सिवा अन्य घाटों से धान आता रहा और जब फंस जाने की बात आयी तो सैकड़ों लोगों का चालान कर दिया है? इसकी जांच कराकर सरकार उन अधिकारियों को दण्डित करने की कृपा करेगी ऐसी अवैधानिकता के कारण?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

घूस आदि लेने की कोई सूचना सरकार के पास नहीं आई। धान के आने जाने पर प्रतिबन्ध अभी हाल में ही लगाया गया था और इसको कार्यान्वित करने के लिये, मुख्य घाटों पर प्रबन्ध किया गया जिसके फलस्वरूप कुछ लोगों का चालान भी किया गया। इन चालानों के बाद, अवैधानिक रूप से धान का आना जाना बन्द हो गया।

श्री सुखदेवप्रसाद--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो प्रस्ताव वहां से प्राप्त हुआ है उस पर कब तक निर्णय हो जायगा?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री अध्यक्ष--

यह तो बड़ी आवश्यक चीज थी। आपको मालूम होनी चाहिये थी।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

चिट्ठी इसमें रखी नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा था कि एक प्रस्ताव पारित करके सरकार को भेजा गया। उसकी डेट ऐण्ड टाइम शुड हैव बीन नोटेड (date and time should have been noted)।

श्री सुखदेव प्रसाद--

यह कैसे मालूम हुआ कि वहां गल्ला मद्दा नहीं बिक रहा है और किस के जरिये जांच कराई गयी है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

आर० एफ० सी० के द्वारा मालूम किया गया और मालूम हुआ कि साढ़े ९ रुपये मन तक कम से कम भाव है।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला ऐटा)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिबन्ध लगने से पूर्व वहां इन कमोडिटीज के क्या भाव थे और प्रतिबन्ध लगने के बाद क्या हो गये?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

प्रतिबन्ध तो शुरू साल में लगा दिया। धान सीजन में आता है और पिछले साल के सीजन का भाव भी लगभग यही था।

श्री सुखदेव प्रसाद--

यह जो कुछ लोगों का चालान किया गया तो क्या उसके पहले वहां धान और चावल के आने जाने का प्रतिबन्ध नहीं था? और अगर नहीं था तो उस समय के बाद कितने लोगों का चालान किया गया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

चालान की लिस्ट तो शायद आपको दे दी गई है।

श्री रामनारायणराय--

श्रीमन्, यह प्रश्न स्थगित कर दीजिये, मन्त्री जी के पास आवश्यक कागजात नहीं हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

नहीं, नहीं। सुन लीजिये।

नेम आफ कार्ट समन

(१) श्री मदन मोहन
(२) श्री शारदा प्रसाद
(३) श्री रामसुन्दर
(४) श्री श्रीराम
(५) श्री लालता
(६) श्री गुरदयाल
(७) श्री बुधई
(८) श्री सूरज लाल
(९) श्री भवानी प्रसाद
(१०) श्री साधू
(११) श्री द्वारका प्रसाद
(१२) श्री रक्षाराम
(१३) श्री भगतराम
(१४) श्री कन्धई
(१५) श्री रामलाल
(१६) श्री रामसमुझ
(१७) श्री लालता प्रसाद
(१८) श्री कामता
(१९) श्री छिन्ने
(२०) श्री रामचन्द्र
(२१) श्री धनपत।

श्री राजेन्द्रसिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को सूचना मान कर कि वहां पर प्रतिबन्ध लगाने से मन्दी हो गई है तो उसको हटाने की कृपा करेंगे? यदि नहीं तो वहां पर प्रतिबन्ध लगे रहने का क्या कारण है जिसकी वजह से किसानों को उचित भाव नहीं मिल रहा है?

श्री अध्यक्ष--

मैं एक बात आदरणीय सदन से निवेदन कर दूं कि नियम २८ में प्रश्नों का विषय दिया हुआ है। उसका प्रयोजन लोक महत्व के विषय में सूचना प्राप्त करना अथवा कार्यवाही का सुझाव देना है। अब आप सूचना दे रहे हैं। पहले उनसे पूछिये तो कि ऐसी बातें हैं या नहीं। अगर वे कहें कि हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। वरना सूचना मान कर आप बात करें तो मैं उसकी इजाजत नहीं दे सकता।

श्री राजेन्द्रसिंह--

मैं दूसरा प्रश्न किये लेता हूं। क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि वहां पर प्रतिबन्ध किन कारणों से लगा है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सरकार जो चावल की लेवी करती है उसकी उपलब्धि के प्रतिबन्ध लगाती है।

श्री सुखदेवप्रसाद--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह प्रतिबन्ध कब तक रहेगा और इसके लिये कुछ व्यवस्था सरकार की तरफ से वहां हुई है या नहीं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जब तक सरकार वापस नहीं करेगी तब तक रहेगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

क्या प्रतिबन्ध लगाने का मतलब सिर्फ यही था कि धान की कीमत ऊंची न हो और सरकार वह धान सस्ते दामों पर किसानों से ले सके?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह तो मैं बता चुका हूं कि सरकार चावल की वसूली करती है। धान बाहर चला जायगा तो वसूली कहां से करेगी। इसलिये वह प्रतिबन्ध लगा था।

श्री कल्पनाथसिंह--

क्या मन्त्री जी आर्डर जारी होने के पहले ट्रांस राप्ती एरिया में क्या भाव थे और आज क्या भाव हैं उसकी जांच करायेंगे जिसमें दो तरह के रेट्स हैं; एक आपका रेट और दूसरा मारकेट रेट, इनके बारे में विस्तृत रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जब नई फसल हुई तभी से यह लग गया, तो किससे कम्पेयर कराऊं?

जिला पूर्ति अधिकारी, खीरी के विरुद्ध आरोपों की जांच

*१५--श्री बंकटसिंह (जिला खीरी) (अनुपस्थित) तथा श्री छेदालाल चौधरी--

क्या सरकार के पास इस बात की सूचना और जानकारी है कि जिला पूर्ति अधिकारी, खीरी को गम्भीर आरोपों के कारण उन्हें मिट्टी तेल वितरण, सीमेंट परमिट देने तथा अन्य वितरण सम्बन्धी अधिकारों से वंचित कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से और वे आरोप क्या हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां। अक्तूबर और नवम्बर, १९६२ के महीने में जिला पूर्ति अधिकारी, खीरी के विरुद्ध अनुचित परमिट आदि जारी करने की शिकायतें आईं। जिलाधीश ने नवम्बर में ही जिला पूर्ति अधिकारी से उसका परमिट देने का अधिकार छीन लिया। आरोपों की गुप्त जांच हो रही है। इस मामले के सम्बन्ध में इस समय कुछ कहना सरकार सार्वजनिक हित में अनुचित समझती है।

*१६—श्री बंकटासिंह (अनुपस्थित) तथा श्री छेदालाल चौधरी—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त कथित अधिकारी को अधिकार वंचित करने के पश्चात् सारे वितरण सम्बन्धी अधिकार अतिरिक्त जिलाधीश (जुडीशियल) को सौंपना यह कहां तक उचित और वैधानिक है? क्या यह न्याय विभाग के लिये प्रलोभन की बात नहीं है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह सत्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि जिला पूर्ति अधिकारी को अधिकारच्युत कर जिलाधीश स्वयं उनका काम देखते हैं। हां, जब जिलाधीश दौरे पर होते हैं तो अतिरिक्त जिलाधीश (जुडीशियल) भी जिला पूर्ति कार्यालय का काम देख लेते हैं। कथित जिला पूर्ति अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया है। उनके स्थान पर दूसरा पूर्ति अधिकारी जब भार ग्रहण कर लेगा तो पूर्ववत अपना कार्य करेगा। यह व्यवस्था एवं अन्तरिम व्यवस्था है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि खीरी जिले के पूर्ति अधिकारी के विरुद्ध कौन-कौन आरोप थे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन आफ जी० सी० शीट्स ठीक नहीं समझा गया।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इन पूर्ति अधिकारी के सम्बन्ध में शिकायत होने पर जिलाधीश ने उनसे चार्ज छीन लिया या और कोई विभागीय कार्यवाही की गई?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्रीमन्, मैंने बता दिया कि सी० आई० डी० के जरिये इंक्वायरी हो रही है।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब उक्त सप्लाई आफिसर के विरुद्ध आरोप थे तो उसको मुअत्तिल करके जांच क्यों नहीं कराई गई?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसको जिला मैजिस्ट्रेट ने काफी नहीं समझा होगा कि उसको सस्पेंड करने की आवश्यकता है।

[१८ मार्च, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

[हटा दिये गये।]

जिला जेल फैजाबाद में कुप्रबन्ध की शिकायत

*३—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या कारागार मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि जिला जेल फैजाबाद के बन्दियों ने उन्हें कोई शिकायती पत्र जेल के कुप्रबन्ध के बारे में हाल ही में भेजा है? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या शिकायतें लिखी हैं?

कारागार मन्त्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

जी हां, जिला जेल फैजाबाद के बंदियों के नाम से एक शिकायती पत्र ७ फरवरी, १९६३ को शासन को प्राप्त हुआ था। इस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं। जो शिकायतें की गई हैं उसकी तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६५६ पर)

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या कारागार मन्त्री जी को जानकारी है कि फैजाबाद जेल के जेलर के कुप्रबन्ध के कारण हवालातियों के साथ दुर्व्यवहार होता है और कैदियों को भोजन देने के जो आदेश हैं उनके अनुसार नहीं दिया जाता है ?

श्री गोविन्दसहाय—

फैजाबाद जेल के प्रबन्ध के सिलसिले में काफी शिकायतें आई हैं और उन शिकायतों में जो माननीय सदस्य ने कहा वह भी शामिल है। बहुत सी भयानक किस्म की शिकायतें हैं। इसीलिये सरकार ने उसकी तहकीकात करवाई है। उस शिकायत पत्र पर किसी के दस्तखत नहीं थे फिर भी जिस किस्म की शिकायतें थीं उसके आधार पर यह आवश्यक समझा गया कि पूरी तहकीकात करवाई जाय।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो शिकायतें उनको प्राप्त हुई हैं उनमें से कौन-कौन जांच पर सही सिद्ध हुईं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जांच के आदेश दिये गये हैं। अभी रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उस जांच का भार उन्होंने किस अधिकारी के सुपुर्द किया है और अब तक उसमें क्या कार्यवाही हो चुकी है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

यह जांच महा कारागार निरीक्षक के द्वारा की जा रही है ?

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

इस बात को देखते हुये कि जांच के दौरान में कैदियों के बयान और उनका सहयोग बहुत आवश्यक है और उस जेलर के वहां रहते हुये कैदियों के सही बयान नहीं प्राप्त हो सकते, क्या माननीय मन्त्री जी उस जेलर को तब्दील करने की कृपा करेंगे ?

श्री गोविन्दसहाय—

जेल का हम लोगों को बहुत कुछ अनुभव है। जेल में जो लोग शिकायत करते हैं उन्हें सही बात कहने में काफी अड़चन पड़ती है इसलिये हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि सही बात को जानने के लिये ऐसा वातावरण हम पैदा करें और आदमी भी ऐसे भेजें जिस से वह सही बात कह सकें।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि मुख्य-मुख्य आरोप क्या हैं ?

श्री गोविन्दसहाय—

मेरा खयाल है कि इन्सानी दिमाग जितनी चीजें किसी जेल के स्टाफ के खिलाफ सोच सकता है वह सब चीजें लिखी हुई हैं।

*४-६—श्री खुशीराम (जिला पिठौरागढ़)—

[हटा दिये गये।]

अस्थायी मार्केटिंग स्टाफ

*७—श्री यशपालसिंह वर्मा, (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में लगभग २० वर्ष से फूड ऐंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट स्थापित है परन्तु उसमें मार्केटिंग स्टाफ अभी तक अस्थायी ही चल रहा है, उसको स्थायी बनाने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। कुछ पद स्थाई कर दिये गये हैं। इन पदों पर सम्बन्धित कर्मचारियों को स्थायी करने के विषय में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। शेष पदों को भी यथा समय स्थायी किया जायगा और सम्बन्धित कर्मचारी भी स्थायी किये जायेंगे।

श्री यशपालसिंह वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने कौन-कौन पद स्थायी कर दिये हैं और उनसे सम्बन्धित कर्मचारियों को स्थायी करने का आधार क्या रखा है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

१ अप्रैल, १९५९ से यह स्थायी किये गये हैं। इसमें पी० एम० ओ० का १, आर० एम० ओ० के ४, डिप्टी आर० एम० ओ० का १, ए० आर० एफ० सी० का १, एम० आई० के ६, दूसरे ग्रेड के एम० आई० के ११, स्टेनो का १, सेकंड ग्रेड के क्लर्क ४, थर्ड ग्रेड के क्लर्क ३, फोर्थ ग्रेड के क्लर्क १७, एकाउन्टेंट १, एम० ए० सी० १, दफ्तरी १, २० चपरासी, कामदार ५, इस तरह से बहुत लम्बी लिस्ट है।

आप कहें तो सुनाता चला जाऊं।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, नहीं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फूड ऐंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के अन्दर कुछ डी० एस० ओ० भी अब तक अस्थायी हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मेरे खयाल से अभी कोई भी स्थायी नहीं है।

जालौन जिले में टीन व लोहे का कोटा

*८—श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले में टीन व लोहा बेचने के लिये कितने दुकानदार नियत किये गये हैं, उनके नाम तथा पते क्या हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जालौन जिले में टीन व लोहा बेचने के लिये एक दुकानदार नियत किया गया है। उसका नाम तथा पता निम्नलिखित है:

जिला कोआपरेटिव फेडरेशन, स्टेशन रोड, उरई।

*९—श्री शिवसम्पति शर्मा—

उक्त दूकानदारों को अभी तक पिछले तीन सालों में टीन का कितना कोटा दिया गया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उक्त दूकानदार अगस्त सन् १९६२ में नियुक्त हुआ और तब से उसे कोई कोटा नहीं मिला क्योंकि भारत सरकार से अप्रैल, सन् १९६२ से टीन का कोई अलाटमेन्ट नहीं मिला है।

बिजनौर जिले में ईंट बनाने के लिए कोयला

*१०—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या खाद्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष नियोजन अधिकारी बिजनौर को ईंट बनाने का कितना बैगन कोयला जिलाधीश बिजनौर द्वारा दिया गया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिलाधीश बिजनौर द्वारा जिला नियोजन अधिकारी को सन् १९६२ में कोयले का कोई बैगन ईंट बनाने के लिये नहीं दिया गया।

श्री श्रीराम—

माननीय मंत्री जी ने यह जांच किनके द्वारा करायी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जो हमारे डी० एस० ओ० हैं उनके द्वारा करायी गई। मगर एक बात मैं बतला दूं कि शायद आप यह समझ रहे होंगे कि कोई कोयला दिया ही नहीं गया। ऐसी बात नहीं है। १७५ वैगन कोयला प्लानिंग को गया है। आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से दिलाने की बात कही, वह अलग चीज है, वह कोटा अलग है। वैसे १७५ वैगन प्लानिंग को गया है।

श्री श्रीराम—

नियोजन विभाग में कोयला अभी भी पड़ा हुआ है। मेरे प्रश्न का उत्तर सही नहीं मिला है। क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि वह पी० डब्ल्यू० डी० और सिंचाई विभाग की शर्तों पर भट्ठे वालों को कोयला नहीं देते, बल्कि १ हजार जमा कराकर तब भट्ठे वालों को कोयला देने की बात करते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसकी हमें जानकारी नहीं है। यह प्लानिंग से आप पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब आप प्लानिंग से पूछ लीजिएगा।

श्री श्रीराम—

क्या माननीय मंत्री जी प्लानिंग अधिकारी से इसका उत्तर मंगाने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

मैनपुरी नगरपालिका को नलकूपों के लिए ऋण

*११—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका मैनपुरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने शहर में नलकूप लगाने के लिये कितना रुपया उधार दिया था और वह किस सन् में दिया गया था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

नगरपालिका, मैनपुरी को जल सम्भरण योजना कार्यान्वित करने के लिये निम्नलिखित धनराशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई है—

वर्ष	धनराशि रु०
१९५४–५५	१,००,०००
१९५५–५६	७,६२,९००
१९५८–५९	६२,०००

*१२—श्री बृजेश्वरसहाय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो रुपया नगरपालिका मैनपुरी को सरकार ने नलकूप लगाने के लिये उधार दिया था उस रुपये में से कितना रुपया सरकार को किस्तों में वापस हो चुका है और मार्च सन् ६३ तक कितनी किस्तें मय ब्याज के बकाया रह जायगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

सन् १९५४–५५ व १९५५–५६ में स्वीकृत की कई ८,६२,९०० रु० की धनराशि में से नगरपालिका ने १,६८,३९९ रु० तीन किश्तों में अदा कर दिया है और अब ३१ मार्च, १९६३ तक ५६,१३३ रु० की चार किश्तें मय ब्याज के [जिसमें पीनल इन्टरेस्ट (Penal Interest) सम्मिलित नहीं है] अदा करनी बाकी हैं।

बाकी ६२,०००) रु० के कर्ज में से १२,०९९) की धनराशि तीन किश्तों में अदा कर दी गई हैं और ३१ मार्च, १९६३ तक ४,०३३ रु० की केवल एक किश्त देना बाकी है।

*१३—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी) तथा श्री बृजेश्वर सहाय—

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१४–१५—श्री रामसिंह तथा श्री बृजेश्वरसहाय—

[२० मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

ट्रान्स राप्ती एरिया में धान के ऊपर से प्रतिबन्ध हटाने का आश्वासन

*१६—श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बस्ती जिले के ट्रांस राप्ती एरिया में धान का भाव बहुत गिर गया है ? यदि हां, तो उसे रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकार को इस एरिया में धान के भाव में कुछ कमी हो जाने की सूचना मिली थी। इस संबंध में सरकार ने, इस क्षेत्र से अन्य लेवी जिलों को धान ले जाने के लिये, परमिट जारी करने के आदेश दे दिये हैं। धान के भाव के बारे में सरकार पूरी तरह से सतर्क है और आवश्यकता पड़ने पर अन्य उचित कार्यवाही की जावेगी।

श्री रामकुमार शास्त्री—

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ट्रांस राप्ती एरिया से धान ले जाने के ऊपर जो प्रतिबन्ध लगाया गया है क्या उसे हटाने के लिये वह विचार कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अध्यक्ष महोदय, इस पर कई दफा सवाल हुआ है। इसलिये सरकार ने अब निश्चय किया है और मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि ट्रांस राप्ती एरिया से पैंडी के ऊपर से प्रतिबन्ध हटा लेंगे और उसका एक ब्लाक बस्ती और गोरखपुर का कर देंगे और जिले भर में अब धान कहीं भी जा सकता है।

श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट—

क्या जिन लोगों को परमिट दिए गए हैं वह भी कैंसिल कर दिये जायंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अब जब वह प्रतिबन्ध ही ड्राप कर दिया जायगा तो परमिट का सवाल ही नहीं रहेगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि और स्थानों के बाजार के मुकाबिले में यहां का भाव कितना कम था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो अलग-अलग किस्म के चावलों का भाव अलग-अलग होता है और भिन्न-भिन्न किस्म का फर्क हो सकता है।

*१७—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

[२० मार्च, १९६३ के लिये नियम ३९ (२) में प्रश्न ३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गाजीपुर नगरपालिका से ड्रेनेज स्कीम के लिए ऋण की मांग

*१८—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर म्युनिसिपैलिटी की ड्रेनेज स्कीम बनाने के लिये धन कर्ज तथा अनुदान के रूप में मंजूर करने के लिये म्युनिसिपल बोर्ड गाजीपुर द्वारा स्वायत्त शासन विभाग को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

मुख्य अभियन्ता स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग ने १२,४७,२०० रुपये की लागत की एक योजना तैयार कर बोर्ड की स्वीकृति के लिये भेज दी है ।

श्री कमलासिंह यादव--

क्या सरकार यह बतायेगी कि गाजीपुर म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा किस तारीख को कितना रुपया लोन और ग्रान्ट के रुप में मांगा गया था ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

श्रीमन यह तो ड्रेनेज की स्कीम है । इसमें अनुदान का प्रश्न नहीं, ऋण का है ।

श्री कमलासिंह यादव--

किस तारीख को यह मांग की गयी थी ? म्युनिसिपल बोर्ड का आवेदन-पत्र कब मिला था इस सिलसिले में ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

अक्तूबर, १९६० में ।

श्री कमलासिंह यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह १२ लाख रुपये की जो स्कीम भेजी है म्युनिस्पल बोर्ड को स्वीकार करने के लिये उसमें कितना ग्रान्ट के रुप में सरकार देगी और कितना लोन देगी इस कार्य को पूरा करने के लिये ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

श्रीमन्, जैसा पूर्व उत्तर में निवेदन किया गया, इसमें लोन ही दिया जाता है, अनुदान नहीं दिया जाता ।

*१९-२०--श्री कमलासिंह यादव--

[६ठें सोमवार के लिये स्थगित कया गया ।]

जिला कारागार, खीरी में मंगरे की मृत्यु

*२१--श्री छेदालाल चौधरी तथा श्री बंकटासिंह--

क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि गत ७-८ फरवरी, की रात को जिला कारागार खीरी में मंगरे पुत्र बल्देव चमार ग्राम कोटरी, चौकी मंगलगंज, पी० एस० मितौली, जिला खीरी की दुर्भाग्यपूर्ण और दयनीय मृत्यु हो गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जी हां ।

*२२--श्री छेदालाल चौधरी तथा श्री बंकटासिंह--

क्या कारागार मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि पूर्व कथित हतभाग्य मंगरे मृतक के भाई उमराव ने जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक, खीरी की सेवा में ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र दिया था कि उसके भाई को मंगलगंज चौकी के ३ पुलिस सिपाही व दरोगा घर से ५ फरवरी, १९६३ को पकड़ ले गये, मारा-पीटा और जेल भेज दिया जहां उसकी चोटों के कारण ७-८ फरवरी, को मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही अपराधियों के विरुद्ध हुई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जी हां, इस प्रकार का आरोप पत्र इन अधिकारियों को प्राप्त हुआ था परन्तु उसमें लगाये गये आरोप जांच करने पर निराधार पाये गये ।

*२३—श्री छेदालाल चौधरी तथा श्री बंकटासिंह—

क्या कारागार मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गत जून, सन् १९६२ में जिला जेल खीरी में एक हरिजन लड़की कुमारी कलुई की भी ऐसे ही पुलिस के मारने-पीटने के कारण मृत्यु हो गई थी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं ।

श्री छेदालाल चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी खीरी जिला जेल में बहुधा होने वाली हत्याओं की रोकथाम के लिये, और इसकी गंभीरता को अनुभव करते हुए, क्या इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जो घटनायें होती हैं उनकी यथासमय जांच होती रहती है ।

श्री अध्यक्ष—

जो जांच हो रही है उसके अलावा जो उनका सवाल है, उसका जवाब दीजिए ।

श्री गोविन्द सहाय—

उत्तर में कहा गया है कि उसकी जांच करायी गयी थी और वह आरोप निराधार पाये गये । अब उसके बाद उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा है कि उस जेल में हत्यायें होती रहती हैं, तो गवर्नमेन्ट का ऐसा खयाल नहीं है कि वहां ऐसा होता रहता है ।

श्री रामायणराय—

क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात का पता लगाया कि मृत्यु का मुख्य कारण क्या था ?

श्री गोविन्दसहाय—

यह हकीकत है कि उसकी मौत जेल में हुई और विभाग का कहना है कि जेल के किसी कारण से वह मृत्यु नहीं हुई । बहुत-सी मार ऐसी होती हैं कि जिनका असर बहुत पड़ता है, लेकिन उनका पता नहीं चलता । बहरहाल, जेल विभाग से उसका संबंध नहीं है । हमारे यहां जिस समय कैदी आया उस समय डाक्टरी परीक्षा में कोई ऐसी बात नहीं थी कि वह बीमार आदि भी हो । उसके भाई ने जो चार्ज लगाया है वह हम से संबंधित नहीं है, लेकिन पुलिस की कोई शिकायत भी मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं की गयी कि उसको पीटा गया था । अगर कोई सरकमस्टांशियल एवीडेंस होती तो हम बता सकते थे ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या मृत व्यक्ति की मेडिकल जांच करायी गयी ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री गोविन्दसहाय—

जब जेल में कोई प्रिजनर आता है तो मेडिकल परीक्षा होती है । उस समय की परीक्षा में उसके कोई घाव या चोट आदि नहीं थी । थोड़ी देर बाद यह पता चला कि उसकी तबियत खराब है। उस समय उसको अस्पताल भेजा गया ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

उसका पोस्टमार्टम कराया गया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि कराया गया ।

श्री गोविन्दसहाय—

ऐसी स्थिति में उसका पोस्टमार्टम कराया गया और वह तो होता ही है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या माननीय कारागार मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है और वह व्यक्ति किस बीमारी से कितने अरसे बाद मरा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

पोस्टमार्टम में किसी चोट के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। उसका विवरण सुरक्षित रखा गया है। मार के कारण मृत्यु हुई है ऐसी कोई बात उसमें नहीं है।

श्री रामभजन—

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि मंगरे जिस समय जेल में मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया उस समय वह आदमी चोटों से बेइन्तहां परेशान था ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्रीमन्, जिस समय वह मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, उसने कोई बयान नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—

उनका तात्पर्य यह है, मैं इसको साफ किये देता हूं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपके पास आई या नहीं, और उसमें कौन से कारण उसकी मौत के दिये हैं ? यह वह जानना चाहते हैं।

श्री गोविन्दसहाय—

श्रीमन्, जहां तक पोस्टमार्टम का संबंध है, उससे यह पता नहीं चला कि वह कैसे मरा। यह बात भी सही है कि बहुत सी मारें ऐसी हैं कि जो कानून के अन्दर साबित नहीं हो पाती हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वह व्यक्ति कब जेल में एडमिट हुआ और कब उसकी मृत्यु हुई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्रीमन्, वह व्यक्ति ७ फरवरी, १९६३ को १ बजकर २० मिनट पर जिला कारागार, खीरी में भेजा गया और उसकी मृत्यु ८ फरवरी, १९६३ की रात को १० बजकर ३० मिनट पर हुई थी।

श्री रामायणराय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय वह व्यक्ति जेल में दाखिल हुआ, अभी यह कहा गया है कि उस समय उसकी डाक्टरी परीक्षा हुई और उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं निकली थी। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसकी तबियत खराब हुई और उसको अस्पताल भेजा गया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह किस रोग से ग्रस्त हुआ था और उसको किस कारण से अस्पताल भेजना पड़ा था तथा वहां पर उसकी क्या चिकित्सा हुई थी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्रीमन्, जिस समय वह जेल में आया था उस समय उसको कोई तकलीफ नहीं थी, और न कुछ मालूम ही हुआ और जिस समय....

श्री अध्यक्ष—

केवल प्रश्न इतना है कि कौन से रोग से वह ग्रस्त था और किस कारण अस्पताल उसको भेजना पड़ा।

श्री गोविन्दसहाय—

श्रीमन्, प्रिजनर की यह शिकायत थी साधारण मेडिकल के समय कि मेरे ज्वाइन्ट्स में दर्द है। तो यह सही बात है कि उसने ज्वाइन्ट्स में अपने दर्द बताया था और इसीलिये वह अस्पताल भेज दिया गया।

श्री रामायणराय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उसके ज्वाइन्ट्स का एक्स-रे भी कराया गया या केवल उस पर लेप वगैरह ही किया गया ?

श्री गोविन्दसहाय—

श्रीमन्, वह सब मुझे मालूम नहीं है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अभी उन्होंने कहा कि कुछ मारें ऐसी भी होती हैं जिनकी कि कानून में पकड़ नहीं आती है, लेकिन वह हो जाती हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को कबूल करते हैं कि क्या वे इस मामले में सी० आई० डी० की जांच बैठाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

अब पोस्टमार्टम हो चुका है। आप कृपया बैठें । अब इसमें सी० आई० डी० की रिपोर्ट क्या मांगें ?

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे जैसा कि वह कह रहे थे कि उनके घुटने में दर्द था, तो जब घुटने में दर्द होना मालूम हुआ उस समय कौन-सी दवा उसके घुटने के लिये की गई, वहां पर अस्पताल में ? कृपया इसको स्पष्ट करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतायेंगे कि जब वह व्यक्ति ७ तारीख को दोपहर में १ बजकर २० मिनट पर दाखिल हुआ तो उसी दिन डाक्टरी मुआयना न होकर, सिविल सरजन के आने के बाद हुआ करता है। परन्तु उससे पहले उससे खुद से उठना-बैठना नहीं हो सकता था, क्योंकि उसको शिकायत थी कि उसके जोड़ों में दर्द है और उसको अस्पताल भिजवाया गया । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि डाक्टरी मुआइना कराया गया तो वह कहां तक सत्य है ?

श्री गोविन्दसहाय —

जहां तक फैक्ट्स का सम्बन्ध है, जितने उत्तर दिये गये हैं उसमें क्रमानुसार आपको बतलाया गया कि वह जेल में भर्ती हुआ । पहले वह पुलिस लाक-अप में गया, मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ उसमें उसने नहीं बताया । जेल में लाये जाने के बाद जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उस वक्त भी उसने कोई भयानक बीमारी नहीं बतलायी । तो जहां तक जेल विभाग का सम्बन्ध है उसे उन सरकमस्टेंसेज में, उन वाकयात में, ऐसा शक करने की कोई वजह नहीं थी कि इस आदमी को कोई भयानक रोग अन्दर से लगा है । इसलिये एक साधारण जो सावधानी हो सकती है उसमें बरती गयी ।

अब प्रश्न उठता है कि अगर चोट लगी थी तो कहां लगी थी तो जहां तक सरकमस्टेंसेज हैं उसमें हमें किसी नतीजे पर पहुंचने की कोई वजह नहीं है, लेकिन जो नतीजा आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं मैं उसको कन्टेस्ट नहीं करता ।

*२४-२५—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा) —

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

खाद्य एवं रसद विभाग, गोरखपुर के अस्थायी कर्मचारी

*२६—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया), श्री मन्नालाल (जिला खीरी) तथा श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि खाद्य एवं रसद विभाग, गोरखपुर रीजन के कर्मचारियों की संख्या १ जनवरी, १९६२ को कितनी थी और इसमें से कितने स्थाई और कितने अस्थायी थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी --

गोरखपुर रीजन में १ जनवरी, १९६२ को कर्मचारियों की संख्या ४४९ थी। यह सभी कर्मचारी अस्थायी थे।

*२७--श्री बांके लाल, श्री मन्नालाल तथा श्री सूरजलाल गुप्त वकील--

उपरोक्त स्थाई कर्मचारियों का प्रतिशत अस्थाई कर्मचारियों से कितना कम है और क्या यह सही है कि स्थाई कर्मचारी अभी उस प्रतिशत तक नहीं पहुंच पाये हैं जो सरकार के घोषित नीति के अनुरूप है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी --

प्रश्न नहीं उठता।

*२८--श्री बांकेलाल, श्री मन्नालाल तथा श्री सूरजलाल गुप्त वकील--

क्या सरकार कृपया ऐसे कर्मचारियों की संख्या बताने की कृपा करेगी जिनकी सेवायें विभाग में १० वर्ष से अधिक हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी --

ऐसे कर्मचारियों की संख्या ५३४ है।

श्री बांकेलाल --

मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्न २६ और २८ के उत्तर में विरोधाभास क्यों है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

पहले उत्तर में जो ४४९ फिगर है, उसमें १४३ इन्सपेक्टर हैं, १२५ क्लार्क हैं और १८१ फोर्थ ग्रेड के एम्प्लाईज हैं और इसमें १० साल से ऊपर की सर्विस के लोग हैं। दूसरे में २०७ इन्सपेक्टर, १८६ मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के हैं और १४१ इनफीरियर स्टाफ के हैं, इसलिये थोड़ा-सा अन्तर है।

श्री कल्पनाथसिंह --

मन्त्री जी ने बतलाया कि १० वर्ष से लगातार जो काम करते चले आ रहे हैं वह ५३४ हैं और २६वें प्रश्न के उत्तर में ४४९ संख्या बतलायी, और इसमें कोई स्थाई भी नहीं किये गये, कोई घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी भी नहीं हुई, तो क्या कारण है इस अन्तर का, यह स्पष्ट जानना चाहता हूं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी --

आदमी स्थायी नहीं किये गये हैं, मगर पोस्टें स्थायी हो चुकी हैं। १४ पोस्टें परमानेंट डिक्लेयर हो चुकी हैं--सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर की १, मार्केटिंग इन्सपेक्टर की ३, सेकेंड ग्रेड क्लर्क की १, थर्ड ग्रेड क्लार्क की १, फोर्थ ग्रेड की ३ और आफिस पिग्रन की ४ और कामदार की १। कुछ और भी स्थायी हो गयीं तो आदमी छांट लिये जायेंगे कि कौन रहेंगे।

श्री कल्पनाथसिंह --

श्रीमन्, फिर यह बात उलझ गयी। ४४९ संख्या है प्रश्न २६ में और ५३४ है प्रश्न २८ में। और परमानेंट हो गये २६ वाले, तो स्थान तो और कम होने चाहिये, बढ़ने नहीं चाहिये। मैं मन्त्री जी से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी इस प्रश्न की पुनः जांच कराकर सदन की मेज पर इसका उत्तर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी --

हां, इसके ब्यौरे के बारे में मैं उत्तर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

तो मैं इसको स्थगित करता हूं ।

[प्रश्न २६-२८ स्थगित किये गये]

नगरपालिका काशीपुर का द्वितीय श्रेणी में वर्गीकरण के लिए प्रस्ताव

*२९—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) —

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पे-कमीशन की रिपोर्ट सन् १९४९ के अनुसार जिन नगरपालिकाओं ने अभी तक अपने को तद्नुरूप वर्गीकृत (अपग्रेड) कराने के लिये कोई प्रयास नहीं किया है, उनका आवश्यक वर्गीकरण करने के लिये सरकार की ओर से कोई कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल —

जी, नहीं।

*३०—श्री रियासत हुसैन—

क्या स्वायत्त शासन विभाग के मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका काशीपुर (नैनीताल) ने अपने प्रस्ताव सं० ७९९, दिनांक ३१ मार्च, १९६२ के द्वारा द्वितीय श्रेणी में वर्गीकृत किये जाने का अनुरोध सरकार से किया था ? उसे स्वीकार करने में विलम्ब क्यों हो रहा है जब कि उपरोक्त नगरपालिका की साधारण वार्षिक आय ५ लाख रुपये के लगभग है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

हां, नगरपालिका काशीपुर (नैनीताल) ने अपने प्रस्ताव द्वारा द्वितीय श्रेणी में वर्गीकृत किये जाने का अनुरोध किया था। नगरपालिका के आय-व्यय के आंकड़ों के सम्बन्ध में सरकार कमिश्नर से पत्र-व्यवहार कर रही है।

*३१—श्री रियासत हुसैन—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की नगरपालिकाओं के प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाओं का प्रान्तीयकरण किये जाने हेतु यू० पी० म्युनिसिपल ऐक्ट में उपधारा ६९ जोड़े जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही विधान सभा के वर्तमान सत्र में की जायगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल —

जी नहीं।

आगरा केन्द्रीय कारागार का स्थित स्थान

*३२—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा केन्द्रीय कारागार को उसके वर्तमान स्थान से हटाकर अन्य स्थान पर बनाने तथा वर्तमान कारागार के स्थान पर मार्केट बनाने का कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री गोविन्दसहाय—

जी नहीं। इस योजना पर सरकार द्वारा विचार किया जा चुका है। सरकार को इससे कोई लाभ नहीं प्रतीत होता तथा आर्थिक और अन्य कठिनाइयों के कारण इसको कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

*३३–३५—श्री रघुनाथसिंह —

[६ठें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

चावल तथा धान पर प्रतिबन्ध

*३६—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर) —

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कौन-कौन सी वस्तुओं को राज्य की ५ मील सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत जाने की अनुमति प्राप्त नहीं है ?

नोट—तारांकित प्रश्न २९–३१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

चावल, धान तथा चावल के कन और भूसी को छोड़ कर (excluding rice bran and husk) उनसे उत्पादितवस्तुओं (products) को राज्य की ५ मील सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत जाने की अनुमति प्राप्त नहीं है।

*३७---श्री कृष्णानन्दराय---

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने इस तथ्य को पता लगाने का प्रयास किया है कि ५ मील सीमा क्षेत्र में कतिपय वस्तुओं के जाने की रोक से उस क्षेत्र की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति में अत्यन्त कठिनाई हो रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इस सम्बन्ध में देवरिया जिले की जनता एवं व्यापार मण्डल ने कुछ कठिनाइयों का उल्लेख किया था जिनके बारे में जांच कराई गई तथा उचित आदेश जारी कर दिये गये।

*३८---श्री मतोलासिंह---

[२० मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

सप्लाई आफिसर, जिला रायबरेली

*३९---श्री रतीपाल (जिला रायबरेली), श्री उग्रसेन (जिला देवरिया), श्री नरसिंहनारायण पांडेय, श्री रामायणराय, श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद), श्री रघुनाथसिंह तथा श्री मैनेजरसिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली के सप्लाई आफिसर सन् १९६३ में किस तारीख से छुट्टी गये हैं और छुट्टी जाते समय अपना चार्ज किस अधिकारी को दे कर गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

१४ जनवरी, १९६३ से। जाते समय वे अपना चार्ज श्री एन० सी० चतुर्वेदी, डिप्टी कलेक्टर, महाराजगंज को दे कर गये हैं।

*४०---श्री रतीपाल, श्री उग्रसेन, श्री नरसिंहनारायण पांडेय, श्री रामायणराय, श्री बंशीलाल, श्री रघुनाथसिंह तथा श्री मैनेजरसिंह---

क्या सरकार को पता है कि जब से सप्लाई आफिसर छुट्टी पर गये हैं उस समय से अब तक कितने ईंटें एवं टीन तथा सीमेंट के परमिट मंजूर किये गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

१४ जनवरी, १९६३ से २८ फरवरी, १९६३ तक निम्नलिखित मात्रा में ईंट, टीन तथा सीमेंट के परमिट मंजूर किये गये---

वस्तु का नाम		परमिटों की संख्या	वस्तु की संख्या अथवा भार
ईंट	..	५३५	३४,१६,५०० ईंटें।
टीन	..	१५	३ टन, ४६८ कि० ग्राम, ६८० ग्राम।
सीमेंट	..	८४८	४,७९१ बोरे।

*४१---श्री चन्द्रबलीसिंह, श्री ऊदल, श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ)---

[८वें गुरुवार के लिये प्रश्न ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

रेलवे स्टेशनों से कोयला न उठाने की शिकायत

*४२--श्री मेवालाल जायसवाल, (जिला इलाहाबाद) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय --

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रेलवे विभाग के अधिकारियों ने इस आशय का पत्र सरकार के पास अभी हाल ही में भेजा है जिसमें स्टेशनों से कोयला मालिकों द्वारा शीघ्र न उठाने की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी --

नवम्बर, १९६२ में रेलवे अधिकारियों का इस आशय का एक पत्र प्राप्त हुआ था उसकी एक प्रति† संलग्न है ।

*४३-४४--श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा) --

[२० मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न ४५-४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*४५-४७--श्री शिवदानसिंह (जिला अलीगढ़) --

[६ ठे सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४८--श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा) --

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

रायबरेली जिले से कैदियों के प्रोवेशन फार्म

१--श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली) --

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद, रायबरेली से दिनांक १ मार्च, १९६२ से दिनांक ३१ मई, १९६२ तक ३०२, आई० पी० सी० में सजा पाये हुये कैदियों के छुटने हेतु कितने प्रोवेशन फार्म, आई० जी०, जेल या प्रोवेशन कमेटी के पास भेजे गये ?

श्री गोविन्दसहाय --

जिला रायबरेली से दिनांक १ मार्च, १९६२ से दिनांक ३१ मई, १९६२ तक ३०२ आई० पी० सी० में सजा पाये हुये कैदियों के छुटने हेतु ६ प्रोवेशन फार्म 'ए' प्राप्त हुये ।

२-श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर) --

[१५ मार्च, १९६३ को प्रश्न ४ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

आगरा महापालिका को भवन निर्माण एवं गन्दी बस्ती सुधार के लिए अनुदान

३--श्री बालोजी अग्रवाल --

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर महापालिका को महापालिका भवन बनाने के लिये कितना रुपया सरकार ने दिया है और कब दिया है और क्या महापालिका भवन अभी बना है या नही ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा --

आगरा नगर महापालिका को महापालिका भवन बनाने के लिये राज्य सरकार ने ६ लाख रुपया ६ जुलाई, १९५९ को तथा ४ लाख रुपया ३० मार्च, १९६१ को ऋण स्वरूप दिया है । भवन अभी नहीं बना है क्योंकि उपयुक्त स्थान शीघ्र उपलब्ध न हो सका और भवन के नक्शे को अन्तिमरूप देने में समय लगा ।

---

†छापी नहीं गई ।

४—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्दी बस्ती सुधार योजना के लिये कितना रुपया आगरा नगरमहापालिका को दिया है ?

(अ) उस रुपये में से कितना रुपया महापालिका ने किन-किन क्षेत्रों में खर्च किया है ?

(ब) जो रुपया बचा है उसे अभी तक क्यों नहीं खर्च किया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

गन्दी बस्ती सुधार योजना के लिये नगर महापालिका, आगरा को ५ लाख रुपये तथा २ लाख ११ हजार ५ सौ रुपये के दो ऋण क्रमश: दिये गये हैं।

(अ) उपर्युक्त ५ लाख रुपये के धन में से निम्नलिखित क्षेत्रों के सुधार पर ३,९८,९१० रु० के व्यय होने की सम्भावना है और उसमें से रु० ३,८४,०७९.७८ न० पै० का भुगतान नगर महापालिका द्वारा किया जा चुका है।

रतनपुरा, नया घेर, नगला शाला भोला, नाला मंगलेश्वर नाथ, बाड़ा चरन सिंह, बुढ़ान सैयद, ईदगाह कुतलूपुर, टीला हसन खां, टीला शेख मुन्नू व टीला नन्दराम। दूसरे ऋण में से अभी कुछ खर्च नहीं हुआ है।

(ब) पांच लाख रुपये के ऋण में से जो रुपया बच रहा है उसके उपयोग के लिये महापालिका की कार्यकारिणी समिति के परामर्श से अन्य क्षेत्रों के सुधार की योजनायें बनाई गई हैं और टेन्डर भी आमन्त्रित कर लिये गये हैं। दूसरा ऋण गंदी बस्तियों में रहने वालों को अपने निज के मकानों में सुधार करने के लिये ऋण देने हेतु था। नगर महापालिका को ऋण देने के हेतु नियम बनाये थे जो अभी हाल में ही बन कर तैयार हुये हैं। ऋण देने का कार्य अब शुरू किया जायगा।

५–७—श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती), श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

मुजफ्फरनगर जिले में ईंट के भट्ठे

८—श्री विजयपालसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय सन् १९६३ में जिला मुजफ्फरनगर में कुल कितने ईंट के भट्ठे हैं और उनमें अलग-अलग तहसीलों में किन-किन स्थानों पर चल रहे हैं ? इनमें कितने भट्ठे लकड़ी से और कितने कोयले से चल रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस समय जिला मुजफ्फरनगर में कुल १०६ ईंट के भट्ठे हैं जिनका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६५७–६५९ पर।)

९—श्री विजयपालसिंह—

क्या सरकार बुढ़ाना तहसील से उन इलाकों में जहां दूर-दूर तक कोई भट्ठा नहीं है जिस की वजह से वहां के स्कूल तथा खड़ंजा आदि प्लानिंग का सभी काम रुका पड़ा है ? वहां जो लोग स्वेच्छा से भट्ठा लगाना चाहते हैं उनको सरकार कोयला देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक और किन शर्तों पर ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जब तक कोयले की आयात की स्थिति सन्तोषजनक नहीं हो जाती तब तक नए व्यक्तियों को कोयला देना सम्भव प्रतीत नहीं होता।

१०—श्री विजयपालसिंह—

क्या सरकार उन सभी भट्ठे वालों को जो बहुत पुराने लकड़ी से चलने वाले भट्ठे हैं उन को जल्द कोयला देने पर विचार कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं।

रायबरेली कारागार

११—श्री रतीपाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली कारागार के कितने आदमियों को सरकार की सेवा करने से १९६२ में हटा दिया गया है ? इसका क्या कारण है ?

श्री गोविन्दसहाय—

कोई नहीं।

सहारनपुर जेल में पेय-जल-कष्ट

१२—श्री जयगोपाल—

क्या कारागार मन्त्री को मालूम है कि जिला जेल, सहारनपुर में पीने के पानी की बहुत तंगी है ? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कर रही है ?

श्री गोविन्दसहाय—

जी हां, पानी की वर्तमान व्यवस्था को सुधारने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

बहराइच जिले के वन विभाग में स्टैम्प मार्कर

१३—श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच), श्री बलवीरसिंह (जिला मैनपुरी) तथा श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

क्या वन मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष १९६१–६२ में बहराइच जिले के विभिन्न फारेस्ट रेंजों में कौन-कौन स्टैम्प मार्कर (बूटमुहर्रिर) काम करते थे तथा उनकी सर्विस कितने-कितने दिनों की थी ?

श्री अलगूराय शास्त्री—

वर्ष १९६१–६२ में जिन स्टाम्प मार्करों ने काम किया था उनकी सूची परिशिष्ट † 'ब' संलग्न है। स्टैम्प मार्कर की सेवा स्थायी नहीं होती है। प्रत्येक वर्ष वनों में कटान और निकासी के सीजन भर के लिये ही वे नियुक्त किये जाते हैं। अतएव परिशिष्ट 'ब' में केवल सीजन की संख्या का ब्यौरा दिया गया है।

१४—श्री मुन्नूसिंह, श्री बलवीरसिंह तथा श्री रामअधार कनौजिया—

क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस साल (१९६२–६३) उन्हीं रेंजों में कौन-कौन स्टैम्प मार्कर हैं तथा उनकी सर्विस कितने दिनों की है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—

वर्ष १९६२–६३ में जो स्टैम्प मार्कर हैं उनकी सूची परिशिष्ट † 'ब' संलग्न है। कितने सीजन उन्होंने काम किया है, यह भी परिशिष्ट 'ब' में दिखलाया गया है।

१५—श्री मुन्नूसिंह, श्री बलवीरसिंह तथा श्री रामअधार कनौजिया—

क्या वन मन्त्री दोनों लिस्टों की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अलगूराय शास्त्री—

संलग्न परिशिष्ट † 'अ' और 'ब' सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

---

†छापे नहीं गये।

बाराबंकी के लिए सीमेंट

१६—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६२ के अन्तिम चतुर्थांश (क्वार्टर) में बाराबंकी को कितने वैगन सीमेंट का एलाटमेंट हुआ और कितने वैगन सीमेंट पहुंची और वितरित हुई? पूरी सीमेंट न पहुंचने का क्या कारण है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सन् १९६२ के अन्तिम चतुर्थांश में बाराबंकी को ४६ वैगन सीमेंट का एलाटमेंट हुआ और २८ वैगन सीमेंट पहुंची और वितरित हुई। पूरी सीमेंट न पहुंचने का कारण एलाटमेंट में अकस्मात कटौती तथा रेलवे वैगनों की कमी है।

१७—श्री गिरजाप्रसाद—

सन् ६२ में बाराबंकी में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के लिये कितने वैगन सीमेंट स्वीकृत हुई और कितनी सीमेंट बांटी गई?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सन् १९६२ ई० में बाराबंकी में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के लिये १० वैगन सीमेंट स्वीकृत हुई। इसके विपरीत सीमेंट प्राप्त नहीं हुई।

बुलन्दशहर जिले में भट्ठे

१८—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर), श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर) तथा श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर ने ऐसे कितने भट्ठे वालों को पकड़ा है जिनको लकड़ी से भट्ठा फूंकने का अधिकार था, लेकिन कोयले से फूंकते थे? इन भट्ठे वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? क्या सरकार उन भट्ठे वालों के नाम बताने की कृपा करेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ऐसा कोई भट्ठे वाला नहीं पकड़ा गया। प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद के माघ मेले में सरकारी कैम्पों पर व्यय

१९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या स्वायत शासन मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि इलाहाबाद में १९६२-६३ में माघ मेले के अवसर पर कितने कैम्प सरकार की ओर से माघ मेला क्षेत्र में लगाये गये थे तथा उन कैम्पों में कितना व्यय सरकार का हुआ तथा किस कार्य हेतु यह कैम्प लगाये गये थे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

इलाहाबाद माघ मेला १९६२-६३ में २८५ कैम्प सरकार द्वारा लगाये गये जिन पर कुल ४५,६९५ रुपया व्यय हुआ।

ये कैम्प विभिन्न कार्यों हेतु लगाये गये थे, जैसे—

सामान्य प्रशासन विभाग ने मेले के अधिकारियों, कर्मचारियों आदि के निवास, मेले के कार्यालयों, स्वयंसेवक दलों, धार्मिक प्रवचनों आदि के वास्ते कैम्प लगाये थे। अन्य विभागों ने भी अपने कार्यालय की स्थापना तथा अधिकारियों के निवास आदि के लिये कैम्प लगाये थे।

२०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

[२१ मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न २० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

फर्रुखाबाद तथा इटावा जिलों में ईंटों के भाव

२१—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद तथा इटावा में रेलकोल तथा रोड कोल ईंटों के भाव क्या हैं तथा उनके भावों में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६६० पर)

२२-२४—श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)—

[६ ठे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

बाराबंकी जिले में मिट्टी के तेल का नियंत्रण

२५—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में मिट्टी का तेल नियन्त्रण नियमों के अन्तर्गत कितने दुकानदारों ने किस किस्म के लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र दिये और उनमें से कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुये ? प्रार्थना पत्र अस्वीकृत होने के क्या कारण हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

फुटकर व्यापारी के लाइसेंस हेतु ५३४ और एजेन्ट के लाइसेन्स हेतु १३ प्रार्थना पत्र जिलाधीश बाराबंकी को प्राप्त हुये। तेरहों एजेंट के लाइसेन्स के प्रार्थियों को लाइसेन्स दिया जा चुका है। फुटकर व्यापारी के २८५ लाइसेन्स प्रार्थियों को दिये जा चुके हैं। शेष फुटकर व्यापारियों के प्रार्थना पत्रों की उत्तर प्रदेश मिट्टी का तेल नियन्त्रण आज्ञा, १९६२ के उपबन्धों के अनुसार जांच हो रही है। अभी तक कोई भी प्रार्थना पत्र अस्वीकृत नहीं किया गया है।

२६—श्री हिम्मतसिंह—

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले में सीमेन्ट का वितरण

२७—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में अगस्त, १९६२ से १५ फरवरी, १९६३ तक कितनी ऐसी सीमेंट की परमिटें हैं जो बीस बोरा या उससे अधिक के लिये हैं ? किस-किस व्यक्ति को किस कार्य के लिये तथा किसके द्वारा परमिट दी गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

देवरिया जिले में अगस्त, ६२ से १५ फरवरी, सन् १९६३ तक २० बोरी या इससे अधिक की ४८३ परमिटें दी गईं। इनका विवरण निम्नलिखित है—

परमिट जारी करने वाला पदाधिकारी		परमिटों की संख्या
(१) जिलापूर्ति अधिकारी	.. .. ..	३९२
(२) तहसीलदार देवरिया, एस० डी० ओ० देवरिया,	..	२०
(३) एस० डी० ओ०, पडरौना	..	४३
(४) तहसीलदार, हाटा, एस डी० ओ० हाटा ..	..	२३
(५) तहसीलदार, सलीमपुर, एस० डी० ओ० सलीमपुर	..	५
योग	..	४८३

जिस व्यक्ति को तथा जिस जिस कार्य के लिये परमिटें दी गईं, जिस अधिकारी द्वारा परमिट दिये गये उसकी सूचना † संलग्न है।

कोठी छेदीलाल ट्रस्ट, चुन्नीगंज, कानपुर के एलाटमेंट का विरोध

२८—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि शादी, बारात, मीटिंग आदि सार्वजनिक कार्यों में प्रयोग होने वाले धर्मशाला कोठी छेदीलाल ट्रस्ट, चुन्नीगंज शहर कानपुर को अनुचित एवं अवैधानिक ढंग से एलाट कर दिया गया है जिससे शहर की आम जनता को अपार कष्ट एवं क्षोभ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह कहना अनुचित है कि प्रश्नगत स्थान का प्रयोग किसी सार्वजनिक कार्य के लिये होता था तथा उसका एलाटमेंट अनुचित एवं अवैधानिक ढंग से हुआ है जिसके फलस्वरूप जनता को कष्ट अथवा क्षोभ है। वास्तव में यह इमारत अवैधानिक रूप से किराये पर उठाई जाती थी।

२९—श्री शिवनाथसिंह—

क्या सरकार को पता है कि उक्त कोठी के एलाटमेंट के विरुद्ध कितने प्रर्थना-पत्र सम्बन्धित अधिकारियों व सरकार को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

केवल एक प्रार्थना पत्र रेंट कन्ट्रोल ऐंड इविक्शन आफिसर, कानपुर के समक्ष प्रबन्धक ट्रस्टी श्री मुकन्दीलाल गर्ग ने दिया था जिस पर कार्यवाही जारी है।

आजमगढ़ जिले में सीमेंट के कोटे में कमी

३०—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय संकट उद्घोषित होने के बाद जिला आजमगढ़ का सीमेंट, कोयला और लोहे के चद्दर का कोटा कम कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

केवल सीमेंट का कोटा कम कर दिया गया है। उसका विवरण निम्नलिखित है:—

राष्ट्रीय संकट घोषित होन के पूर्व का कोटा	राष्ट्रीय संकट घोषित होने के बाद का कोटा
तिमाही टन १,७७१	तिमाही टन १,२४२

कोयला और लोहे की चद्दरों के सम्बन्ध में सूचना निम्नलिखित है—

कोयले के कोटे में कोई कटौती नहीं हुई।

लोहे की चद्दरों का कोई एलाटमेंट अप्रैल, १९६२ से मार्च, १९६३ तक भारत सरकार द्वारा नहीं हुआ। अतः इस अवधि में आजमगढ़ जिले की लोहे की चद्दरों का एलाटमेंट नहीं हुआ।

†छापी नहीं गई।

३१—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ के पूर्ति अधिकारी ने सरकार से यह सिफारिश किया है कि जिले की जनसंख्या एवं आवश्यकता को देखते हुये उपरोक्त वस्तुओं का कोटा बढ़ा दिया जाय? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

१ मार्च, सन् १९६३ तक जिला पूर्ति अधिकारी, आजमगढ़ का इस सम्बन्ध में कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ। अतः सरकार द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

३२–३४—कुंवर रुकुमसिंह राठौर (जिला बदायूं)—

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में सीमेंट का वितरण

३५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में सीमेंट सितम्बर, १९६२ से अब तक पूर्ति विभाग द्वारा प्रति मास कितना-कितना टनों में दिया गया है? कम करने का कारण क्या है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आजमगढ़ जिले में सितम्बर, सन् १९६२ से अब तक पूर्ति विभाग द्वारा निम्नलिखित मात्रा में सीमेंट दिया गया—

जुलाई, ६२ से सितम्बर, ६२ .. १,७७७ टन।

अक्तूबर, ६२ से दिसम्बर, ६२ .. २,०११ टन

जनवरी, ६३ से मार्च, ६३ .. १,२४२ टन।

सीमेंट का एलाटमेंट तिमाही होता है।

सीमेंट के कोटे में कमी का कारण यह है कि भारत सरकार ने राज्य के कोटे में २५ प्रतिशत कटौती कर दी है।

बस्ती जिले में टीन का वितरण

३६—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला पूर्ति अधिकारी बस्ती ने, १९६०, १९६१ और १९६२ में कितने मन टीन (जी० सी० शीट) की परमिट अपने आफिस से जनता के लिये दी है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिला पूर्ति अधिकारी बस्ती ने सन् १९६०, १९६१ और १९६२ में अपने आफिस से जनता के लिये कोई परमिट नहीं दिया।

३७—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

[हटा दिया गया।]

सहायक जेलरों का चुनाव, जेल विभाग सम्बन्धी आडिट रिपोर्ट

३८—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासकीय आदेशानुसार अन्य विभागों से कम किये गये कर्मचारियों में से, कितने कर्मचारी सहायक जेलरों के पद पर ले रहे हैं और कितने चुनाव द्वारा?

श्री गोविन्दसहाय—

अन्य विभागों से कम किये गये कर्मचरियों में से कोई भी कर्मचारी नहीं लिया गया। चुनाव कमेटी द्वारा ४३ अभ्यर्थियों को पेड अपरेंटिस के पद पर चुना गया है और ४७ उम्मीदवारों को तालिका (वेटिंग लिस्ट) में रक्खा गया है।

३९—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या कारागार मन्त्री ए० जी० के आडिटरों द्वारा की गई स्पेशल आडिट रिपोर्ट जो १९६२ में कैम्प सितारगंज में हुई है, सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गोविन्दसहाय—

आडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि † संलग्न है।

जेल अधीक्षक श्री के० के० बलवीर

४०—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री के० के० बलवीर, अधीक्षक की विभाग में नियुक्ति कब हुई और किन-किन जेलों पर आपने कार्य किया तथा नियुक्ति से लेकर ३१ जनवरी, १९६३ तक जिन जेलों में श्री बलवीर रहे कितने कैदी भागे, उनके नाम भी बताने की कृपा करें ?

श्री गोविन्दसहाय—

श्री बलवीरसिंह की नियुक्ति २ जून, १९५२ को हुई। उन्होंने जिला कारागार, वाराणसी, जिला कारागार, लखनऊ, सम्पूर्णानन्द शिविर, चुर्क, जिला कारागार, अलीगढ़, जिला कारागार मेरठ, सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज में कार्य किया। उनके समय में ५ कैदी भागे जिनके नाम यह हैं—

(१) मु० हुसेन, (२) हुकूमत राय उर्फ नटवरलाल, (३) ऊदल, (४) गोपाली, और (५) श्याम लाल।

बस्ती जिले में सीमेंट का वितरण

४१—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की किन-किन तहसीलों में कौन-कौन से सीमेंट के स्टाकिस्ट हैं और जनवरी, १९६२ से १५ फरवरी, १९६३ तक कितना-कितना वैगन प्रयेक को सीमेंट मिला ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६६१–६६२ पर)

४२—श्री रणबहादुरसिंह—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त सीमेंट की परमिट किस आधार से किस प्रकार दी जाती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जनता को परमिटें जिले में सीमेंट की प्राप्ति तथा जनता की मांग के आधार पर दी जाती हैं।

४३—श्री रणबहादुरसिंह—

क्या खाद्य मंत्री को मालूम है कि विक्रम जोत खण्ड विकास, जो हरैया तहसील में है, कोई सीमेंट का स्टाकिस्ट नहीं है ? यदि हां, तो किसी को नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

---

† छापी नहीं गई।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

विक्रम जोत खण्ड विकास म कोई सीमेंट का स्टाकिस्ट नहीं है। उसकी नियुक्ति का इस विभाग से सम्बन्ध नहीं है।

४४–४५—श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)—

[६ठे सोमवार के लिये स्थकित किये गये]

४६—श्री जगदीशशरण रस्तोगी (जिला मेरठ)—

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित गिया गया।]

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों का रिटायरमेंट

४७—श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकायों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के रिटायर होने की अवधि क्या है? किन कर्मचारियों के लिए अवस्था की छूट का प्राविधान है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु ५८ वर्ष है। प्रतिबन्ध यह है कि जिन कर्मचारियों की आयु ३१ दिसम्बर, १९५५ को ५० वर्ष या उससे अधिक थी उनकी सेवा निवृत्ति की आयु ६० वर्ष होगी।

बहजोई टाउन एरिया में कुप्रबन्ध

४८—श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं) तथा श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया बहजोई, (जिला मुरादाबाद) का प्रबन्ध जिलाधीश मुरादाबरद के हाथ में लगभग २ वर्ष से होते हुये भी वहां की मुख्य सड़क की दशा ऐसी है कि किसी भी व्यक्ति का चलना उस पर कठिन है? क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र उसको बनवाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

टाउन एरिया बहजोई का प्रबन्ध जिलाधीश, मुरादाबाद के हाथ में ९ दिसम्बर, १९६१ को आया। यह सही है कि बहजोई की मुख्य सड़क की दशा शोचनीय है। उसको बनवाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। पहली सोलिंग के टेन्डर स्वीकृत हो चुके हैं और १ मार्च, १९६३ से सोलिंग का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। धनाभाव के कारण अभी केवल स्टेशन से बाजार तक सड़क निर्माण किया जा रहा है। शेष सड़क की मरम्मत अगले आर्थिक वर्ष में की जायेगी।

४९—श्री जुगलकिशोर तथा श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया बहजोई में २ पुलिया बनवाई गयी थीं और वह दोनों ही पुलियां बनने के बाद ही टूट गयीं? इस प्रकार से कितने रुपये की हानि हुई? क्या सरकार उन दोनों पुलियों को शीघ्र बनवाने की कृपा करेंगी और ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

जी हां। एक पुलिया ठेकेदार की गलती से टूट गई थी जिसे ठेकेदार से अपने ही खर्चे पर ठीक करने के लिये कहा गया है और वह ठीक भी हो चुकी है। दूसरी पुलिया का सीमेंट अन्दर से टूटा हुआ है जिससे प्रतीत होता है कि वह तोड़ी गई है। पुलिस की जांच कराई जा रही है फिर भी ठेकेदार से उसके खर्चे से ही मरम्मत करने के लिये आदेश दिये जा चुके हैं और शीघ्र ही मरम्मत हो जायेगी। कमेटी के धन की कोई भी हानि नहीं हुई, दुबारा मरम्मत पर ठेकेदार ही धन का व्यय कर रहा है।

प्रश्नों के स्थगन पर आपत्ति

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, आप एजेन्डे में देखें, मेरे प्रश्न ८–९ तीन बार पोस्टपोन हुये हैं, यह और कब तक पोस्टपोन होते रहेंगे ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

जब तक आप कांग्रेस का साथ देते रहेंगे। (हंसी)।

श्री अध्यक्ष—

इसमें हमारी भी गलती है और आपकी भी गलती है। हमारे नियमों में यह दिया हुआ है कि प्रश्नकर्त्ता को अपने प्रश्नों को भेजते समय यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि किस मंत्री और किस विभाग से उसका उत्तर आना है। माननीय सदस्य ने यह लिखा है कि क्या सरकार बतायेगी . . , आदि। अब इस प्रश्न को एक जगह भेजा गया। वहां से मालूम हुआ कि यह उनके विभाग से संबंधित नहीं है। फिर दूसरे विभाग को भेजा गया। अब इसमें यह लिखा गया कि "२७ मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न संख्या १–२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये"। इसको ट्रान्सफर किया गया है, स्थगित नहीं किया गया है। हो सकता है इसमें हमारी या आपकी गलती हो, मगर यह मजबूरी थी।

उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका सेवा नियमावली, १९६२ का शुद्धि-पत्र*

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका सेवा नियमावली, १९६२ के, जो सदन की मेज पर दिनांक ५ फरवरी, १९६२ को रखी गयी थी, शुद्धिपत्र को सदन की मेज पर रखता हूं।

लखनऊ में औद्योगिक प्रदर्शनी के "मां की पुकार" कक्ष में श्री झारखंडेराय के सम्बन्ध में कथित असत्य चित्रण तथा कथन के विषय पर प्रदर्शनी के आयोजकों एवं संगठनकर्ताओं के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय झारखण्डेराय जी, आप अपने प्रश्न को प्रेस कर रहे हैं ?

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

जी।

श्री अध्यक्ष—

आपने अपने विशेषाधिकार के प्रश्न में यह भी लिखा है कि जब आप वहां प्रदर्शनी देखने गये तो आपके साथ श्री जगदीशशरण अग्रवाल, एम० एल० ए० भी थे। इसमें बहुत सी अस्पष्ट बातें हैं, इसलिये मैं नियम ८२ के अंतर्गत इसको विशेषाधिकार समिति को भेज रहा हूं। यह लखनऊ में हो रही औद्योगिक प्रदर्शनी के भीतर "मां की पुकार" नाम के कक्ष के विरुद्ध है। इसे मैं पढ़े देता हूं।

> "लखनऊ में हो रही औद्योगिक प्रदर्शनी के भीतर 'मां की पुकार' नाम के कक्ष के आयोजकों तथा संगठनकर्त्ताओं के विरुद्ध सदन के अवमान और विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

लखनऊ में औद्योगिक प्रदर्शनी के भीतर 'मां की पुकार' नाम के कक्ष में ऐतिहासिक रूप से कुछ चित्रों का प्रदर्शन किया गया है। उसमें एक चित्र विधान सभा का है। उसमें मेरे

---

*छापी नहीं गयी।

लिये यह कहते हुये दिखाया गया है—और तस्वीर के नीचे मोटे अक्षरों में लिखा है 'उत्तर प्रदेश विधान सभा में श्री झारखण्डेराय ने गृह युद्ध की भी धमकी दे डाली'—कि मैं सदन में खड़ा होकर माननीय मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के सम्मुख गृह युद्ध की धमकी दे रहा हूं। उस स्थान पर जो चित्रों के व्याख्याकार हैं, वे भली भांति इस चित्र को समझाते हैं। यह केवल सदस्य का ही नहीं आदरणीय सदन का अवमान है। उत्तर प्रदेश विधान सभा में मैंने कभी गृह युद्ध की धमकी नहीं दी। ऐसी घटना कभी नहीं हुई। यह नितान्त असत्य है। सदन की किसी ऐसी कल्पित घटना का, जो कभी हुई ही न हो, और किसी माननीय सदस्य ने जो बात सदन में कभी कही ही न हो, और वह भी गृह युद्ध ऐसी अति गम्भीर बात—उसकी तस्वीर बनाकर दिखाना, न कहे शब्दों को माननीय सदस्य से कहलवाना, व्याख्या में उसका विस्तार समझाना, आदि सदन का अवमान और विशेषाधकार की अवहेलना का प्रश्न है।

अतः मैं इस सदन के अवमान और सदस्य के विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाता हूं। कृपया आज्ञा प्रदान करें।"

इस पर मेरी आज्ञा इस प्रकार है—यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न लखनऊ में हो रही प्रदर्शनी के भीतर "मां की पुकार" नाम के कक्ष के आयोजकों के विरुद्ध है। आयोजकों का नाम नहीं दिया गया है। अतः वे अज्ञात हैं। वहां पर कक्ष में कोई व्याख्याकार भी रहते हैं जो आगन्तुकों के समक्ष उस चित्र की व्याख्या करते हैं जो इस विशेषाधिकार अवहेलना का आधार है। किन शब्दों का प्रयोग व्याख्या के रूप में किया जाता है—अस्पष्ट है। जिस चित्र का उल्लेख है—उसका कोई प्रतिबिम्ब हमारे सामने नहीं है। न हमारे सामने आयोजकों की ओर से कोई स्पष्ट संकेत है कि किस प्रसंग में और कब माननीय झारखण्डेराय ने ऐसी बात कही। यह सब बातें ऐसी हैं कि जिनके कारण मैं अपना मत स्थिर नहीं कर सकता। अतः नियम ८२ के अन्तर्गत इस सूचना को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करता हूं कि वह पूर्ण जांच करके रिपोर्ट करे कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई या नहीं और यदि हुई तो किस के द्वारा। तदुपरान्त आगे कार्यवाही की जावेगी।

लखनऊ में औद्योगिक पदर्शनी के "मां की पुकार" कक्ष को पुलिस द्वारा हटाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब एक कामरोको प्रस्ताव श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी जी का है, इसे मैं पढ़कर सुना दूं:—

"स्थानीय झण्डेवाले पार्क में विद्यार्थी परिषद् के तत्वावधान में आयोचित 'मां की पुकार' प्रदर्शनी कक्ष में घुस कर पुलिस द्वारा बड़ी बेदर्दी के साथ तलाशी ली गई तथा पचासों चित्रों को उठा ले जाया गया। चिन्ता की बात यह है कि बहुत आग्रह करने पर भी ले जाने वाले सामान की कोई सूची नहीं दी गई। आयोजकों का दावा है कि पुलिस द्वारा बड़ा नुक्सान किया गया है तथा आयोजकों के प्रति अत्यन्त अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया है।

गत ३ सप्ताह से प्रदर्शनी को राजधानी तथा प्रदेश के हजारों नर-नारी देख रहे थे। उस समय शान्ति तथा सुरक्षा के लिये कोई खतरा नहीं अनुभव किया गया। अब जबकि विद्यार्थी परिषद् द्वारा प्रदर्शनी बन्द करदी गई थी और आगे किसी अन्य स्थान पर न ले जाने की घोषणा की जा चुकी थी, इस पर भी सरकार द्वारा यह आतंक उत्पन्न करने वाला कदम उठाकर जनतंत्र तथा जनहित की सरकार द्वारा घोर अवहेलना की गई है।

सरकार के प्रशासकीय अधिकारी, गुप्तचर विभाग के लोग तथा बहुत बड़ी संख्या में मंत्रियों तथा विधायकों द्वारा उसे देखा जा चुका है। अधिकारियों के निर्देश पर कुछ

[श्री अध्यक्ष]

आपत्तिजनक चित्र आयोजकों द्वारा हटाकर सरकारी नीति का सम्मान किया गया था । फिर भी, इस प्रकार की तानाशाहीपूर्ण कार्यवाही से सम्पूर्ण प्रदेश में सरकार के प्रति घोर उत्तेजना, असन्तोष तथा रोष का वातावरण उत्पन्न हो रहा है ।

अस्तु आप के माध्यम से मैं प्रस्ताव करूंगा कि लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर विचार करने के लिये आज सदन का कार्य स्थगित कर दिया जाय ।"

इसकी पुष्टि में "तरुण भारत" को संलग्न किया है । पहले तो अखबारों में जो समाचार छपते हैं उनके सम्बन्ध में यह स्पष्ट हम लोग जान लें कि इस आदरणीय सदन के पूर्वगामी अध्यक्षों का यह निश्चित मत रहा है कि समाचार-पत्रों के समाचारों पर हम कार्यवाही नहीं कर सकते जब तक कि कोई आदरणीय सदस्य स्वयं यह न घोषित करे कि उन्होंने स्वयं जांच की है और उन बातों को सही पाया है । दूसरी बात यह है कि हमारे सदन का नियम यह भी रहा है कि जब बजट के अनुदानों पर विवाद होता हो तो कोई दूसरा काम नहीं लेना चाहिये । हमारा १८४ या १८५ कोई ऐसा नियम भी है । बजट के चैप्टर में दिया हुआ है कि अध्यक्ष की सम्मति के बगैर कोई काम और नहीं लिया जायगा । मैं कुछ महत्व इसका जरूर दूंगा । माननीय झारखंडेराय का एक विशेषाधिकार का प्रश्न है, इस सदन में भी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ बातें हो चुकी हैं, अखबारों में बहुत कुछ छप चुका है । लेकिन मेरा खयाल है कि अभी पुलिस और प्रशासन के अनुदान बाकी हैं । जब अनुदान हमारे सामने आवेंगे तो उन पर सरकारी नीति जो कुछ एमर्जेन्सी के सम्बन्ध में हो, प्रशासन के सम्बन्ध में हो, पुलिस के सम्बन्ध में ही, ये बातें आ सकती हैं । तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि जब तक कि हम यह न समझ लें कि बजट में इतना अवसर नहीं मिलेगा कि आप अपने विचार प्रकट कर सकें, या हम यह समझ लें कि यह ऐसी आवश्यक बात है कि जिसे हमें अभी लेना जरूरी है, तब तक कार्य-स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न नहीं उठता । इस वजह से इसके महत्व को समझते हुये भी मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

आपके मुख से निकला कि यह ऐसा प्रश्न है कि इसे हम ज्यादा महत्व दें । इसके विषय में मैं २, ४ जुमले कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

हां, कहिये ।

श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी--

मेरी समझ में यह बहुत बड़े महत्व का प्रश्न है क्योंकि डी० आई० आर० का इस प्रदर्शिनी में प्रयोग हुआ है गलत तरीके से, जिसमें राष्ट्रीय तत्वों को बढ़ावा दिया जा रहा है और पब्लिक को एजूकेशन दिया जा रहा है, उनके हृदय में सुरक्षा के प्रति प्रेरणा मिले, राष्ट्रीय कार्यवाहियों का प्रदर्शन वहां हो रहा है । सरकार ने पहली बार डी० आई० आर० का प्रयोग राष्ट्रीय तत्वों के खिलाफ किया है । आज ये भले ही हमारे कम्युनिस्ट भाई कांग्रेस को अपने साथ पाकर राष्ट्रीय तत्वों का विरोध करें. . . . .

श्री अध्यक्ष--

माधोप्रसाद जी, आप डी० आई० आर० के अनुपयुक्त प्रयोग के सम्बन्ध में भाषण न कीजिये । आप सिर्फ इस सम्बन्ध में अगर कोई बात कहना चाहते हों तो कह दीजिये । डी० आई० आर० में क्या हो रहा है, यह दूसरी बात है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि कामरोको प्रस्ताव पर आपने निश्चित निर्णय दे दिया और उसे अस्वीकार कर दिया । उसके बाद आप किसी सदस्य को उसके बारे में बोलने की आज्ञा दें, यह सदन की परम्परा और नियम के विरुद्ध होगा ।

श्री जगनप्रसाद रावत (जिला आगरा)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आप किसी विषय पर वाद-विवाद की आज्ञा दें, वह अलग बात है। लेकिन जब तक आप आज्ञा नहीं देते, उस समय तक किसी विषय के सम्बन्ध में उसके पक्ष में या विपक्ष में आप अगर किसी को बोलने की आज्ञा देंगे तो उससे गलतफहमी हो सकती है। क्योंकि अभी हमारे एक सदस्य ने प्रदर्शिनी के बारे में कहना शुरू किया, उसमें इतनी बातें वह कह गये....

श्री अध्यक्ष---

वह बिल्कुल गलत कह गये हैं।

माधोप्रसाद जी, मैं आपसे एक बात बता दूं। डी० आई० आर० में जो कार्यवाही हुई उसका अधिकार जिला अधिकारियों को है। डी० आई० आर० का इस्तेमाल गलत हो रहा है या नहीं, इस बारे में आप सामान्य प्रशासन में, इमर्जेन्सी में, पुलिस में, कह सकते हैं, सब में कह सकते हैं। पालिसी का प्रश्न इस समय डिसकस नहीं होगा, न हो सकता है। जहां तक इसका सम्बन्ध है वह केवल एक समाचार पत्र पर है और जैसा मैंने कहा कि अनुदान के सिलसिले में चूंकि बोलने का अवसर है और उस वक्त आपको मौका मिलेगा। इस वक्त मैं इसको रूल आउट करता हूं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, केवल समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के आधार पर ही नहीं कह रहा हूं, व्यक्तिगत मेरी जानकारी भी कुछ है।

श्री अध्यक्ष---

तो आप उसे उसमें लिख देते।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। आपने अभी अपना निर्णय देते हुये कहा था कि विषय महत्वपूर्ण है और अभी चन्द्रजीत जी यादव ने जब कहा तब आपने कहा कि मैंने उसे मान्यता नहीं दी है। तो उस महत्व के प्रश्न को मानते हुये आप उसे मान्यता नहीं देते हैं। दोनों बातें कैसे चलेंगी ?

श्री अध्यक्ष---

रक्षपालसिंह जी बैठ जाइये, हो गया। आप रूलिंग को देख लीजिये। मैं यह समझता हूं कि महत्व का होते हुये अगर आसपास बहस का कहीं अवसर मिल सकता है और बहस हो सके, तो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

श्रीमन्, १ मिनट.....

श्री अध्यक्ष---

पहले आप बैठ जायं। पहले मेरा आदेश मानें फिर आगे कुछ होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र---

(बैठने के पश्चात् पुनः उठकर खड़े होने पर) श्रीमन् एक मिनट में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

जब तक मैं नियम ५२ को समाप्त नहीं कर लेता तब तक कोई बात नहीं होगी।

गोरखपुर जिलान्तर्गत महाराजगंज में स्थित गणेशशंकर विद्यार्थी स्मारक इन्टर कालेज में १५ मार्च, १९६३ को घटी घटना के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब माननीय नरसिंहनारायण पांडेय जी ने गोरखपुर जिले में महाराजगंज स्थित गणेशशंकर स्मारक इंटर कालेज के सम्बन्ध में सूचना दी है। उसको मैंने जिस रूप में माननीय नरसिंहनारायण जी ने दिया है पूर्ण रूप में तो नहीं स्वीकार किया है, लेकिन नियम ५२ के अन्तर्गत उसके एक अंश को स्वीकार कर लिया है जो गणेशशंकर स्मारक इंटर कालेज में १५-३-६३ की घटना के सम्बन्ध में है। माननीय मंत्री जी कब उसके विषय में सूचना देंगे ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री केशभान)--

हमें तो अभी नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, जरा देर हो गई, अभी वह भेजा जा रहा है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

मैं श्रीमन्, स्वयं वहां से आ रहा हूं। स्थिति बड़ी भयावह है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, कौन कह रहा है कि आप नहीं गये ? लेकिन मंत्री जी बता देंगे कि वह कब वक्तव्य देंगे।

श्री केशभान--

श्रीमन्, ३ दिन में दे सकेंगे।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि परीक्षायें चल रही हैं। अगर परीक्षा में बाधा पड़ेगी तो हजारों लड़कों का नुक्सान हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

आप ऐसी बात कह रहे हैं कि आपको ही सब फिक्र है, गवर्नमेंट को फिक्र बिलकुल नहीं है। सूचना वह तीन दिन बाद देंगे लेकिन कार्यवाही तो शुरू ही हो जायगी।

लखनऊ में औद्योगिक प्रदर्शनी के "मां की पुकार" कक्ष को पुलिस द्वारा हटाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

एक मिनट में मुझे अपनी बातें कहने का मौका दीजिये। श्रीमन्, जिस कुर्सी पर आप विराजमान हैं वहां से बैठकर मालूम होता है अनजाने में आपसे एक बात ऐसी निकल गयी है माननीय माधोप्रसाद त्रिपाठी के ऐडजर्नमेंट मोशन पर व्यवस्था देते हुये कि डी० आई० आर० की पालिसी के सम्बन्ध में कोई बात नहीं कही जा सकती। मैं समझता हूं कि ऐडजर्नमेंट मोशन पर पालिसी की ही बात तो कही जाती है। डी० आई० आर० के नाम पर भारत की सुरक्षा का कानून तो चलाया जा सकता है, लेकिन नेहरू सुरक्षा का कानून नहीं चलाया जा सकता।

श्री अध्यक्ष--

काशीनाथ जी, अब आप बैठ जाइये। मेरी व्यवस्था सुन लीजिये। जो आदेश दिया जा चुका है वह अन्तिम हो गया। अब उस सम्बन्ध में कोई बात नहीं होगी। अगर किसी माननीय सदस्य को, मैंने जो बात कही है उसमें कोई शंका हो तो मुझे प्रसन्नता होगी कि मेरे कक्ष में आकर मुझे समझा दें, मेरा माइन्ड हर वक्त ओपेन है और मैं अपनी गलती को सदन में भी स्वीकार कर लूंगा, लेकिन प्रार्थना है, कि सदन में उस पर विवाद न हो।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर यह कहना चाहता हूं कि जब आपने किसी विषय पर व्यवस्था दे दी तो उस विषय पर किसी माननीय सदस्य को नहीं बोलना चाहिये, किस नियम के अन्तर्गत आपने उसके बाद बोलने का अवसर दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है । अब आप भी न बोलिये । बैठ जाइये ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, मैं कोई ऐसी चीज नहीं कहूंगा जो असंगत हो । आपने जो निर्णय दिया है मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन आप यह भी समय हमें दे दीजिये कि आपके कक्ष में हम लोग कब आकर मिलें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपकी सेवा में साढ़े तीन बजे से साढ़े चार बजे तक रोज आया करता हूं । आज भी आऊंगा । मैं आपसे क्षमा मांगूंगा कि इधर बीमारी के कारण कुछ दिनों से नहीं आया था, आज से आऊंगा ।

विभिन्न समितियों के निर्वाचन का परिवर्तित कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष--

मुझे आपको एक सूचना देनी है । मेरा ऐसा मत है, सम्भव है आप में से कुछ लोग मुझसे सहमत न हों, लेकिन हमारे कुछ सहयोगियों का भी ऐसा मत है कि पिछले वर्ष हमने बड़े विलम्ब से कमेटियों का चुनाव किया था, इसलिये उनके बारे में कुछ ऐसा विचार है कि अभी कमेटियों में वे ही लोग रहें, लेकिन यह आपके निर्णय के ऊपर निर्भर है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, इस संबंध में आप कोई निर्णय न दें ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं । आज की तारीख इस बात पर विचार करने के लिये या नाम निर्देशन के लिये रखी गयी थी, लेकिन अब आज के बजाय नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि २३ मार्च, १९६३ के सायंकाल ५ बजे तक बढ़ायी जाती है । इसी तरीके से नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि के लिये २५ मार्च, १९६३, १२ बजे दिन तक और नाम वापसी की अंतिम तिथि २७ मार्च, १९६३ शाम ५ बजे तक होगी । निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान ३० मार्च, १९६३ को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे तक होगा । माननीय नरसिंहनारायण जी, अब कहें उनको क्या कहना है ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, इन नामों को आप यहां तय न करें । बनारसीदास जी की एक कमेटी है उस कमेटी में बैठकर तय किये जायं ।

श्री अध्यक्ष--

यह समय मैंने इसलिये ही बढ़ाया है कि इस बीच में आप मिल कर कोई बात तय करें, अगर नहीं तय होता तो चुनाव होगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, जो कमेटियां साल में एक बार भी नहीं मिलीं क्या उनका भी चुनाव होगा ?

श्री अध्यक्ष--

आपको तो मैंने बुलाया नहीं है, आप क्यों बोल रहे हैं ? तरीका यह है कि जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहें वे खड़े हों और मेरा ध्यान आकर्षित करें और अगर मैं उनका नाम पुकार दूं तो वे बोलें । आप नाम पुकारे बिना ही बोलने लगते हैं ।

एडवर्ड सप्तम सेनिटोरियम, भुवाली की कार्य-परामर्शदात्री समिति के निर्वाचन का प्रस्ताव

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, एडवर्ड सप्तम सेनिटोरियम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति में, विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री प्रतापसिंह तथा बुलाकीराम के रिक्त स्थान पर कार्य करने के लिये, विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय, आदेश दें, एडवर्ड सप्तम सेनिटोरियम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति में, विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री प्रतापसिंह तथा बुलाकीराम के रिक्त स्थान पर कार्य करने के लिये, विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

अभी आप ठहर जाइये। जो अभी मद नं० ९ स्वीकार हुआ है उसके लिये भी मैं वही तिथि निश्चित करता हूं, इसे सब सदस्य और इधर व उधर के नेतागण भी सुन लें ।

२३ मार्च, १९६३ को सायंकाल ५ बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय,

२५ मार्च, १९६३ को १२ बजे दिन तक नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की अंतिम तिथि तथा समय,

२७ मार्च, १९६३ को सायंकाल ५ बजे तक नाम वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय।

३० मार्च, १९६३ को निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे तक होगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिस वक्त कोई सदस्य यहां खड़ा होता है तो आप तो आदेश दे सकते हैं और देते हैं कि बैठ जाइये, लेकिन उधर से कुछ मन्त्रिगण भी आवाजें कसते हैं जिससे व्यवस्था और बिगड़ती है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं किसी को कोई अधिकार नहीं है यह कहने का कि बैठ जाइये, केवल मुझे ही यह कहने का अधिकार है कि बैठ जाइये।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, मेरा कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आपने अभी ३० मार्च, की तारीख चुनाव के सम्बन्ध में घोषित की है। ३० मार्च को शनिवार का दिन पड़ता है जो छुट्टी का दिन है। नियम के अनुसार सदन से बिना प्रस्ताव पारित कराये आप शनिश्चर का दिन नहीं ले सकते। इसलिये ३० तारीख के पहले आप चुनाव का दिन निश्चित कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसे आप आगे बढ़ा दें या पीछे कर दें।

श्री अध्यक्ष---

२७ तारीख तक हम देख लें। अगर आप कहेंगे तो बजाय ३० के २९ कर देंगे या कुछ सोचेंगे इसके बारे में ।

कतिपय विषय के सम्बन्ध में जानकारी

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक की यह परम्परा रही है कि नियम ५२ के अन्तर्गत जितनी सूचनायें आती थीं उनको आप पढ़ कर सुना देते थे और उनमें से एक को आप स्वीकार कर लेते थे। आज आपने नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय नरसिंहनारायण पांडेय जी की सूचना स्वीकार की। मैंने भी नियम ५२ के अन्तर्गत प्रदर्शनी कांड के सिलसिले में सूचना दी थी, तो उसके सम्बन्ध में आपने क्या विचार किया, उसे कल लेंगे या कब लेंगे, इसका कोई निर्णय आपने बतलाया नहीं।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे निवेदन कर दूं कि नियम ५२ (६) इस प्रकार है—

"एक ही दिन के लिये एक से अधिक विषय उपस्थित किये जाने की स्थिति में उस विषय को प्राथमिकता दी जायेगी जो अध्यक्ष की राय में अधिक अविलम्बनीय और महत्वपूर्ण हो।"

तो मैं एक ही ले सकता हूं। जिसको मैं नहीं लेता उसको नहीं सुनाता।

श्री मैनेजरसिंह—

अब तक की परम्परा तो यही रही है कि जो भी सूचनायें आती थीं उनको आप पढ़ कर सुनाते थे।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक मुझे ख़याल है मैंने तो कभी सबको पढ़ कर सुनाया नहीं। मैंने केवल उसी प्रश्न को पढ़ा जिसको स्वीकार किया। मान लीजिये अगर अभी तक ऐसी गलती होती रही, तो भविष्य में वही पढ़ा जायगा जिसे मैं स्वीकार करूंगा।

१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २९—समाज कल्याण

श्री अध्यक्ष—

अब वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के आय-व्ययक पर विचार होगा।

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)—

अध्यक्ष महोदय मैं प्रार्थना करता हूं कि आज मेरे विभाग का भी एक अनुदान है और चूंकि उस पर विवाद नहीं होना है, इसलिये अगर कोई असुविधा न हो तो कृपा कर उसकी इजाजत आप देदें तो वह पहले ही पेश कर दी जायं और सदन उनको पास कर दे तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। पहले इन तीनों अनुदानों को ले लिया जाय।

समाजकल्याण मन्त्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या २९—समाज कल्याण के अन्तर्गत ४६,९१,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिए अनुदान संख्या २९—समाज कल्याण के अन्तर्गत ४६,९१,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मंडल

न्याय मन्त्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत ४१,०७,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत ४१,०७,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय

सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या २७–सूचना निदेशालय के अन्तर्गत ५१,१२,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत ५१,१२,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१३३,

विपक्ष में—९८।)

अनुदान संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां

*श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां के अन्तर्गत ३,०४,८९,६०० की रुपये मांग स्वीकार की जाय।

मान्यवर, इस अनुदान के सम्बन्ध में कुछ कटौती के प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने दिये हैं। इस सम्बन्ध में जो कुछ भी विचार किया जा सकता था, विचार करके जो अच्छी से अच्छी स्कीम हम लोगों की समझ में आती थी वह आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई।

(इस समय १२ बजकर १२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

कटौती के जो प्रस्ताव हैं उनका तात्पर्य यह है कि कुछ सुझाव दिये जायं और कुछ आलोचनायें की जायं। मेरा ऐसा विचार है कि बजाय इसके कि मैं अपनी तारीफ करूं और अपने कारनामे आपके सामने पेश करूं, ज्यादा से ज्यादा समय यदि इस बात के लिये रखा जाय कि आलोचनायें हो जायं और ऐसे सुझाव दे दिये जायं जो वास्तविकता को ध्यान में रखकर हों, तो उनका मैं स्वागत करूंगा और कोशिश करूंगा कि जो पूरे हो सकने वाले हों उनको पूरा करने की कोशिश की जाय। फिर भी मैं मुनासिब समझता हूं कि किस तरह से विभाग काम करता है उसको आपको बता दूं ताकि सुझाव देने में माननीय सदस्यों को आसानी रहे और वे सुझाव ऐसे दें जो वाकई कार्यान्वित किये जा सकें। यह विभाग ४ प्रकार की पिछड़ी जाति के लोगों की सेवा करने की कोशिश करता है। शेड्यूल्ड कास्ट्स, विमुक्ति जातियां, डिनोटीफाइड ट्राइब्स, नोटीफाइड क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट रिपील कर दिया गया और उनके बाद उन जातियों को हम वह सुविधायें पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो क्रिमिनल ट्राइब खयाल करके उनको नहीं दी जाती थीं। उनमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी दो प्रकार के नागरिक हैं। एक वे जो एक जगह रहते हैं और दूसरे वे जो घूमते फिरते रहते हैं उनकी जितनी भी सेवा इस विभाग द्वारा हो सकती है की जाती है।

दूसरे एक खास शेडयूल्ड ट्राइब्स हैं। हमारे विधान में यह है कि कुछ ट्राइब्स शेडयूल्ड ट्राइब्स कहलायेंगे, लेकिन हमारे प्रान्त में कोई शेडल्यूल्ड ट्राइब्स नहीं हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिये हमने प्रेसीडेंट को लिखा और उनसे लिखा पढ़ी की जा रही है कि उनको शेडयूल्ड ट्राइब्स करार दे दिया जाय। लेकिन जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तब तक यह एक्सप्रेशन कर दिया गया है "नान शेडयूल्ड ट्रायबल्स"।

फिर अदर बैकवर्ड क्लासेज जो हैं, जो अनुसूचित जातियों में नहीं आतीं, उनकी सेवा की जाती है। तो चार प्रकार के हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं। जिनकी इस विभाग के द्वारा सेवा की जाती है। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इन चारों प्रकार के जो हमारे नागरिक हैं उनके सम्बन्ध में जो जो सुझाव हों वह अलग-अलग दिये जायं ताकि उनको पूरा करने की कोशिश की जाय और मैं उत्तर में यह बतला सकूं कि क्या-क्या किया जा रहा है, क्या किया गया और क्या करने का इरादा है।

अब एक मुख्य चीज है जो मैं सदन के सामने पेश करना चाहता हूं और प्रार्थना करूंगा कि आप इस पर राय दें। पहले जो यह अनुदान होते थे उनको जिलाधीश के अधिकार में दे दिया जाता था और जिला हरिजन सहायक समितियों की राय से उसका वितरण किया जाता था। अब यह कर दिया गया है कि जो कुछ हमको अनुदान की रकम देनी होती है उसे अब हम अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष के पास भेज देते हैं। हमने जिला हरिजन सहायक समितियां फिर से बना दी हैं और जिला हरिजन सहायक समिति तथा अध्यक्ष, अन्तरिम जिला परिषद् यह लोग मिल कर उसका वितरण करते हैं और विकास समितियों को भी अधिकार दे दिया है कि जिनको वे समझें कि वे व्यक्ति अधिकारी हैं उनको वे सुविधायें पहुंचायी जा सकें, क्योंकि यहां से बैठ कर यह सब मुमकिन नहीं था कि हम ठीक तरह से अन्दाजा लगा सकें कि किसको कितनी जरूरत है। तो यह एक तरीका निकाला गया है और हमारे एक माननीय सदस्य ने इसके खिलाफ अपना कटमोशन दिया है कि यह तरीका डिसेंट्रलाइजेशन का सही नहीं है। आप विचार करें कि यह तरीका ठीक है या नहीं, क्योंकि जब तक हम डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करते तो जो हमारा उद्देश्य है उसके हिसाब से पूरा-पूरा डिसेंट्रलाइजेशन करना ही आवश्यक है। जो कठिनाइयां आप देखेंगे इस में दूसरी पद्धति में भी बहुत सी कठिनाइयां हैं। इसलिये इसपर बैठ कर ठंडे दिल से विचार करना है। यह कदम एक प्रोग्रेसिव कदम है और हमारी कोशिश है कि रुपये का वितरण इस तरह से हो कि जो उसके मुस्तहक हों उन पर ही वह पहुंचे।

मैं यह भी निवेदन कर दूं कि जो थर्ड फाइव ईयर प्लान है उसमें दो सेक्टर हैं। एक सेन्टर का और दूसरा स्टेट का। सेंट्रल सेक्टर में २३४.३९ लाख रुपया रखा गया है और स्टेट सेक्टर में ९३० लाख रुपया रखा गया है। इस तरह से उस सेक्टर में पूरे प्लान में ११६४.३९ लाख रुपये का प्राविजन किया गया है और नान-प्लान में ६२५ लाख है। इस तरह से १७८९.३९ लाख रुपये की कुल स्कीम है।

आप देखेंगे कि थर्ड प्लान में तीन प्रकार की स्कीमें हैं। एक शिक्षा की, दूसरी है उनकी आर्थिक दशा ठीक करने की और तीसरी उनके स्वास्थ्य और मकान इत्यादि ठीक करने की है। इन तीन में हमने वितरण किया है जिसमें आंकड़े देने की आवश्यकता इस वक्त में नहीं समझता। इसके अतिरिक्त १०वें दर्जे से ऊपर जो स्टाइपेंड दिये जाते हैं उनके लिये ४४२.१० लाख रुपये रखे हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हम इन स्कीमों पर रुपया खर्च करते हैं और मैं चाहता हूं कि हर एक स्कीम के सम्बन्ध में जो सुझाव आप देना चाहते हों दें। जैसे शिक्षा के सम्बन्ध में है कि इस तरह से स्टाइपेंड वितरित किया जाता है, इस तरह के लम्प सम में सहायता हम देते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिये, कैसे होना चाहिये वह आप बतला सकते हैं।

[श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव]

फिर आप इस बजट में देखेंगे कि नान-प्लान आइटम्स में हमने १,९३,०४,३०० रुपये और प्लान में १,११,८५,००० रुपये रखे हैं। इस प्रकार साल का ३,०४,८९,३०० रुपये का प्राविजन है और पिछले साल ३,३६,१०,००० रुपये का प्राविजन किया गया था। इस प्रकार ३१,२०,००० रुपये की कटौती की गई है जिसके लिये हमको हमारे भाई चाऊ एन-लाई को धन्यवाद देना चाहिये। अब अगर आप और कटौती करते हैं तो उसका कोई मतलब होता ही नहीं है और मैं समझता हूं कि कटौती का मतलब कटौती करने का नहीं है, केवल सुझाव देने का है।

एक सदस्य---

चाऊ एन लाई आपके भाई हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

भाई तो हैं ही, सारा संसार भाई है।

इसमें आप देखें कि हमने शिक्षा का इन्तजाम कैसे किया है। एक तो हमने तीन आश्रम टाइप स्कूल गोरखपुर, रामपुर और हरद्वार में खोल रखे हैं। सन् १९६२-६३ में एक स्कूल लड़कियों के लिये भी उसी आश्रम टाइप का खोल दिया है। कुछ पालिटेक्निक का इन्तजाम भी बख्शी का तालाब में किया है। वह इस साल चालू हो जायगा। इसके अलावा हमने इंडस्ट्रियल इस्टेट्स कायम की हैं। सेकेंड प्लान में दस चलाई गई थीं और अब वह पूरी होने को हैं और ५ और कायम करना चाहते हैं। इसके अलवा जो शिक्षा देते हैं उसमें यह सहायता देते हैं कि पहले तो जो हरिजन भाई हैं उनकी फीस माफ कर दी है। जो लड़के पहले दर्जे से छठे दर्जे तक पढ़ते हैं उनकी फीस स्थानीय संस्थाओं को दे दी जाती है और सातवें से लेकर दसवें दर्जे तक की फीस इंस्पेक्टर के जरिये उन शिक्षा संस्थाओं को दे दी जाती है जिनमें हमारे हरिजन लड़के पढ़ते हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

इसी में गड़बड़ी है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

वह आप बता दीजियेगा। मेरे निवेदन करने का केवल तात्पर्य यही है कि इसमें जहां पर आप समझें सुझाव दें। फिर जो पोस्ट-मैट्रिक स्टाइपेण्ड देते हैं उसमें स्टूडेंट्स को खुद ही स्टाइपेंड के साथ उनकी फीस दे दी जाती है। फिर स्कालरशिप देते हैं और गैरसरकारी संस्थाओं को भी कुछ अनुदान देते हैं। इस प्रकार हम शिक्षा का इन्तजाम करते हैं। इस के अलावा टेकनिकल ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किये हैं नैनीताल, बख्शी का तालाब और गोरखपुर में। कोशिश की जा रही है कि उनका एवैलुएशन हो जाय बोर्ड आफ वोकेशनल ट्रेनिंग से। फिर इन संस्थाओं से पढ़े हुये जो लड़के निकलेंगे वे बोर्ड आफ वोकेशनल ट्रेनिंग से रेकगनाइज्ड माने जायेंगे और पब्लिक सर्विस कमीशन में उनका सेलेक्शन हो सकेगा। इस के अलावा नान-रेकरिंग ग्रांट्स और स्टाइपेंड्स जिनको हम समझते हैं कि देना चाहिये उनको दिये जाते हैं।

खासतौर से एक सवाल जो कटौती प्रस्तावों में आया है। यह वह है कि १८ परसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसके सम्बन्ध में आप लोगों को मालूम है कि सरकार की ओर से एक राधाकृष्णनन समिति नियुक्त की गई थी। उसने रिपोर्ट पेश कर दी है। लेकिन उसकी सिफारिशों को अमल में लाने के लिये बहुत सी चीजों की आवश्यकता है। हर जगह देखना है, आंकड़े इकट्ठा करने हैं कि किस सर्विस में कितने हरिजन हैं और कितने हो सकते हैं और कितने पब्लिक सर्विस कमीशन में जाते हैं और उनमें कोई होता है या नहीं जिसे वे सेलेक्ट करें। मस्लन हम डाक्टर चाहते हैं और कोई हरिजन उम्मीदवार नहीं जाता है तो कैसे पूर्ति की जाये ? इसलिये इसके लिये कोशिश की जा रही है। हम जो जनरल

एजूकेशन दे रहे हैं उसको प्राप्त करके जब लड़के आयेंगे तब तो हम पूर्ति कर सकेंगे। अब भी यह किया जाता है अगर हरिजन के मुकाबले में और कोई ऊंची जाति का आदमी होता है तो हरिजन के साथ रियायत की जाती है। लेकिन जहां उम्मीदवार ही न हों वहां कैसे पूर्ति कर सकते हैं ? हर जगह करने में कठिनाई है। इसके लिये यह किया जा रहा है कि किसी अधिकारी के सुपुर्द यह काम कर दिया जाय जो आंकड़े इकट्ठा करके एक सूची बनायें और हम देखें कि कैसे इसकी पूर्ति की जा सकती है। इस सम्बन्ध में जो सुझाव आयेंगे उन पर विचार किया जायगा। यह बड़ा मुश्किल काम है। हर जगह देखें कि १८ परसेंट हरिजन हैं या नहीं, लोकल बाडीज में हैं या नहीं, एजूकेशन में हैं या नहीं, कोआपरेटिव में हैं या नहीं और ऐसी निगाह रखें कि यह घटने न पाये। यह कठिन काम है और इसके लिये सारे लोगों के सहयोग की आवश्यकता है और सुझावों की आवश्यकता है।

एक प्रस्ताव यह है कि बाढ़ पीड़ितों में हरिजनों को काफी सुविधा नहीं दी जाती है। इसके सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि बाढ़ सभी के लिये आती है और इसमें यह भेद करना कि हरिजन का मकान गिरता है तो उसको सहायता दे दी जाय और ब्राह्मण का गिरता है तो न दी जाय, यह उचित नहीं है। आर्थिक दृष्टि से सहायता दी जायगी। इसके अतिरिक्त हरिजन विभाग से कुआं वगैरह के लिये जो और सहायता दी जाती है वह दी जायगी, न कि इस वजह से कि बाढ़ आई थी, बल्कि इसलिये कि वे हरिजन थे। बहिया वाली सुविधा में भेदभाव करना सरकार उचित नहीं समझती है। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य विचार करके बतायें कि किस प्रकार से वे चाहते हैं और क्या चाहते हैं।

फिर एक माननीय सदस्य ने शिक्षा के लिये भवन निर्माण के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये कहा है, मैं उनका इंतजार करूंगा और उस पर विचार करूंगा। अगर वे इसकी मिसाल बतायेंगे कि कहां अन्याय हुआ है तो आसानी होगी और अगर वे बता देंगे कि कोई जगह हरिजन भाई को मिल सकती थी वह उसको न देकर दूसरे को दे दी गई तो उसकी जांच करा ली जायगी और आगे एहतियात बरता जायगा कि ऐसी बात न हो। इन चन्द शब्दों के साथ मैं अनुदान पेश करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अपने सुझाव देंगे और जल्दी से जल्दी इसको पास करेंगे।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---

मैं माननीय मन्त्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि विमुक्त जातियों के बसाने के सम्बन्ध में जो रुपया भारत सरकार से आया उसके सम्बन्ध में आपने अभी कोई विवरण नहीं दिया.....

श्री उपाध्यक्ष---

अपने जवाब में माननीय मन्त्री जी कहेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के अनुदान की मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, सब से पहले तो मैं आपके द्वारा इस सदन के आदरणीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि अभी तक यह परम्परा रही है कि इस विभाग से उस के कार्यकलाप की एक पुस्तक हम सदस्यों को प्राप्त होती रही है जिसके आधार पर हम यह जानने में समर्थ होते रहे हैं कि इस विभाग ने अब तक कौन-कौन कार्यवाहियां कीं और उसके पूर्व इस सदन ने इस विभाग के बारे में कौन-कौन आलोचनायें कीं और उसकी तहत में उत्तरोत्तर सरकार ने कौन-सी कार्यवाही की। लेकिन, श्रीमन्, मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि आज उस परम्परा का भी निर्वहन इस विभाग के द्वारा या माननीय मन्त्री जी के द्वारा नहीं किया जा सका। मैं पुनः जोरदार शब्दों में यह कहता हूं कि इस साधारण परम्परा का निर्वहन अगर नहीं किया जा सकता तो यह इस सदन के माननीय सदस्यों के अधिकारों पर कुठाराघात है।

[श्री कल्पनाथसिंह]

अब मैं आपका और सदन का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा जहां हम को अपनी बात उपस्थित करनी है। यह देश दुनिया के सभी देशों में पिछड़ा हुआ कहा जाता है। यह आम चर्चा है। इस पिछड़े हुए देश में कुछ पिछड़ी हुई जातियां हैं। मार्क्स के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यह सवाल तब पैदा होता है जब कि एक तरफ समाज में वे लोग हों जिनके पास कुछ हो और दूसरी तरफ वे लोग हों जिनके पास कुछ न हो—हैव ऐंड हैव नाट्स का झगड़ा सारी दुनिया में है, हिन्दुस्तान में भी है। इस प्रसंग में मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि आज हिन्दुस्तान में समाज कितनी श्रेणियों में विभक्त है और उनकी क्या दशा है। इस ओर ध्यान न दे कर ध्यान यह दिया जाता है जिससे जाति की भावनायें फैलती हैं। श्रेणीविहीन और जातिविहीन समाज की रचना के लिये अगर एक शब्द भी मन्त्री जी के भाषण में मुझको मिलता तो मुझको बड़ी प्रसन्नता होती। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मन्त्री जी ने उस ओर संकेत नहीं किया अपने भाषण में।

अब मैं दूसरी तरफ आना चाहूंगा। जिस विभाग का यह अनुदान पेश है उसके बारे में कहा जाता है कि हरिजन, पिछड़ी हुई जातियां, तथा शेड्यूल्ड और नान शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की संख्या अगर देखी जाय तो केवल हरिजनों की संख्या लगभग २३ प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। न मैं हरिजनों की बात करता हूं, और न पिछड़े हुए लोगों में उन पिछड़े हुए लोगों की बात करता हूं जो पिछड़े हुए लोगों के नाम पर राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध करते हैं, लेकिन मैं उनकी बात जरूर करता हूं कि जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं उन्हीं जातियों में। और लोगों की बात छोड़ दें केवल उन्हीं जातियों में जिनका कि जिक्र है, उनमें जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी भी संख्या अगर एकत्र करके उसका एक सर्वेक्षण कराकर मन्त्री ने दिया होता कि इस प्रदेश में पिछड़े हुए लोगों में इतने लोग हैं, अनुसूचित जातियों में इतने लोग हैं, और दूसरे लोग इतने आज इस प्रदेश में इस बात के हकदार हैं कि जिनको दरअसल राज्य की सहायता मिलनी चाहिये, तो मैं समझता, लेकिन मुझे इस बात का भी अफसोस है कि मन्त्री जी ने अब तक ऐसा नहीं किया और न सिर्फ इन मन्त्री जी ने बल्कि इनके पूर्व जितने मन्त्री लोग रहे हैं, मैंने इनके पूर्व की बातें भी सुनी हैं, उनके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि बार-बार इनकी चर्चा हो रही है, लेकिन यह विभाग कतई इस बात पर ध्यान नहीं देता। होता क्या है? केवल राजनीतिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिये, वोटों से प्यास बुझाने के लिये, लोगों की मृगतृष्णा और जागृत करने के लिये यह विभाग वह जाल—बट्टे बिछाता है जो शायद और कोई दूसरा विभाग नहीं करता।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मन्त्री जी ने मोटे तौर पर गृह निर्माण के बारे में कहा, पहले मैं इसी आइटम को लेना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि इस समस्या के समाधान के बारे में अपने प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में क्या अन्तर है ताकि मन्त्री जी देखें कि वह कहां हैं और दूसरे प्रदेश कहां हैं। माननीय मन्त्री जी ने स्टेट सेक्टर और सेन्ट्रल सेक्टर दोनों की बात कही। मैं भी दोनों सेक्टर की बात कहना चाहूंगा कि स्टेट सेक्टर में यह विभाग कहां है और सेन्ट्रल सेक्टर में कहां है। हाउसिंग के मामले में आंध्र प्रदेश ने स्टेट सेक्टर में ६६.०९७ खर्च किया सेकेंड फाइव ईयर प्लान में और बम्बई ने २६.५३७, मद्रास ने ९२.८९३, मैसूर ने १३५.६५७, पंजाब ने १७.८७० और उत्तर प्रदेश श्रीमन्, १०.७२९ खर्च किया। यह स्टेट सेक्टर है इनका। सेन्ट्रल सेक्टर में भी इस विभाग ने उतना पैसा सेन्ट्रल गवर्नमेंट से नहीं लिया है जितना इसको लेना चाहिये था। काटेज इन्डस्ट्रीज के बारे में सेन्ट्रल सेक्टर से इस उत्तर प्रदेश ने खर्च किया है सेन्ट्रल सरकार से लेकर ५.७३५ और मैसूर ने ६.८१३, मद्रास ने २६.५९९ और श्रीमन्, इसी प्रकार अन्य प्रदेशों ने भी किया है। तो सेन्ट्रल सेक्टर में भी यह प्रदेश पीछे रहा और स्टेट सेक्टर में भी पीछे रहा जहां तक उद्योग धंधे और हाउसिंग का सवाल है। यह आंकड़े मैंने इसलिये रखे कि मन्त्री जी ने कहा कि सेन्ट्रल और स्टेट सेक्टर दोनों से इसकी सहायता होती है। मैं यह मानता हूं और फिर कह रहा हूं कि आप देखें कि इस प्रदेश में हरिजनों की समस्या कितनी गम्भीर है। यह उन लोगों की समस्या है जो भंगी कहलाते

हैं और शहरों में निकृष्ट काम करते हैं, जिनका समाज में सबसे नीचा स्थान है। मैंने माना कि उनके लिये पिछली बार थोड़ी कोशिश हुई थी, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है और उससे कोई ऐसा संकेत नहीं मिलता कि किस समय तक वह समस्या हल हो जायगी। एक निश्चित तिथि निर्धारित होना चाहिये कि इस तिथि तक प्रदेश में कोई भी भंगी बिना मकान का नहीं रहने दिया जायगा। इसी प्रकार इस प्रदेश के हरिजनों में अधिकांश खेत–मजदूर हैं। उनकी बहुत बड़ी संख्या है और अगर उनके लिये भी गृह व्यवस्था की गयी होती तो उचित होता।

अभी एक कटमोशन के बारे में बोलते हुए मन्त्री जी ने बतलाया कि बाढ़ वाले कटमोशन से उन्हें इतिहास नहीं है। बाढ़ ब्राह्मण आदि दूसरे वर्गों के मकान भी बहा ले जाती है और इसलिये उनमें आपस में भेद करना उचित न होगा। मैं कहता हूं कि अगर ब्राह्मण की एक हजार बीघा जमीन में से कुछ बह जाता है तो उसका क्या नुकसान होता है, लेकिन उसके साथ अगर एक गरीब हरिजन की भूमि बह जाती है तो वह बेचारा मिट जाता है, बरबाद हो जाता है। आपके ही महकमे की एक पुस्तिका से, जो १९६१–६२ की है, मैं एक उद्धरण देना चाहता हूं। इसके दूसरे पेज पर लिखा है कि गृह निर्माण के बारे में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में हरिजनों को गृह-निर्माण समस्या से अधिक जटिल समस्या गृह-निर्माण के लिये उपयुक्त भूमि का उपलब्ध न होना है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने यह मान लिया था कि गृह निर्माण से बड़ी समस्या है गृह निर्माण के लिये भूमि का उपलब्ध न होना, लेकिन उसके होते हुए भी आपने उस बात को कबूल नहीं किया। मुझे अफसोस है कि मन्त्री जी ने पता नहीं किस बात को देखकर कह दिया कि बाढ़ से और कटाव से जो नुकसान होता है उसके कारण वहां गृह-निर्माण की कोई विशेष योजना को लागू करने की आवश्यकता नहीं है, उसे वास्तविकता नहीं देते तथा जमीन वगैरह की सुविधा नहीं देते। इससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई। गृह-निर्माण योजना से ही सम्बन्धित एक और योजना है जिसका सारा रुपया लैप्स हो जाता है। मुझे खुशी होती यदि माननीय मन्त्री जी उस रकम का इस्तेमाल करते, लेकिन मन्त्री जी ने सीधे-सीधे कह दिया कि वे कोई भेद नहीं करेंगे। बाढ़ से तो जो मकान बह गये वह तो गये, लेकिन माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण से हमारे सब के बांध को भी तोड़ दिया है।

इसी सिलसिले में एक दूसरा निवेदन है। गृह-निर्माण की नीति निहायत गलत नीति है। आप रुपया देते हैं २००, २५० और ७५० तक, वैसे देता है दिया गया है, लेकिन जो रुपया दिया गया वह दरअसल उस आदमी के पास पहुंचा भी या नहीं? आपने कहा कि व्यवस्था बदल गयी, अब आप प्रजातांत्रिक व्यवस्था ले आये और हरिजन कल्याण समिति के माध्यम से जो रुपया खर्च होता था उसे अब अनुसूचित जाति समिति को दिया गया है। मेरा निवेदन यह है कि मन्त्री जी यह देखें कि जो रुपया दिया गया है हरिजन कल्याण विभाग ने उसकी जांच करायें कि जिन लोगों को यह रुपया दिया गया है और जिन्होंने रुपया लिया, उन्होंने मकान बनाया या नहीं। इस बात का आश्वासन दें कि उस रुपये का किस हद तक सदुपयोग हुआ है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं उन्हीं हरिजन भाइयों के बारे में, और वह है जल व्यवस्था के सम्बन्ध में कि उनको जल मिल सके और वह कुएं बना सकें इसके लिये उनको रुपया दिया जायगा। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन हरिजनों की कुओं के सम्बन्ध में दरख्वास्तें लगातार फाइलों में कई साल तक चक्कर काटती रहती हैं और वह तब मंजूर होती हैं जब कि किसी विभागीय अधिकारी का हिस्सा उसमें तय हो जाता है। यदि कोई मुझसे इस सम्बन्ध में जानकारी चाहेगा, तो मैं वह भी देने के लिये तैयार हूं। एक दिन मैंने प्रश्नोत्तर के सिलसिले में गोरखपुर जिले के बारे में एक डेफिनिट नाम भी लिया था कि फलां कुएं के लिये पैसा दिया गया, वह बना या नहीं और उसमें करीब चार साल हो गए हैं। वह मैं आपको बता दूं कि वह पैसा उस आदमी की जेब में नहीं गया और न वह कुआं ही बना। वह कुआं खाके पर ही पाया गया होगा। इसी प्रकार से मन्त्री जी के आंकड़े इस सदन में जवाब

[श्री कल्पनाथसिंह]

में मिलते हैं कि वह कुआं बना दिया गया। मैं यह बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से कुयें कागज पर ही बने हैं, तो कागज के कुओं का ही पानी हरिजन पी सकता है, वह वास्तव में पाताल से निकले हुए कुओं का पानी नहीं पी पाता है।

एक बात और मैं यह कहना चाहता हूं मन्त्री जी से, वह १८ फी सदी वाली जो चीज है.....।

समाज कल्याण उपमन्त्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)—

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य से यह भी जानना चाहूंगी कि वे उस विषय में अपने सुझाव भी देने का कष्ट करें कि किस प्रकार से मकानों का रुपया तकसीम होना चाहिये या गृह-निर्माण कराया जाना चाहिये। कृपया उस पर भी रोशनी डाल दें।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, मैं अपनी यह गलती कबूल करता हूं। समय कम होने के कारण मेरी निगाह घड़ी की ओर रही, इस कारण क्षमा चाहता हूं। जैसा कि अभी माननीया मन्त्राणी जी ने कहा तो उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि ब्लाक डेवलपमेंट कमेटियों की जो स्थापना हुई है, उनके माध्यम से, उनका नक्शा लेकर कि कितना लम्बा-चौड़ा हरिजनों का मकान वह बनाना चाहते हैं, वह कार्य हो सकता है। दूसरी बात कि जिस प्रकार से और दूसरे अनुदान दिये जाते हैं, कि कुछ में काम हो जाता है तब पूरा अनुदान दिया जाता है, उसी प्रकार यह भी अनुदान दिये जायें। इसके साथ ही साथ जो ए० डी० ओ० तथा बी० डी० ओ० उस ब्लाक का हो, उसकी डाइरेक्ट रिस्पान्सिबिलिटी हो कि अगर मकान नहीं बनता है, तो वह उस आदमी के खिलाफ कार्यवाही होगी। उसके साथ उस आदमी के भी खिलाफ कार्यवाही होगी जो पैसा मकान के लिये लेता है और उसका उपयोग नहीं करता है। मैं चाहता हूं कि अगर सरकारी पैसे का उपयोग न किया जाय और वह पैसा लेकर रख दिया जाय या दूसरे उपयोग में लाया जाय तो यह एक क्रिमिनल आफेन्स माना जाय और उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। हमारे मन्त्री जी तो स्वयं वकील हैं, वह स्वयं बतायें कि इसके लिये कौन-सी दफा लागू हो सकती है। अगर यह सख्ती बरती जाय, तो भ्रष्टाचार का निवारण हो सकता है।

श्रीमन्, अब मैं १८ प्रति शत वाली बात कहता हूं। मुझे इस बात की खुशी है और मैं इस बात के लिये बधाई भी देना चाहता हूं कि अभी उन्होंने एक बात की ओर संकेत किया कि एक अधिकारी मुकर्रर करेंगे जो इस बात की जांच करेंगे कि वह १८ परसेंट रिजर्वेशन पूरा हुआ है या नहीं। मुझे इसकी खुशी है और मैं इसके लिये मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन एक नुकसान जरूर होता है और वह इस प्रकार होता है कि हरिजन वेलफेयर की स्कीम में कागजी बहुत होती है। इसलिये कहीं यह बड़े अफसरों तक ही सीमित न रह जाय, अथवा कैरेक्टर रोल बचाने तक ही सीमित न रह जाय। मैं मांग करता हूं कि अफसर नहीं, कमीशन नियुक्त करें या किसी जज को उस काम के लिये नियुक्त करिये जो सरकार के ऐडमिनिस्ट्रेशन से बरी हो। सरकार तो बार-बार कहती है कि मैं इस दिशा में प्रयत्नशील हूं, लेकिन उसका एक नमूना मैं रखना चाहता हूं। वह है यहां के ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० और ब्लाक के कर्मचारियों के सम्बन्ध में। इसी सदन में प्रश्नोत्तर हुआ और विरोधी पक्ष की तरफ से सरकारी पक्ष के लोगों की तरफ से पूछा गया था कि क्या हालत है। प्रदेश में बी० डी० ओ० ७८२ हैं और उनमें हरिजन ६१ हैं। ए० डी० ओ० १,८८४ हैं और ४५ हरिजन हैं और ए० डी० ओ० (पो०) और (ऐग्रीकल्चर) की सूचना नहीं दी गयी। २,६६७ क्लर्क हैं और उनमें १२२ हरिजन हैं। यही मुहकमा तो है जो हरिजनों का वेलफेयर करता है। तो क्या हालत है हरिजनों के स्थानों की? अगर मन्त्री जी आश्वासन दे दें कि फलां तारीख तक मैं इस मुहकमे में भी उसकी संख्या पूरी कर दूंगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोग इस नाते परेशान नहीं किये जाते हैं कि वे हरिजन हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं अपने जिले की एक तहसील का। एक लालमन नामक हरिजन है जो लेखपाल है और अकेला हरिजन लेखपाल है पूरी तहसील में। उसको कभी भी २ महीने से ज्यादा एक पटवारी हल्के पर नहीं रहने दिया जाता। एक वजह है कि वह हरिजन है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—
क्या नाम बतलाया ?

श्री कल्पनाथसिंह—
लालमन। मैंने पूरा पता लगा रखा है। उसको कभी एक तहसील से दूसरी तहसील और दूसरी से तीसरी तहसील के हल्के में भेज दिया जाता है। उसकी तह में अगर जाइये तो पता लग जायगा कि उसका एक अवगुण है कि वह हरिजन है। अगर दूसरा अवगुण होता तो वह बेचारा कभी का निकाल कर बाहर कर दिया गया होता। श्रीमन्, एक नहीं ऐसी अनेकों मिसालें हैं जिनको ये अफसरान झूठे-झूठे लांछन लगाकर और झूठी चार्जशीट देकर मुअत्तल कर देते हैं और निकाल बाहर करते हैं। मैं चाहता हूं कि वे हरिजन अधिकारी जो अच्छा काम किये हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाय। उनको चार्ज शीट देनी हो या एक्सप्लेनेशन लेना हो तो वह जरूर विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाय, लेकिन ऐक्शन एक कमीशन द्वारा हो, यह जो भी कोई मन्त्री जी की ओर से इस काम के लिये नियुक्त हों, मैं नहीं चाहता कि उन भेड़ियों के हाथ में इन बेचारे गरीब और छोटे लोगों को छोड़ दिया जाय, जिनकी उनके यहां कोई वायस न हो, पहुंच न हो। यह दूसरी बात है कि उधर बैठने वाले लोग ज्यादा संख्या में हैं, माननीय रामप्यारे जी शायद नहीं हैं (देखकर) वह बैठे हैं, वह भले ही कहें कि हरिजन तो प्रफुल्लित हैं.....

(लाल बत्ती जलने पर)

कुछ समय और दे दीजिये.....

श्री उपाध्यक्ष—
आप ५ मिनट में समाप्त कर लें।

श्री कल्पनाथसिंह—
अब मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। कृषि के बारे में आप राजस्व मन्त्री जी से बात करिये। अपनी कैबिनेट के लोगों से बात कीजिये। बात करके जितनी किस्म की भी जमीन आपके पास पड़ी हुई है उसे आप गांव के हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को दे दीजिये। इससे मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं यह चाहूंगा कि इस पर माननीय मन्त्री जी अपनी बात को स्पष्ट करें।

कुटीर उद्योगों की बात है। आपने कहा कि इंडस्ट्रियल सेन्टर्स खोले जा रहे हैं। इससे काम नहीं चलेगा। आप यह निश्चित तौर पर वायदा कीजिये कि जो हरिजन हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, गरीब हैं, जिनके लड़के भगई पहन कर घूमते हैं, उनको इंसान की जिन्दगी व्यतीत करने दिया जायेगा। उनको निश्चित तौर से कोई धंधा दिया जायेगा, काम दिया जायेगा। उनकी बीमारी के वक्त उनको उचित सहायता मिलेगी।

शिक्षा के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। आप प्राविधिक शिक्षा को और बढ़ाइये। उसके लिये एक टार्गेट फिक्स कीजिये। आप इन लोगों के लिये जो कुछ करने जा रहे हैं, उसका अधिक से अधिक प्रमाण हमको मिलना चाहिये।

जब माननीय बहुगुणा जी बोल रहे थे, उन्होंने खेत-मजदूरों के बारे में कहा था कि यह तो प्लानिंग और हरिजन विभाग का काम है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप अपने लाड़लों को जो मोटी-मोटी तन्ख्वाह देते हैं, उनसे कहिये कि वे खेत-मजदूरों की एक यूनियन बनायें। हम अगर बनायेंगे तो आप कहेंगे कि यह पोलीटिकल स्टन्ट है, इसलिये उनको बनाने के लिये

[श्री कल्पनार्थसिंह]

कहिये। उसमें हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग होने चाहियें। केवल ४ आना या ६ आना मजदूरी से उनका काम चलने वाला नहीं है। जो मिनिमम वेज ऐक्ट है उसका भी पालन नहीं हो रहा है। कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, उसका भी पालन नहीं हो रहा है, उसने कहा था कि ३२–४५ रुपये तक विभिन्न जिलों की परिस्थिति के अनुसार मिलना चाहिये।

माननीय मन्त्री जी पंजाब की नकल करें। पंजाब ने फैसला किया कि एक हजार से कम आमदनी वालों को वह पिछड़ा हुआ मानते हैं। आपके यहां भी यह घोषणा होनी चाहिये कि ऐस-ऐसे लोग पिछड़े हुए हैं। मैं तो यह कहूंगा कि अगर कोई ब्राह्मण भी सहायता पाने का अधिकारी है तो वह उसे मिलनी चाहिये। लेकिन उनको देने के नाम पर हरिजनों को ढकेला नहीं जा सकता। अगर मिनिमम वेजेज ऐक्ट का पालन नहीं होता है तो उसमें ब्राह्मण भी मारा जाता है, हरिजन भी मारा जाता है। मैं यह चाहूंगा कि इन सारे लोगों में एक दूसरे का फर्क पैदा करके गड़बड़ी करने की बात नहीं होनी चाहिये। मैं निवेदन करता हूं कि आप हरिजनों को विशेष अवसर देने की कृपा करेंगे। कृपया आप अपने भाषण में, मन्त्री जी, यह बतायें कि आप उन हरिजनों को कौन-कौन से विशेष अवसर प्रदान कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष––

अब आप समाप्त कर दीजिये।

श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो हरिजन ग्रान्ट सदन में पेश हुई है और उसमें माननीय कल्पनार्थसिंह जी की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसका मैं विरोध करता हूं। उन्होंने जैसा कटौती का प्रस्ताव रखा है कि सम्पूर्ण धनराशि घटाकर एक रुपये कर दी जाय, वह तो बिल्कुल अप्रासंगिक है।

माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि चीन द्वारा आक्रमण के कारण कुछ मदों का काट करके रुपया लिया गया है। इसमें से जो भी रुपया काटा गया है, यह हरिजनों के लिये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन जहां तक देश का सवाल है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक हरिजनों का सवाल है हरिजन अपना सहयोग देने में न कभी पीछे रहा है और न कभी रहेगा।

जब से यह हमारी सरकार आयी है तब से हरिजनों के सम्बन्ध में जितने भी कार्य हुए हैं वे सराहनीय हैं लेकिन मैं सरकार का ध्यान खास तौर से एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं। शिक्षा की छात्रवृत्ति का जहां तक प्रश्न है उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि छात्रवृत्ति अभी ऊंचे दर्जे में ही दी जाती है। लेकिन जहां तक छोटे क्लासों में छात्रवृत्ति का प्रश्न है वह डी० ई० ओ० या बोर्ड द्वारा दी जाती है लेकिन मैं चाहता हूं कि यदि गवर्नमेंट उसको अपने हाथ में ले ले और नीचे के क्लासेज में छात्रवृत्ति न देकर नवें और दसवें क्लास के बालकों तक अनिवार्य छात्रवृत्ति का प्रबन्ध कर दें तो अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय रामसमझावन जी, आप बाद में बोलियेगा। हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ४ मिनट पर अधिष्ठाता, कुंवर श्रीपालसिंह, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामसमझावन––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा था कि छात्रों को छात्रवृत्ति तो दी जाती है लेकिन कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स ऐसे भी हैं और ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि छात्रों को या तो ठीक समय से छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है अथवा जो धन दिया जाता है, वह उनको पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। इसके बारे में मेरा सुझाव यह है कि आफिस से उन लोगों के नाम मांग लिये जाने चाहियें जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। इसके बाद उन लोगों को अथवा उनके अभिभावकों को डायरेक्ट छात्रवृत्ति का रुपया भेज दिया जाया करे तो अच्छा होगा।

इसके अलावा रहने के लिये जो छात्रावास में अलग-अलग प्रबन्ध होता है वह नहीं होना चाहिये बल्कि सम्मिलित छात्रावासों को ही धन दिया जाना चाहिये और यह नियम बना दिया जाय कि जो लोग सम्मिलित छात्रावास में रहेंगे उनको अधिक सुविधायें दी जायंगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिये भी अधिक से अधिक रुपया उनको दिया जाना चाहिये।

टेक्निकल शिक्षा भी छोटी-मोटी दी जाती है। उनमें से कुछ बच्चे निकलते भी हैं, लेकिन उनको कोई स्थान न मिलने से बहुत परेशानी होती है। इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि जो बच्चे ट्रेनिंग से निकलें (चाहे वह कोई भी ट्रेनिंग हो), उनको तुरन्त जगह दी जाय, ताकि उनकी परेशानी दूर हो सके।

अनुदान के सम्बन्ध में जैसा कि बताया गया है वह हरिजन विभाग से दिया जाता था। लेकिन इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ब्लाक्स को अधिकार दिये गये हैं। ब्लाक्स में इसके लिये कमेटियां बनीं हैं लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक ग्रान्टीज को रुपया नहीं मिला है। मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मन्त्री जी इसकी जांच करायें कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कितना धन बांटा गया है और कितना धन उन लोगों को दिया जा चुका है, और ग्रान्ट्स इन एड किन-किन लोगों को दी गयी है। मेरा भी विश्वास है कि ऐसी बहुत-सी शिकायतें हैं क्योंकि ग्राम सेवक, या सेक्रेटरी या ब्लाक के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं कि हरिजन ग्रान्ट जो मिलता है उसके अनुसार उनको ज्यादा से ज्यादा मदद दें। उनको तो पूरे ब्लाक की चिन्ता रहती है और वे समझते हैं कि हमारे ऊपर एक और भार दे दिया गया है और वे अपनी पूरी रुचि उसमें नहीं दिखलाते। तो आवश्यकता इस बात की है कि जैसे पहले विभाग के सुपरवाइजर होते थे जो उनके कामों की देखभाल करते थे और अपनी रिपोर्ट लिख कर जो देते थे उसी के अनुसार रुपया मिल जाता था, उसी तरह से मैं चाहूंगा कि हरिजन विभाग द्वारा ही सुपरवाइजर नियुक्त किये जायं और केवल उनके द्वारा ही ग्रान्टीज को रुपया दिया जाय। हरिजन विभाग अपनी पूरी जांच-पड़ताल कर ले, उसके बाद ही रुपया दे। ब्लाक्स के अन्दर बड़ी कमेटी बनी हुई हैं जहां हर प्रधान चाहता है कि हमारे आदमी को ग्रान्ट दी जाय। पहले छोटी कमेटी जिले में तहसील स्तर पर या ब्लाक स्तर पर होती थी उसी के जरिये किसी को मकान या कुएं के लिये अनुदान दिया जाता था और उससे बहुत कुछ लाभ होता था। लेकिन पिछले सालों से यह शिकायत बराबर चली आ रही है। खास-तौर से सरकार ने हर हरिजन बस्ती में कुएं बनवाने का प्रबन्ध किया है और काफी कुवें बने भी हैं, लेकिन आज भी शिकायत है और गांवों में घूमने से पता चलता है कि आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां हरिजनों को पानी पीने के लिये कुएं नहीं हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार भी सुझाव दिया था, सरकार को चाहिये कि हर हरिजन अधिकारी या ब्लाक अधिकारी को नोटिस दे कि वे अपने क्षेत्र के उन गांवों की लिस्ट तैयार करें जहां आज तक पानी पीने के लिये कुएं नहीं बने हैं, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दें कि वहां कुएं बनवाये जायं और वे कुएं खास तौर से हरिजन विभाग द्वारा बनवाये जायं। लेकिन अफसोस की बात है कि १० साल के अन्दर भी एक-एक गांव में आज तक पानी पीने के कुएं नहीं बन सके। अगर कोशिश की गयी होती तो अब तक कोई भी गांव ऐसा नहीं रहता जहां पीने के लिये कुएं न बन गये होते, लेकिन दुख की बात है कि बहुत से गांवों में हरिजनों को तालाब, नदी या और कहीं दूर से पीने के लिये पानी लाना पड़ता है। आज भी गांव में ऐसे लोग हैं जो छुआछूत के नाम पर उसे कुएं पर पानी नहीं भरने देते। इसलिये सरकार को चाहिये कि इसके लिये कड़ी कार्यवाही करे ताकि यह कार्य पूरा हो सके।

इसके अतिरिक्त सीट्स रिजर्वेशन के बारे में भी पिछले कई वर्षों से काफी चर्चा चली आ रही है कि हमारा १८ प्रतिशत संरक्षण सर्विसेज में हो। लेकिन अगर देखा जाय तो १८ प्रतिशत संरक्षण होने के बावजूद भी किसी विभाग में वह प्रतिशत आज तक पूरा नहीं हो पाया है। पिछले दिनों जुलाई सन् १९५९ में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक कमेटी नियुक्त की गयी थी। उस कमेटी ने कुछ सुझाव दिये और उस कमेटी की सिफारिशों के अनुसार, तीन साल का समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्य नहीं हो सका है। सिर्फ एक परिपत्र पेश कर दिया गया कि ये सुझाव थे। उस

[श्री रामसमझावन]

कमेटी के सुझाव बहुत अच्छे थे और सरकार को चाहिये कि वह अपने अधिकारियों से उस पर विचार-विमर्श करे और उन पर अमल करे। मेरा विश्वास है कि यदि उस कमेटी के सुझावों पर विचार करके काम किया जायगा तो हरिजनों को १८ प्रतिशत संरक्षण के संबंध में शिकायत करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसके लिये मैं यह सुझाव देता हूं कि जिले में जो छोटी-मोटी कमेटी बनाई जायं उनमें हरिजनों का एक व्यक्ति चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी, अवश्य होना चाहिये और इस बात का ख्याल होना चाहिये कि हरिजनों का कोटा अवश्य पूरा हो ।

जहां तक रोजगार कार्यालय का संबंध है, उसका काम बेकार लोगों को काम देने का है लेकिन आये दिन यह शिकायत मिलती है कि कहीं पर कोई जगह खाली होने के बावजूद भी उसकी सूचना समय पर नहीं दी जाती और पत्र का जवाब तक नहीं दिया जाता । रोजगार कार्यालय की तो यह जिम्मेदारी है कि समय पर खाली जगह की सूचना दी जाय । अक्सर यह देखा जाता है कि या तो सूचना दी ही नहीं जाती और यदि कभी सूचना दी भी जाती है तो वह ऐसे समय दी जाती है जिससे वह मौका ही हाथ से निकल जाता है । विभाग की तरफ से रोजगार कार्यालय को इस तरह की हिदायत होनी चाहिये कि भविष्य में हरिजनों को रोजगार देने के विषय में विशेष ध्यान रखें ।

अनुसूचित जातियों को कमीशन की परीक्षा आदि में बैठने के लिये भी कुछ रियायत मिलनी चाहिये जिससे उनको कोई दिक्कत न हो। खास कर लिपिक व छोटी मोटी नौकरियों में भी जब हरिजनों का परसेंन्टेज पूरा नहीं होता है तो हमें बहुत ज्यादा दुःख होता है। खास तौर से चपरासी की जगह या छोटे क्लर्कों की जगह पर भी यही बात होती है और सदस्य गण प्रश्न करते हैं तो जवाब मिलता है, कि योग्य आदमी नहीं मिलते । चपरासियों के पद के लये जहां तक की योग्यता का प्रश्न नहीं उठता है वहां भी अभी तक १८ प्रतिशति लोग सर्विस में पूरे नहीं हुये हैं । लेकिन इसका कारण यह है कि इन लोगों को इन छोटी जगहों पर भी इसलिये नहीं रखा जाता है क्योंकि वह उन अफसरों के काम में बाधा पहुंचाते हैं या वे उनके घर के कामों को छूतछात की वजह से ठीक से नहीं कर पाते हैं और इस तरह योग्यता आदि का बहाना मात्र कर दिया जाता है। इस तरह के जवाब सरकार भी सदन में उन्हीं से प्राप्त जवाबों के आधार पर देती है । मैं समझता हूं कि इन छोटी नौकरियों में तो सरकार बड़ी आसानी से उनके प्रतिशत को पूरा कर सकती है उसको चाहिये कि इस सम्बंध में सख्त आदेश देकर वह इस प्रतिशत को पूरा कराये ।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपने अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के अनुदान पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। जब से इस सरकार ने सत्ता अपने हाथ में ली है उससे पहले इस तरह के कार्य हरिजन उद्धार आदि के लिये गैरसरकारी संस्थायें काम करती थीं, जैसे आर्य समाज, दलित वर्ग संघ, शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन आदि संस्थायें थीं। उनके द्वारा हम उनकी सामाजिक उन्नति का काम तो करते थे लेकिन उनकी आर्थिक उन्नत्ति सम्भव नहीं थी, लेकिन बाद में केन्द्रीय सरकार और प्रोदेशिक सरकारों द्वारा उनकी सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की उन्नति का प्रोग्राम रखा गया। आरम्भ में तो यह कार्य बड़ी तेजी से चला और उसके बाद यह विभाग जितने पुराने होते चले गये उतना ही हम हरिजनों की ओर अनुदार होते चले गये । मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि अब इस विभाग को लावारिस समझ लिया गया है, क्योंकि पहले यह एक मंत्री के सुपुर्द होता था, लेकिन जब वह एक मंत्री के सुपुर्द होता था, लेकिन अब कोई मंत्री इस विभाग को लेना पसन्द नहीं करता है। हमारा उत्तर प्रदेश में ही ऐसा अनुभव है कि माननीय गुप्ता जी ने भी इस विभाग को समाज-कल्याण विभाग के साथ जोड़ा है और किसी मंत्री ने उसको लेना पसन्द नहीं किया । इस तरह से जो भी काम हरिजनों के लिये देश में हो रहा है उसमें यह प्रदेश सबसे पीछे है क्योंकि इसी देश में अन्य सरकारों ने हरिजनों के लिये बड़े बड़े काम किये हैं। पंजाब सरकार ने हरिजनों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये उनको मोल लेकर जमीनें दीं हैं और उससे उनकी स्थिति ऊंची उठी है ।

माननीय पंत जी ने केन्द्रीय सरकार में बोलते हुये पंजाब सरकार के इस कदम की सराहना की थी कि इस तरह से वह मुकदमेबाजी से बच जायेंगे और उनको लाभ होगा। इस कार्य के लिये तराई क्षेत्र के सम्बन्ध में एक कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष श्री बलदेवसिंह आर्य थे। जो जमीन पहले जमींदारों के पास थी और जमींदारी-खात्मे बाद निकली वह लाखों एकड़ जमीन वन विभाग में शामिल कर दी गई। उस कमेटी पर लगभग ८० हजार रुपया व्यय हुआ और सम्पूर्णानन्द—मिनिस्ट्री के बाद उसके सारे कागजात को लपेट कर अलमारी में रख दिया गया और न मालूम उसका क्या हुआ। तहसीलदारों और परगनाधीशों के नाम सरकार ने आदेश भेजे कि गांवों की परती जमीन भूमिहीनों और हरिजनों को दी जायं, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। मंत्री जी ने कहा कि हमारे देश पर साम्यवादी देश ने हमला किया है और इस कारण से इस बजट में ३१ लाख रुपये की कटौती कर दी गई है, सरकार चाहती है कि इस रुपये को किसी अन्य जगह लगाया जाय। जब यहां बहस होती है कि हमारे देश की सीमा पर चीनी फौज आ रही है तो कहा जाता है यह केन्द्र का विषय है। लेकिन इस सरकार ने ३१ लाख रुपया हरिजन फंड से काट दिया जबकि केन्द्र की सरकार ने रुपया हरिजनों के लिये अधिक रखा है। अतः मंत्री जी विचार करें कि जो हरिजन पिछड़े हुए हैं जिनकी वजह से साम्यवाद को प्रोत्साहन मिल सकता है उनकी गरीबी दूर करने से साम्यवाद नहीं आ सकता। इसलिये ३१ लाख घटाना नहीं था, बल्कि ज्यादा रुपया रखना चाहिये था।

मैं माननीय कल्पनाथसिंह की उस बात की पुष्टि करता हूं कि यदि हम लोग उन कामों में जो सूबे के अन्दर हैं, जिनसे लोग गन्ने की तथा अन्य पैदावार करके रुपया कमा रहे हैं, वहां पर काम करने वालों की सरकारी तौर पर यूनियन बनायी जाय और सुपरवाइजर को आदेश हो कि वह यूनियन बनवायें। यदि कोई आज यूनियन बनाने के लिये खड़ा होता है तो कहा जाता है कि पोलिटिकल व्यू से काम किया जा रहा है। इसलिये मेरा सुझाव है कि जितने भी फार्म हैं सूबे में उनकी जांच होनी चाहिये और उनमें काम करने वाले मजदूरों की यूनियन बनायी जावें। पूर्वी जिलों में अब भी दो, ढाई आना मजदूरी दी जाती है, एक मुट्ठी उबला हुआ चना और एक कटोरा शीरा का शर्बत मजदूर को दिया जाता है बड़े फार्मों पर ८ रु० माहवार मजदूरों को दिया जाता है, और जब कभी उनके यहां शादी आदि होती है और रुपया उनको चाहिये तो फार्म के मालिक उनको कर्ज का रुपया दे कर जीवन भर के लये कर्जदार बना लेते हैं। दास प्रथा जो दुनिया के देशों में प्रचलित थी लोगों को बेच दिया जाता था, वह दशा हमारे प्रदेश में अब भी खास कर पूर्वी जिलों में प्रचलित है। गरीब तबके के आदमी अब भी बिके हुए रहते हैं। मंत्री जी जांच करायें कि सरकार के सन् १९५७ के आर्डर के बाद कितने लोगों को जमीनें दी गईं और वह जमीनें अन्य किन-किन को दी गई। अगर किसी के पास पहले से भूमि है तो और नई जमीन उनको दी गई है तो उसको उनसे वापस लेकर भूमिहीनों को दी जानी चाहिये।

अब मैं हरिजनों की शिक्षा के विषय में कहना चाहता हूं। शिक्षा उस तरह की नहीं हो रही है जिस तरह की होनी चाहिये। छात्रवृत्ति दी जाती है लेकिन उसके लिये ६, ६ महीने इंतजार करना पड़ता है। पुस्तकों की सुविधा सबसे पहले दी जाय और वजीफें जो हाई स्कूल से ऊपर की क्लासेज में अनिवार्य रूप से दिये जाते हैं वह तो ठीक है लेकिन छोटे क्लासों में पुस्तकें अनिवार्य रूप से दी जायं। १८ फीसदी का रिजर्वेशन करने पर लगभग सवा दो फीसदी ही नौकरी मिली है, जैसा प्रांत के गवर्नर महोदय ने २, ३ साल पहले बताया था। एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज में हमारे बच्चे नाम लिखाने जाते हैं, रिजरवेशन कराने के लिये जाते हैं तो वहां के सरकारी कर्मचारी अपने आदमियों को, वह चाहे कहीं का रहने वाला हो, उसका नाम पहले से रजिस्टर करा देते हैं और उन्हीं को नौकरी दिलाते हैं, खासकर चपरासियों की नौकरी में। सरकार की नीति थी कि चपरासी हटा दिये जाने चाहिये। इसलिये कि वह सरकारी काम न करके उनसे अफसर घरों का काम लेते हैं और जिन लोगों के दिल में छुआछूत भरा हुआ है वह सरकारी नौकरी में हरिजन लड़कों को इसलिये नहीं लेते हैं कि उनसे वह घर का काम नहीं करा सकेंगे। इसलिये उनको चपरासियों में नहीं रखा जाता है। बड़ी नौकरियों के बारे में भी यही बात है। मेरा

[श्री श्रीराम]

सुझाव है कि हरिजन लड़कों को शार्टहैंड और टाइप सिखाने के लिये छात्रवृत्ति दी जानी चाहिये और प्रत्येक जिले में इसकी व्यवस्था होनी चाहिये, यह स्कूल सरकारी तौर पर खोल देने चाहिये जिससे सरकारी नौकरियों में हरिजन उम्मीदवारों को सुविधा मिले । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं मंत्री जी को अनुदान के लिये धन्यवाद देता हूं । कांग्रेस सरकार ने हरिजनों के उत्थान के लिये जो प्रयत्न किया है वह सराहनीय है । मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । एक चीज तो यह है कि इस विभाग का नाम अब तक हरिजन एवं समाज कल्याण रहा है । लेकिन अभी यह मालूम हुआ है कि रायल होटल में बोर्ड लगा है 'समाज एवं हरिजन कल्याण' । कारण पता लगा कि कोई अधिकारी आये हैं जो पसन्द नहीं करते हैं कि हरिजन शब्द पहले रहे । इसलिये हरिजन शब्द बाद में रखा गया । अगर ऐसी भावना है तो ठीक नहीं है । सबसे बड़ी परेशानी जो जिलों में हो रही है वह विकेन्द्रीकरण योजना से है । जो ग्रांट जिलों में जाती है वह हर ब्लाक में बांट दी जाती है । यह सबसे बड़ी दिक्कत है । कुछ प्रधान लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को रुपया देते हैं जो बेचारे बनवा नहीं सकते । प्रधानों की पासबुक में रुपया जमा हो जाता है । पहले जो रुपया सीधे दिया जाता था वह अच्छा था । अतः पहले जो हरिजन कल्याण समिति करती थी वही करे । जो ब्लाक उप-समिति है वहां से सुझाव आये, वह नाम की सिफारिश कर दे लेकिन फाइनल जिले की हरिजन कल्याण समिति करे । इससे ब्लाक कमेटी का सुझाव भी आ जायगा और जिले की हरिजन कल्याण समिति उसको फाइनल कर देगी, उसका भी सुझाव आ जायगा । इस तरह से जो अभी दिक्कतें हैं वह दूर हो जायंगी ।

सिंचाई के कुओं के लिये लाखों रुपया सरकार ने दिया है पूर्वी जिलों में । लेकिन १ फी सदी भी हरिजन उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं । जिसका कारण यह है कि नियम यह है कि जो भी व्यक्ति तकावी लेकर कुआं बनावेगा उसी को रुपया दिया जायगा अन्य किसी को नहीं तकावी रूल्स में जो दिक्कतें हैं वह सबको मालूम है । उनके पास अपनी जायदाद न होने से वह तकावी नहीं ले पाते हैं, इसलिये लाखों रुपया बेकार पड़ा है । अतः सरकार को इस पाबन्दी को हटा देना चाहिये कि तकावी जो ले उसी को दिया जाय ।

तीसरी चीज यह है कि बेलदार और खरवार, दो जातियां हैं हमारे जिले में । केवट वह जाति है जो बैकवर्ड है, वह अपने को बेलदार कहते हैं । उसी तरह खरवार लोग कहार हैं, वह बैकवर्ड हैं । लेकिन कहार अपने को खरवार कह कर और केवल वह बेलदार बन कर उन्हीं सुविधाओं को लेते हैं और यही लोग हरिजनों के साथ घृणा का व्यवहार करते हैं । इसलिये सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिये कि बेलदार और खरवार जिन जिलों में रहते हैं उन्हीं को पैसा दिया जाय । छुआछूत जब तक खत्म नहीं होती तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है । इसलिये मैं चाहूंगा कि जाति सूचक जो नाम हैं उसको प्रोत्साहन न दे, खासतौर से जैसे सिंह, त्रिपाठी, गुप्ता या शर्मा आदि लिखा जाता है इसको सरकार प्रोत्साहित न करे । क्योंकि प्राचीन काल में देखेंगे कि रामचन्द्र को रामचन्द्र सिंह नहीं कहते थे । अर्जुन को अर्जुनसिंह नहीं कहते थे । प्राचीन काल में कोई चीज नहीं थी । इन चीजों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये । अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना चाहिये । केरल में क्या हुआ है ? अन्तर्जातीय शादी करने पर गवर्नमेंट कुछ सहायता देती है ।

नौकरी के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि अफसोस तो यह होता है कि हरिजनों को १५, १६ साल के प्रयत्न के बावजूद भी नौकरी नहीं मिलती और कहते हैं कि उनमें चपरासी की योग्यता नहीं है । हमारे जिले के डिग्री कालेजों में बी० ए० में १२५ हरिजन छात्र पढ़ते हैं लेकिन चपरासी की योग्यता भी उनमें नहीं मिलती ? राधाकृष्ण अग्रवाल कमेटी नियुक्त हुई यह सब देखने के लिये लेकिन वह रिपोर्ट रख दी गयी है । उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । मुझे

एक सूचना मिली है कि केन्द्र में यह सवाल उठाया गया है कि हरिजनों को प्रोमोशन में रिजर्वेशन दिया जाय और शास्त्री जी ने राज्य सरकारों का इस ओर ध्यान दिलाया है । तो माननीय मंत्री जी कम से कम अपने विभाग में तो शुरू कर ही दें और हरिजनों को प्रोमोशन में भी रिजर्वेशन दें और भारत सरकार का जो निर्णय है उस पर अन्य विभागों को चलने के लिये प्रोत्साहित करें ।

जहां तक स्कालर्शिप का ताल्लुक है, जो लड़के प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलों में पढ़ते हैं उनको स्कालर्शिप मिलने में १०, १० महीने लग जाते हैं और उनको अक्तूबर तथा नवम्बर में किताबें बांटी जाती हैं । जिले की हरिजन सहायक समिति हायर सेंकडरी स्कूल के विद्यार्थियों को स्कालर्शिप देती है और वह ठीक समय से मिल जाता है । मेरा निवेदन है कि जिला परिषद् म्यूनिसिपल बोर्ड से लेकर जिले तक में जो हरिजन सहायक समिति है वही प्राइमरी से ले कर जूनियर हाई स्कूल तक के हरिजन छात्रों को भी स्कालर्शिप दिया करे ।

होस्टल के विषय में मेरा कहना यह है कि जिलों में हरिजन छात्रावास के लिये १० हजार रुपये दिये गये हैं । तो जरूरत यह है कि जहां हरिजन छात्र ज्यादा पढ़ते हैं वहां होस्टल बनाने के लिये वह रुपया दिया जाय लेकिन प्रतिबंध यह है कि ५० हजार अथवा १ लाख से अधिक की आबादी जिस नगर की है वहां पर यह रुपया नहीं दिया जाता है । तो जिन स्कूलों में १५० हरिजन छात्र पढ़ते हैं, देखने में आया कि वहां उनके लिये होस्टल बनाने के लिये रुपया नहीं दिया जाता । मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिये । देहातों से लड़के उच्च कक्षाओं में शिक्षा लेने के लिये शहरों में ही जाते हैं । छोटे क्लासेज में तो वे तीन, चार मील तक पैदल अथवा साइकिल पर चढ़ कर घर वापस लौट आते हैं लेकिन बड़ी कक्षाओं के लिये यह बात नहीं है, उनके लिये उनको शहरों में जाना होता है । इसलिये होस्टलों की जरूरत हरिजन छात्रों के लिये शहरों में ज्यादा है ।

श्री अधिष्ठाता---

श्री नत्थाराम जी .....

श्री श्यामलाल---

सामने बैठने पर भी आप की निगाह मुझ पर नहीं पड़ी ।

श्री अधिष्ठाता---

वह तो मेरे ऊपर है । मेरी निगाह जिस पर पड़ी उसे मैंने बुला लिया । जब आप पर पड़ेगी तो आपको जरूर पुकारूंगा ।

श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)---

मैं प्रस्तुत अनुदान का घोर विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, हरिजन शब्द से ही पता चल जाता है कि उसका तात्पर्य क्या है । 'हर' से मतलब हरा गया, यानी वह जन जिसका सर्वस्व हर लिया गया हो, जिसके पास कुछ भी न रखा गया हो । कोई चीज जब ऊपर से फेंकी जाती है तो नीचे बड़ी जल्दी आती है और जब नीचे से ऊपर को फेंकी जाती है तो उसके पहुंचने में कुछ देर लगती है । इसी तरह से जब कोई चीज सरकार की तरफ से न्यायपूर्वक चलायी जाती है और उसका सही उपयोग होता है तब वह काम अच्छा होता है । लेकिन अगर सरकार की ही तरफ से कोई गड़बड़ी की जा रही है तो फिर कैसे सोचा जा सकता है कि किसी का कल्याण होगा ? यही दशा आज हरिजनों की है । अभी तक जब-जब सरकारें बदलती रहीं तब-तब पता नहीं इन हरिजनों के कितने नाम बदले गये, इस समय जो अनुदान पेश है देखने से मालूम होता है कि बड़ी लम्बी रकम है, लेकिन इसका उपयोग कैसे होता है वह मैं आपके द्वारा सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि वैसे तो दस-दास हजार रुपये हर जिले में हरिजन छात्रावास बनाने के लिये दिये गये हैं लेकिन उस रुपये का वहां इस्तेमाल होता है जहां शायद कोई जरूरत नहीं । मैं बाराबंकी जिले के हरिजन छात्रावास की बात बताऊं । बाराबंकी शहर में तीन, चार इंटर कालेज हैं और कई जूनियर हाई स्कूल हैं । इसके अलावा और तमाम शिक्षा

[श्री नत्थाराम रावत]

संस्थायें हैं । अच्छा तो यह होता कि वह हरिजन छात्रावास बाराबंकी केन्द्र में होता लेकिन बजाय इसके उसको ले जाया गया कोटवाधान में क्योंकि इस वक्त जो अध्यक्ष हैं अन्तरिम जिला परिषद् के वे कोटवाधान के रहने वाले हैं । उनको इससे तो मतलब नहीं कि इसकी उपयोगिता कहां पर है, उनको तो मतलब इससे है कि हमारी शोभा कैसे बढ़ेगी और अपनी शोभा को बढ़ाने के लिये बजाय इसके कि वह बाराबंकी केन्द्र में बनता उसको ले गये कोटवाधान में । दूसरी चीज यह कि इस वक्त जो किराये का छात्रावास बाराबंकी में चल रहा है वह एक पुराने कांग्रेसी विधायक के मकान में चल रहा है । मकान में इतनी जगह ही नहीं है कि जहां छात्रावास चलाया जा सके, लेकिन जिला अधिकारियों के या राज्य सरकार के किन्हीं लोगों के कृपापात्र जो लोग होते हैं उनको इस तरह की सुविधायें मिल ही जाती हैं । बहुत लिखा-पढ़ी की गयी । मैंने इसके विरोध में माननीय मुख्य मंत्री, हरिजन कल्याण मंत्री और शिक्षा मंत्री को भी पत्र लिखे कि कहां पर हरिजन छात्रावास होना चाहिये, लेकिन सिवाय शिक्षा मंत्री के किसी से उसका उत्तर तक नहीं मिला और मिलना भी नहीं चाहिये, क्योंकि हरिजनों का मामला है । अगर किसी दूसरे का मामला होता तो शायद उत्तर मिल जाता । दूसरी चीज यह है कि आज तो मंत्रियों को डायर मेकिन कम्पनी जैसी जगहों पर दावत खाने से ही फुर्सत नहीं मिलती ।

एक सदस्य—

बड़ी मुहब्बत है डायर मेकिन से ।

श्री नत्थाराम रावत—

हमें तो मुहब्बत नहीं है, हम तो गये ही नहीं । मुहब्बत तो आपको है जिन्होंने दावत को कबूल किया ।

समाज कल्याण की बड़ी बात की जा रही है । यहीं लखनऊ के पड़ोस में बाराबंकी जिला है । उसमें एक मुकाम देवा है । वहां एक बहुत तपस्वी साधु वारिसअली शाह हो चुके हैं । कार्तिक के महीने में वहां एक बहुत बड़ा मेला लगता है और हम समझते हैं कि इस सदन के तमाम माननीय सदस्य और मंत्रिगण भी उस मेले में जाते हैं । हमने प्रश्न रखा कि वहां पर सौ, दो सौ की तादाद में वेश्यायें आती हैं और वेश्यावृत्ति करती हैं । इसका उत्तर यह मिला कि वेश्याएं आती जरूर हैं, लेकिन उस साधु की मजार की परिक्रमा करके वे चली जाती हैं । समझ में नहीं आता कि वेश्याओं के परिक्रमा करने से साधू की आत्मा को कौन सुख मिलता होगा । इस तरह से सदन में जबाब दिया जाता है। हमारे गृह-उपमंत्री जी यहां बैठे हुए थे। यह भी देवा गये हुए थे । मैंने उनको पत्र दिया कि आप स्वयं जाकर देख लीजिये कि वहां क्या हो रहा है, हमारी बात सच्ची है या आपकी तरफ से जो उत्तर दिया गया था वह सच है। लेकिन शायद उनके पास वक्त नहीं था या क्या बात थी, उन्होंने नहीं देखा । जहां वेश्यायें रहती हैं उस गांव के प्रधान ने जिलाधीश को और कप्तान पुलिस को इस आशय की चिट्ठियां लिखीं कि इनके यहां पर ठहरने से जवान लड़कियों पर बुरा असर पड़ता है ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह अनुदान संख्या २९ से संबंधित है जिसे माननीय सदन पास कर चुका है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उससे अनुदान २८ का कोई संबंध नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

जिस अनुदान पर विवाद हो रहा है उसी तक आप अपने को सीमित रखें ।

श्री नत्थाराम रावत—

अगर समाज ठीक नहीं होगा तो हरिजन कल्याण कैसे होगा । हम समझते हैं कि जब समाज का कल्याण होगा तभी हरिजनों का कल्याण भी होगा । हम इसलिये कह रहे हैं कि वहीं पर गुन्डों ने एक हरिजन लड़की का अपहरण किया, पुलिस देखती रही और अन्य लोगों ने उसको पकड़ कर पुलिस के हवाले किया । इस तरह की बात की जाती है।

आज मनोबल बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन हम देखते हैं कि हरिजनों के साथ क्या हो रहा है। आज जब कोई हरिजन विश्वनाथ जी के मंदिर में जाता है तो वहां के पंडे और मठाधीशों तथा अन्य लोगों के बजाय, जो बाधक होते हैं, उस हरिजन को ही गिरफ्तार किया जाता है। हम अखबारों में देखते हैं कि मुख्य मंत्री जी को, प्रधान मंत्री जी को सोने से तोला जाता है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष श्री संजीवैय्या, को चांदी से तोला जाता है। यह क्यों ? क्या इसलिये कि वे हरिजन हैं ? बातें बड़ी-बड़ी की जाती है, लेकिन काम कुछ नहीं किया जाता। जब सरकार की तरफ से इस तरह की चीजें सकी जा रही है तो मन बल कैसे बढ़ेगा ? अगर दिल से हरिजनों का सुधार करना है तो कोई ठो कदम उठाना चाहिये और जो नियम बने हुए हैं उनका सख्ती से पालन होना चाहिये। जैसेकुत्ते को टुकड़ा फेंककर उसका पालन-पोषण कियाजाता है उस तरह हरिजनों का पालन पोषण-किया जायगा तो वह प्रगति नहीं कर सकते हैं अगर सुधार करना है तो हल चलाने वाले को भूमि का मालिक बनाया जाय और इनमें अधिकतर हरिजन हों। वे बिचारे भूमि से वंचित रहते हैं।

*श्रीमती सियादुलारी (जिला बांदा)––

अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत अनुदान का समर्थन- करते हुए मैं मंत्री जी को बधाई देती हूं कि इमर्जेन्सी के कारण विकास के कार्य रोके गये हैं, लेकिन इसमें बहुत कम कटौती की है शिक्षा में फीस के संबंध में कटौती की गई है। छात्रावासों की मरम्मत में जो रुपया खर्च किया जाता था या खा लिया जाता था उसके लिये मंत्री जी ने यह कर दिया है कि दो साल में एक बार मरम्मत हो, लेकिन हरिजनों के लिये काफी किया है। गत वर्ष की अपेक्षा ४८ लाख की ग्रांट ज्यादा दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में बुन्देलखन्ड एक ऐसा क्षेत्र है जो कि वैसे ही विकास कार्यों में बहुत पिछड़ा हुआ है, जहां तक हरिजन कल्याण की बात है वह और भी पिछड़ा हुआ है। मान्यवर, जब इस प्रगति के युग में बुन्देलखन्ड विकास नहीं कर सकता तो कौन-सा युग आयेगा जब कि उसकी प्रगति हो सकेगी ? मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करुंगी कि बुन्देलखन्ड का एक जिला बांदा भी है जिसके पूर्व में पाठा क्षेत्र है, उसमें कोल जाति सब से ज्यादा बसती है जो कि हरिजनों में सम्मिलित है। हरिजनों में बहुत-सी ऐसी जातियां हैं जिनका विकास नहीं हुआ है, लेकिन कोल जाति ऐसी है जिनके रहने के लिये न मकान हैं, पीने के लिये न पानी हैं, रोजी के लिये न उद्योग हैं, बच्चों के लिये न स्कूल हैं, और स्वास्थ्य के लिये न औषधालय हैं, वह आज भी जंगल में पड़े हुए हैं, उनकी प्रगति के रास्ते बन्द से हो गये हैं। मेरा निवेदन है कि उनकी उन्नति के लिये छोटे-छोट उद्योग धंधों को प्रोत्साहन दिया जाय और एक सर्वेक्षण करवा या जाय जिससे यह मालूम हो सके कि जंगलों में कौन बड़ा उद्योग पनप सकता है और उनकी जीविका चल सकती है। उनके लिये रहने के लिये दो एक बस्तियां बनायी गयी हैं, लेकिन वह चन्द दिन में ही गिर जाती हैं और अधिकांश अनुदान बेकार चला जाता है। आज विकास के युग में हर व्यक्ति को खाने, रहने और उन्नति करने का अधिकार है तो उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। उनके लिये सब से बड़ी समस्या यह है कि वह तेंदू के पत्ते और लकड़ी बेचकर अपनी गुजर करते हैं। सौ तेंदू के पत्ते एक आने में बिकते हैं और लकड़ी यहां पर ढाई तीन रुपये मन बिकती है, लेकिन वहां बहुत सस्ती बिकती है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी उनकी सोसाइटी को प्रोत्साहन दें और जो तीन साल की लागत है उन पर उनकी सोसाइटी को ही जंगल दे दिये जायं जिससे वह उनका पूरा-पूरा लाभ उठा सकें।

जहां तक १८ प्रतिशत की बात है, मैंने अपने पिछले जनरल बजट के भाषण में यह बात की थी कि जब पुलिस कमीशन की रिपोर्ट पर सरकार ने पूरी-पूरी कार्यवाही की है और उसके सुझावों पर अमल भी किया है, फिर क्या कारण है कि राधाकृष्ण अग्रवाल कमीशन पर आज तक अमल नहीं किया गया। उस पर अब अमल किया जाय जिससे १८ प्रतिशत का जो कोटा है वह पूरा किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती सियादुलारी]

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहती हूं कि जो रिक्त स्थानों के लिये ऐडवर्टिजमेंन्ट निकलते हैं, उनमें फर्स्ट क्लास और कुछ वर्षों का एक्सपीरिएंस मांगा जाता है। उसमें मेरा निवेदन है कि चूंकि हरिजनों के खानदान में पढ़े लिखे लोग थे ही नहीं, उन्होंने पहले पहल विद्या पढ़ी है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि अनुभव भी ला सकें योग्यता के साथ। योग्यता तो वह कहीं न कहीं ले भी आते हैं। मेरा सुझाव है कि उनका कम्पिटीशन हरिजनों में ही होना चाहिये न कि सवर्णों के साथ, क्योंकि सवर्ण पहले से ही शिक्षित हैं।

तीसरी चीज मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे प्रदेश में सामान्य शिक्षा के अनुपात में वैज्ञानिक और प्राविधिक शिक्षा बहुत कम है। हरिजनों के लिये यह शिक्षा आवश्यक है क्योंकि आज के युग में यही मूलाधार है। मैं यह भी निवेदन करूंगी कि हरिजनों की छात्रवृत्ति के लिये जो अनुदान दिये जाता है वह जिला परिषद् के द्वारा वितरित किया जाता है। लेकिन वह गुटबन्दी के कारण जहां पर छात्रवृत्ति की आवश्यकता है वहां नहीं पहुंच पाती और टुकड़ों में रुपया इधर उधर बांट दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने यहां के राजापुर इंटर कालेज की ओर दिलाना चाहती हूं जहां पर एक धार्मिक स्थान होने के कारण आज भी छात्रों को रहने के लिये स्थान नहीं मिलता है। कई बार प्रयत्न किया गया कि कालेज में रहने के लिये, लड़कों को छात्रवृत्ति के लिये कुछ रुपया मिले, परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि उनके लिये रुपया न मिल सका, अब भी उसका कोई निर्णय नहीं हो सका। माननीय मंत्री महोदय अपनी ओर से इसका निर्णय कर दें कि किस जगह पर छात्रवृत्ति की आवश्यकता है और जो रुपया टुकड़ों में दिया जाता है उसको न दे कर पूरा-पूरा एक स्कूल या कालेज को दिया जाय जिससे कम से कम एक स्थान की समस्या हल हो सके।

जो रिजर्वेशन में चीज रखी गयी है वह तो किसी न किसी प्रकार हरिजनों को मिल ही जाती है, लेकिन सीनियारिटी पर जो सर्विस क्लास में से लिये जाते हैं इसमें वह कोटा पूरा नहीं होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सर्विसेज में भी एक तरह से कुछ रिजर्वेशन कर दिया जाना चाहिए जिससे उनका कोटा पूरा हो सके। कोटा पूरा होने के लिये कुछ नियम आवश्यक हैं। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि राधाकृष्ण अग्रवाल कमीशन के सुझावों पर तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। बुन्देलखन्ड के लिये मैं माननीय मंत्री जी से बार-बार निवेदन करूंगी कि आजादी के १५ साल की अवधि हो जाने के बाद आज भी वहां की स्थिति वैसी ही है जैसी कि पहले थी। इसीलिये वहां के हरिजनों की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह सत्य है कि हमारी समाजवादी सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि जल्द से जल्द समाज की चौड़ी खायी को पाट दिया जाय और सभी को उन्नति करने के साधन प्रदान किये जायं। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने इमर्जेंसी के समय में भी हरिजन कल्याण के लिये अनुदान को चालू रखा और इसमें नाममात्र की जो कटौती है वह उचित है।

श्री अधिष्ठाता--

श्री सुरजनराम....

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---

अधिष्ठाता महोदय, हम लोग यूनिवर्सिटी और डिग्री कालेज से निकल कर, बेस्ट ब्रेंस लेकर आये हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आपके कहने से कुछ नहीं होगा, बाद में कोशिश की जायगी। आप कृपया विराजें।

श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई दूंगा कि उन्होंने इस पवित्र कार्य के भार को संभाला है और जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसके संबंध में दो-चार बातें आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

मान्यवर, इस १५ साल के जो हमारे आजादी के दिन बीते हैं इसमें हमारी सरकार ने हरिजन और पिछड़ी जाति के लिये बड़ा ढिंढोरा पीटा और उनकी प्रगति की बात करना शुरू कर दिया लेकिन उसके साथ-साथ, श्रीमन्, यह आंकड़े जो दिये गये हैं, जो अनुदान मिलता रहा है उसमें कटौती चली आ रही है । और इस वर्ष भी करीब ३०–३२ लाख की कटौती इस संकटकालीन परिस्थिति के अवसर पर की है । आप देखेंगे कि इस हाउस में जितने हरिजन सदस्य हैं वह इस अनुदान पर कितने उतावले हैं बोलने के लिये। क्यों उतावले हैं, यह भी एक गम्भीर सवाल है । इसका मतलब यह है कि काफी असंतोष इस हरिजन कल्याण विभाग से है । उसका यह परिणाम है कि सभी सदस्य अपने-अपने यहां की बातों को रखना चाहते हैं ।

मान्यवर, पहली बात मैं आपके सामने यह रखना चाहूंगा कि ज्यादातर हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग भूमिहीन हैं । इनके पास खेत नहीं है। कुछ जातियों के पास तो अपना कुछ भी नहीं है । पेड़ों के नीचे वह रहते हैं, और पेड़ के पत्ते से पत्तल बनाकर उससे अपनी गुजर करते हैं । उनके लिये न तो कोई रहने का ठिकाना है और न कोई कारोबार का ठिकाना है । एक मुसहर जाति है जो पेड़ों के नीचे इसी तरह अपने दिन काटती है । छोटे-छोटे बच्चे उनके नंगे घूमते हैं । उनकी मां चिथड़े लपेटे हुए पेड़ों के पत्ते इकट्ठा करती है और उससे पत्तल बनाकर और उसे बेचकर गुजर करती है । बीमार पड़े तो दवा का कोई ठिकाना नहीं । कार्य प्रयोजनों में आप देखेंगे कि जूठे पत्तल फेंके जाते हैं, उनको एक तरफ कुत्ते नोंचते हैं और दूसरी तरफ इन्सान का बच्चा नोंचता है । मैंने अपनी आंख से देखा है लालगंज तहसील में दो-तीन साल पहले की बात है, सड़क पर चोटा गिरा हुआ था, एक तरफ तीन बच्चे, इन्सान के बच्चे, उसको चाट रहे थे और दूसरी तरफ दो कुत्ते उसे चाट रहे थे । इस कल्याणकारी सरकार के राज में आज भी यह हो रहा है ।

श्रीमन्, दूसरी तरफ आप देखें, हम लोगों ने बहुत आवाज उठायी कि जमीन की हदबन्दी करके जो जमीन निकले वह गरीब भूमिहीनों में और हरिजनों में बांटी जाय, पिछड़े हुए लोगों में बांटी जाय । सरकार ने हदबन्दी कायम की । लागू भी किया लेकिन बिल्कुल धोखे में रह गई, कुछ भी जमीन हरिजनों को नहीं मिली जिसमें खेती करके वह अपनी परवरिश कर सकें । श्रीमन्, जमीन का बंटवारा हुआ यह मैं मानता हूं लेकिन जमीन उन्हीं को मिली जिनके पास दस, बीस, पच्चीस बीघे पहले से मौजूद है । खीरी लखीमपुर या नैनीताल में जाकर आप देख लें या हर गांव में चलकर देख लें । कौन आज इन जमीनों को हड़प रहा है, वही जो पहले के जमींदार थे । पूर्वी जिलों की बात मैं बताऊं । दरवाजे से निकले नहीं कि पैर दूसरे के खेत में पड़ता है । चकबन्दी में हम आशा करते थे कि अगवार, पिछवार सहन, मुर्दा जलाने, और मवेशियों के लिए तथा और बहुत सारे सार्वजनिक कार्यों के लिये जमीन मिलेगी । मैंने कई मर्तबा माल मंत्री के सामने लिखकर दिया लेकिन उस पर क्या हुआ, हमें खुद नहीं मालूम ।

दूसरी बात, श्रीमन्, मैं शिक्षा के संबंध में आपके सामने रखना चाहता हूं। शिक्षा की हालत हमारे बहुत से सदस्यों ने बतायी । हमारा जो हरिजन सहायक डिपार्टमेन्ट खुला हुआ है यह बिल्कुल पंगु-सा बना हुआ है। बहुत सारी रकम तो इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स अपने जरिये से खर्च करता है । उसका क्लर्क बिल बनाता है । स्कूल के लोग रुपया ले गए या नहीं ले गए, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं । ६०–६१ में १२ हजार रुपए आजमगढ़ का गवर्नमेन्ट के खजाने में वापस कर दिया गया । आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई कि क्यों वापस किया गया । दूसरी तरफ आप देखें, लड़कों को वजीफा जो मिलता है, उसमें बहुत से हिस्सेदार

[श्री सुरजनराम विशारद]

बैठे हैं, क्लर्क अलग अपना हिस्सा मांगता है, मास्टर अलग लेने की कोशिश करता है। किताबें जो मिलती हैं, श्रीमन्, आपको आश्चर्य होगा, स्कूल जुलाई में खुलता है और किताबें मार्च तथा अप्रैल में मिलती हैं। क्या फायदा ऐसी सहायता से? इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ऐसा आदेश दें कि यह एक डिपार्टमेन्ट जो खुला हुआ है जिस पर ७०-८० लाख रुपया खर्च हो रहा है वह सही माने में इन सब बातों को देखें और यह रुपया सही मानों में खर्च हो।

छात्रवृत्ति का प्रश्न आप ले लीजिए। दसवें दर्ज तक की छात्रवृत्ति इंस्पेक्टर के द्वारा दी जाती है। अब यह क्लर्क और इंस्पेक्टर की मर्जी पर होता है कि बांटते हैं या नहीं बांटते हैं, कब बांटते हैं, कोई पुरसाहाल नहीं होता। हरिजन कल्याण विभाग जो खुला हुआ है, वह सिर्फ एक मुहकमा खोल दिया गया है, चन्द लोगों को खाने-पीने के लिये बैठा दिया गया है। मैं मांग करूंगा कि वजीफे की रकम हरिजन कल्याण विभाग के जरिये बांटी जाय जैसा कि पहले होता था। जिस प्रकार १०वें के ऊपर के लड़कों को अनिवार्य रूप से वजीफा दिया जाता है उसी प्रकार से नीचे क्लास के लड़कों को भी अनिवार्य रूप से वजीफा मिलना चाहिये। इसके अतिरिक्त ब्लाक के जरिये जो रकम खर्च की जाती है वह सही तरीके से खर्च नहीं होती। मैं चाहता हूं कि उस रकम को भी हरिजन विभाग द्वारा बटवाया जाय ताकि हरिजनों का ज्यादा फायदा हो सके।

मेरे बहुत से साथियों ने नौकरियों में प्रतिशत की बात कही है। आज मुश्किल से ढ़ाई, तीन प्रतिशत उनका है नौकरियों में, जबकि वह १८ होना चाहिये। मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि वे उन अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करें कि जो उनका प्रतिशत पूरा करने की चेष्टा नहीं करते। ये अफसर मोटी २ तनख्वाहें खाकर बैठे हैं, आप उनसे काम लें और मंत्री जी को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये ताकि उनका संरक्षण हो सके।

श्री अधिष्ठाता--

श्री गंगाप्रसाद जी....

मैं एक बात निवेदन करना चाहता था कि चूंकि बोलने वालों की संख्या काफी अधिक है इसलिये समय ७ मिनट का कर दिया जाय। इस समय, समय बढ़ाने का कोई प्रश्न सामने नहीं है।

(व्यवधान)

श्री गंगाप्रसाद--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे हरिजन अनुदान पर बोलने का अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं और साथ ही मंत्री जी को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इस अनुदान को रख कर इस प्रदेश की डेढ़ करोड़ हरिजन जनता के अन्दर जाग्रति की भावना पैदा की है। उनके हित के कामों को उन्होंने सदन में प्रस्तुत किया है। मैं श्रीमन्, आप के माध्यम से मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि आज बापू जी की आत्मा को सन्तोष होगा यह देख कर कि आज इस हाउस में जनरल सीट से चुनकर हरिजन प्रतिनिधि आये हैं और एक दिन वह आयेगा कि जब इस देश के प्रधान मंत्री और यहां के मुख्य मंत्री पद पर भी हरिजन बैठ सकेंगे।

(तालियां)

आज यह बड़े सौभाग्य की बात है कि यह विभाग एक बहुत ही योग्य व्यक्ति के हाथ में है। अगर किसी दूसरे के हाथ में यह विभाग होता तो शायद इतना कल्याण हरिजन वर्ग का न हो सकता। हमारे मिनिस्टर साहब बहुत ही गरीब परवर और दयावान हैं और जब वे मिनिस्टर नहीं थे तभी भी हरिजनों को उठाने की कोशिश करते रहते थे। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा उस समाज की बात सदन में रखना चाहता हूं कि जो सदन से ही उपेक्षित रहा है। श्रीमन्, अंग्रेजी राज में कुछ लोग सुल्ताना के गिरोह के आदमी कहलाते थे, उसी समुदाय का एक छोटा बच्चा

होने के नाते उन जातियों की कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आज प्रदेश में १६ लाख की आबादी क्रिमिनल ट्राइब्स की है और उनको सुधारने के लिये हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है। अंग्रेजी साम्राज्यशाही के समय हमें समाज से दूर रखा जाता था, हमसे लोगों को बात नहीं करने दी जाती थी, हम पर ऐक्ट लागू था, लेकिन आज हम मान अभिमान के साथ कहीं भी जा सकते हैं और हमें कोई रोकने वाला नहीं है। हरिजनों की दशा सुधारने के लिये यह सारा श्रेय कांग्रेस को और महात्मा गांधी को ही जाता है।

श्री अधिष्ठाता---

जरा धीरे-धीरे बोलिये और स्पष्ट बोलिये तो आवाज साफ आयेगी।

श्री गंगाप्रसाद---

मैं यह कहता हूं कि जो हरिजनों के बच्चे चोरी करते थे, उनको बुरी निगाह से देखा जाता था, परन्तु इस सरकार ने उस समाज को और उनके बच्चों को ऊपर उठाने का सफल प्रयत्न किया है। उन सब कामों का दिग्दर्शन कराने का समय नहीं है। फिर भी आप देखें कि इस सरकार ने बहुत से स्कूल हरिजनों के लिये खोले हैं। हरिजनों के बच्चों को ही नहीं बल्कि उनके मां-बाप तक को भी शिक्षा दी जा रही है और उनके जीवन को ऊंचा उठाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से आप देखें कि सरकार ने उनका बड़ा भारी उपकार किया है और इसके लिये हरिजन समाज उनका बड़ा आभारी है।

एक बात मैं माननीय मंत्री जी से और कहना चाहता हूं और वह यह है कि जो आप लाखों रुपया धनी व्यक्तियों को बड़े उद्योग धन्धों के लिये देते हैं, वह बन्द कीजिये और इसके बजाय राजकीय स्तर पर छोटे-छोटे कल और कारखाने के रूप में खोलने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। इस दिशा में भी आपको हरिजन को लगाना चाहिये और छोटे-छोटे उद्योगों में उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। जिस तरह का कानपुर में दर्जी (सिलाई) का उद्योग है, उसी प्रकार के उद्योगों को आपको चलाना चाहिए। इससे उनका बड़ा उपकार होगा। बगैर सरकार के प्रोत्साहन और संरक्षण के हरिजन लोग छोटे-छोटे उद्योगों को नहीं चला सकते हैं। क्योंकि उद्योग के लिये धन, कच्चा माल बाजार की आवश्यकता होती है तथा स्पर्द्धा भी आज व्यापार में काफी विद्यमान है। इसलिये सरकार जब उनको हर तरह की सहायता देगी तभी यह हरिजन समाज छोटे उद्योगों को चलाने में सफल होगा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि जिस प्रकार से आपने लखनऊ और हरिद्वार में आश्रम टाइप खोल रखे हैं, आपको उसी प्रकार से गोंडा में भी खोलने की ओर विचार करना चाहिए। पिछले वर्षों में स्कीम बनी थी, लेकिन पता नहीं फिर क्यों वह ठप्प हो गई। इसलिये आपसे निवेदन है कि आप गोंडा में आश्रम टाइप स्कूल जरूर खोलें जिससे वहां की जनता लाभान्वित हो सके। मैं फिर यह कह देना चाहता हूं कि यदि हरिजनों के उत्थान की ओर वास्तव में किसी ने प्रयत्न किया है तो वह हमारे महात्मा गांधी ने ही किया है। हमारी कांग्रेस सरकार ने सदैव हरिजनों को उठाने का प्रयास किया है। एक बात और इस सिलसिले में निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो भी आपने इन १५ वर्षों में कार्य किया है उसके लिये एक कमेटी बैठाइये और जो कमेटी उनकी दशा सुधारने के लिये सिफारिशें दे और जो निणय दे उनको पूर्णतया पालन किया जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री रामअधार कनौजिया का नाम पुकारे जाने पर....

श्री श्यामलाल---

अधिष्ठाता महोदय, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, इसलिये मैं आधे घंटे के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(श्री श्यामलाल ने सदन का परित्याग किया।)

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)---

श्रीमन्, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। यह मैं नम्रतापूर्वक आपके संमुख कहना चाहता हूं कि हमारे परम पूज्यनीय बापू ने हरिजनों की अवस्था सुधारने के लिये अपने जीवन की बाजी लगा दिया था। उन्होंने जो उल्लेखनीय काम किया,

[श्री रामअधार कनौजिया]

वह तो सभी जानते होंगे कि १९३२ में राउन्ड टेबुल कान्फ्रेन्स होने के बाद गवर्नमेंट ने यह आदेश प्रसारित किया था कि इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाय। आप सोच सकते हैं और माननीय सदस्य इस पर विचार कर सकते हैं कि इतनी बड़ी समस्या जबकि देश की आजादी की थी एक तरफ मुस्लिम लीग और दूसरी तरफ शैडूल्ड कास्ट फेडरेशन और दोनों ही अलग-अलग रास्ते अख्तियार किये हुए थे, इससे देश की आजादी को कितना बड़ा धक्का लगने वाला था। ऐसे समय महात्मा गांधी ने इनके लिये अनशन किया और देश के हर एक नागरिक से अनुरोध किया कि यह एक ऐसी समस्या है कि जब तक यह हल नहीं होगी, देश की आजादी पर धक्का लगता रहेगा। इसको हल करने के लिये सन् १९३५ में हरिजन और सवर्ण नेताओं का एक पूना पैक्ट हुआ जिसके आधार पर आज सरकार उनके लिये प्रयत्नशील है। मैं यह कह देना उचित समझता हूं कि यह जो आप कर रहे हैं उसी के आधार पर कर रहे हैं, उनको कोई भीख नहीं दे रहे हैं। इसलिये इस समस्या पर आपको गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे टाल दिया जाय।

श्रीमन्, जब कोई भी सरकार या व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसकी अवश्य प्रशंसा की जाती है और करनी चाहिये। मैं इतना जरूर प्रसन्न हूं कि आजादी के बाद भी सरकार ने इस ओर कदम उठाया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जो आपके विचार थे, उनके अनुसार जो रास्ता आपको अपनाना चाहिये था, वह रास्ता आपने नहीं अपनाया, जितनी तेजी से चलना चाहिये था, उतनी तेजी से आप नहीं चल रहे हैं।

जहां तक किसी संस्था या समाज के उत्थान का प्रश्न है, आप जानते हैं कि हरिजनों के पास न तो भूमि है, न काम करने के लिये कोई व्यवसाय है। फिर कैसे उनका उत्थान हो सकता है? शिक्षा पर जो आप अनुदान दे रहे हैं उससे जरूर उनकी कुछ प्रगति हुई है। मगर उनकी सरकारी नौकरियों में अब स्थान कम किया जा रहा है यह आपको इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जायगा। इनको दो हिस्सों में बांटा गया है--१९४७ से १९५३ तक और १९५३ से १९५९ तक। इसमें आप देखें कि १९४७-५३ के बीच ७६ हजार, २२ में ३ हजार ७६५ की भर्ती हुई, यानी ४.५७ प्रतिशत। १९५३-५९ के बीच, २ लाख ११ हजार ३०४ भर्ती के लिये आये, इसमें से ७,५१५ भर्ती किये गये, यानी ३.५५ प्रतिशत। इससे प्रकट होता है कि १९४७-५३ की अवधि में जब कि ७,६०१ स्थान उनको मिलने चाहिये थे, किन्तु मिले केवल ३,७६५ ही। १९५३-५९ के बीच उनको ३८ हजार ३४ पद मिलने चाहिये थे, मगर मिले केवल ७,५१५। यानी करीब १९.५ प्रतिशत। इससे पूर्ण रूप से विदित हो गया होगा कि कांग्रेस सरकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार कर रही है, या बुरा व्यवहार कर रही है।

इसमें यदि आबादी का भी ध्यान रखा जाता तो आप देखें कि यहां बड़ी जाति वाले १ करोड़ ३७ लाख हैं। पिछड़ी जातियां २ करोड़ ६९ लाख, अछूत १ करोड़ ८० लाख और मुस्लिम ६० लाख और अन्य २३ लाख। यह सन् ५१ की जन-गणना के आधार पर आंकड़े हैं। इसी माननीय सदन में अनुपात लगाया जाय तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं जनसंख्या के हरिजन आधार पर एम० एल० ए० की कितनी संख्या होनी चाहिये।

दूसरी चीज यह है कि मैं जानता हूं कि सन् ५२ में जमींदारी उन्मूलन करके सरकार ने एक प्रशंसनीय कार्य किया, लेकिन जमींदारी समाप्त होने के बाद पहले बहुत से ऐसे लोग थे जो कुछ इधर-उधर से शिकमी जमीन लेकर उससे अपनी जीविका निर्वाह करते थे--उनका वह सहारा छिन गया और सरकार ने उनका कोई ध्यान नहीं किया। तो उन लोगों को जमीन दी जाय। हालांकि सरकार ने यह जरूर कहा है कि जमीन का बटवारा कर दिया जाय और प्रबन्ध किया जाय, गांव समाज मैनुअल में आपने प्राथमिकता भी दी, लेकिन अगर ३५९ फसली में जमींदारी समाप्ति

के बाद, आज तक उनको कोई सुविधा नहीं दी गयी, उल्टे उन जमींदारों को ही छूट दी गयी। उन्होंने जबरदस्ती हरिजनों से जमीन छीन ली और अपने कब्जे में ले लीं ।

अब मैं आपको बताऊं कि नौकरियों में जहां तक छोटी श्रेणी का संबंध है, चपरासियों की नियुक्ति का संबंध है, प्लानिंग में डेवलपमेंट कमिश्नर ने यह आदेश जारी किया कि ब्लाक में डाकिये और चपरासियों की जगह के लिये हरिजन ही रक्खे जायेंगे । मान्यवर, इसमें एक बहुत बड़े सिद्धान्त की बात है जिसका कि ढिंढोरा पीटा जा रहा है । वह है अस्पृश्यता निवारण का । जब कि प्लानिंग की मीटिंग हुई और साथ ही प्लानिंग कमिश्नर ने एक सरकुलर द्वारा आदेश प्रसारित कर दिया कि डाकियों और चपरासियों के लिये अनिवार्यतः हरिजनों को ही रखा जायगा, लेकिन सवाल करने के बाद सरकार की ओर से यह कहना कि ऐसे व्यक्तियों की कमी है, अत्यन्त दुख होता है । सवाल नीति का है । हमारी सरकार का यह कहना कि ऐसे व्यक्तियों की कमी है, सरकार के लिये शोभा नहीं देता है । चपरासियों और डाकियों की नियुक्ति में अस्पृश्यता निवारण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उसके पालन कराने के लिये सरकार से मेरा अनुरोध है ताकि हरिजनों का अधिक कल्याण हो और उद्देश्य की पूर्ति हो ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ ।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने एक ऐसे अनुदान पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया है जिसमें मुझे बहुत अधिक दिलचस्पी है । मैं आपके द्वारा इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि यह हरिजन अनुदान है । हरिजनों के लिये वैसे ही रुपया सरकार घटाती बढ़ाती रहती है और, श्रीमन्, उन्होंने एक प्रस्ताव दे दिया और बजाय इसके कि यह रुपया बढ़ाया जाता, आप सिफारिश करते हैं जो कि हरिजनों के बड़े-भारी अनुयायी और शुभ-चिन्तक हैं कि उसमें से रुपया काट दिया जाय । मैं तो उपमंत्री जी को जो बड़े सुलझे हुये हैं बधाई देता हूं । (व्यवधान) आपको मालूम होना चाहिये, उस ऐक्ट को । श्रीमन्, उन्होंने "चमार" शब्द का प्रयोग किया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

आज कांग्रेस का टिकट मिल गया आपको, और (चमार)** का क्या हुआ, जो कि लाखों करोड़ों (चमार)** आज भूखे और दबे हुये हैं ? उनके बारे में क्या किया ?

एक सदस्य--

मैं हाउस को सुनना नहीं चाहता हूं जब तक कि वह उस शब्द को वापिस न लें ।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)--

यह बहुत ही आपत्तिजनक शब्द है । इसका प्रयोग अवांछनीय है । उन्हें यह वापिस लेना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--

श्री काशीनाथ मिश्र, आपको ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिये था, जिससे किसी के हृदय को ठेस लगे, वह शब्द असंसदीय है । कार्यवाही से हटा दिया जायगा ।

(**) श्री अधिष्ठाता की आज्ञा से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरीसिंह--

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस विभाग के बारे में कहना चाहता था, लेकिन मेरा ध्यान दूसरी तरफ हो गया और मुझे बहुत बड़ी ठेस लगी जब कि इस आदरणीय सदन में १९३७ में मिनिस्ट्री ने यह ऐक्ट पास किया, सभी दलों ने किया, कि कोई चमार शब्द का प्रयोग सदन में नहीं करेगा या बाहर भी नहीं करेगा, और अगर करेगा, पुलिस ऐक्ट देख लिया जाय, उसके मुताबिक उसे सजा मिलेगी । परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य जो हरिजनों के उद्धार का ढोल पीटती है इस सदन में चमार शब्द का प्रयोग करते हैं. . . .

श्री अधिष्ठाता--

अब आप उस शब्द का फिर से प्रयोग न कीजिये ।

श्री हरीसिंह--

सोशलिस्ट पार्टी के लोगों को अपने लीडर से पूछना चाहिये कि उन्हें उस शब्द का प्रयोग करना चाहिये था या नहीं ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

हरीसिंह जी ने 'चमार' शब्द का प्रयोग कई बार किया है, तो उसे भी आप कार्यवाही से निकाल दें ।

श्री अधिष्ठाता--

हरीसिंह जी ने उस भावना से नहीं प्रयोग किया है । इसलिये उसे निकालने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री हरीसिंह--

हम उन लोगों के आभारी हैं जिन्होंने हरिजनों के या जो पिछड़े हुये लोग कहे जाते हैं उनके उत्थान के लिये कार्य किया है । उन्होंने भरसक प्रयत्न किये हैं । दुख तो तब होता है जब अवसरवादी आकर उन शब्दों का गलत प्रयोग करने लगते हैं और उनके उद्धार में बाधक होते हैं । सरकार उस समाज की है जिसने इसे वोट दिया है चाहे किसी वर्ग के अनुयायी इसमें हों । हरिजन कल्याण विभाग की हरिजनों के उत्थान की जिम्मेदारी है । उन्होंने हरिजन उत्थान किया है और कर रहे हैं ।

अब मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि १८ फीसदी पर १२ वर्ष से ध्यान नहीं दिया गया । दूसरी बात यह है कि छात्रावास हरिजनों ने अपने रुपये और परिश्रम से बनाये हैं । हरिजन विभाग ने रुपया नहीं दिया और हेराई-फेराई की बातें करते हैं जिससे वह रुपया सवर्णों के पास जाता है । कुल ३ स्कूल हरिजनों के हैं जिनमें १ १/२ लाख रुपया हरिजनों का लगा है । एक बंसीदास जाटव स्कूल जो बहनजी द्वारा बनाया गया और जिसमें हरिजनों की १०० बीघा जमीन और २ लाख रुपया लगा । २, २ पैसे चन्दा करके उन्होंने इमारत बनाई । छात्रवृत्ति भी अभी तक हाई स्कूल में नहीं मिली है जबकि हमारे मंत्री जी के आदेश भी हैं कि तुरन्त दे दो । हरिजन बस्तियों के लिये कहते हैं कि ७०० रुपये में बनाओ जब कि ओवरसियर ही उस रुपये को खा जाते हैं । हमने बार-बार कहा कि ७०० रुपये हमें दीजिये और वह अपनी मेहनत से बनावेंगे चूंकि उसमें २,००० रुपया लगता है । कोई आप बड़ा एहसान कर रहे हैं जब कि २,००० रुपये लगते हैं ? हरिजन वे हरिजन हैं जिन्होंने भारतवर्ष का संविधान बनाया है, जिसके अनुसार आज भारतवर्ष के तमाम प्रदेशों को और केन्द्र की सरकारें चल रही हैं । हरिजन आपसे ज्यादा योग्य हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

लेकिन वह आपकी तरह से कांग्रेस के दलाल नहीं थे ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या दलाल शब्द संसदीय है ?

श्री अधिष्ठाता--

शब्द का प्रयोग किस ढंग से किया जाता है, उसका सेन्स क्या है, यह देखा जाता है ।

श्री हरीसिंह--

मुझे कुछ बातें कहनी थीं । अब मैं उन्हें रोककर कुछ उस पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं । जो पार्टी आज चुनाव लड़ने जा रही है और हरिजनों के उत्थान का बड़ा भारी ढोल पीट रही है, आज हम देखते हैं कि उसमें ऐसे लोग हैं जो हरिजनों पर आज भी अत्याचार करते हैं और जालिमाना बर्ताव करते हैं और हाउस में इस तरह से शब्द इस्तेमाल करते हैं जो कि देहात में भी नहीं होते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)----

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने अनुदान की मांग करते समय जो वक्तव्य दिया और माननीय कल्पनार्थसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा, उनको मैंने बहुत ध्यान से सुना । हरीसिंह जी बहुत पुराने सदस्य हैं । उन्होंने कहा कि हरिजनों के अनुदान पर कटौती नहीं आनी चाहिये थी । उन्हें यह जानना चाहिये कि ३१ लाख की कटौती एमर्जेन्सी के नाम पर हो और उसमें भी सबसे बड़ी कटौती हरिजनों के अनुदान पर हुई है । उसमें प्रशासन में जो ज्यादा खर्च होता है, उसमें कटौती नहीं हुई है । यह कटौती हुई है वहां, जहां हरिजनों के लाभ का कुछ काम हो सकता था । कटौती का प्रस्ताव यहां इसलिये नहीं आता है कि उसके द्वारा हम उस मांग के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं या उसके खिलाफ बोल रहे हैं; बल्कि वह इसलिये है कि डिपार्टमेन्ट की गतिविधि में जो कमियां हैं उनका हम ठीक प्रकार से यहां पर निरूपण कर सकें, यह कटौती के प्रस्ताव की रस्म है जो पूरी की जाती है ।

इसके अतिरिक्त, हम जिस अनुदान पर आज बातें कर रहे हैं और जिसको यह आदरणीय सदन स्वीकार करेगा उसके सम्बन्ध में ४ बातें विशेष रूप से माननीय मंत्री जी ने बताई हैं : १--शिक्षा, २--उद्योग, ३--आवासगृह और स्वास्थ्य और ४--अन्य समस्यायें ।

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, मैं मानता हूं कि जब १२ साल तक बाबा साहेब डाक्टर अम्बेदकर जी ने यह प्रश्न उठाया था, तब भारत सरकार के सामने यह सवाल आया और उसने राज्य सरकारों से कहा और उन्होंने अपने हाथ में लेकर हरिजन और शिड्यूल्ड कास्ट के विद्यार्थियों के लिये आयोजना की । उनको छात्रवृत्ति दी । कुछ दिनों तक यह स्थिति चली, लेकिन आज हम फिर यह देखते हैं कि यहां से माननीय मंत्री जी के आदेश के अनुसार छात्रवृत्ति तो स्वीकार हो जाती है लेकिन यहां से जो आर्डर्स निकलते हैं उनमें इतने इफ्स और बट्स लग जाते हैं कि उन आदेशों के पालन में बिलकुल बाधा पड़ जाती है । प्रिन्सिपल महोदय को आपने यह अधिकार दिया है कि वह देखें कि कौन योग्य है और कौन योग्य नहीं है । उसका नतीजा यह है कि पहला इंस्टालमेंट तो छमाही इम्तहान के बाद मिलता है और दूसरा इंस्टालमेंट जब इम्तहान हो जाता है तब मिलता है और इसी की वजह से विद्यार्थी न तो उनका अपनी फीस में और न किताबों में उनका उपयोग कर पाता है । नान-रेकरिंग ग्रान्ट्स के लिये जब सवाल आता है तो उसके लिये ध्यान नहीं दिया जाता है कि वह कब दी जायगी । जो हेड आफ दि इंस्टीट्यूशन है, वह लिखकर भेजते हैं । यहां से हरिजन अधिकारी अपनी कलम चलाकर वहां इंस्टीट्यूशन के पास भेज देते हैं इंस्टीट्यूशन के आदमी उनको रिफ्यूज करके फिर भेज देते हैं । यह तो हालत है । मुझे प्रसन्नता है कि जब मैं सम्बन्धित असिस्टेंट डाइरेक्टर महोदय से मिला तो उन्होंने तुरन्त कार्यवाही की, लेकिन अभी तक हमें खबर नहीं मिली है कि आया कि उस विद्यार्थी को फीस मिली या नहीं ? आपके विभाग के अधिकारी तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन जिले में जो अधिकारी आपके हैं उनके हाथों में इतने अधिकार दिये गये हैं कि उन अनुदानों का शुद्ध उपयोग नहीं हो पाता जितना आप समझते हैं ।

[श्री खेमचन्द]

अब जहां तक उद्योग का सम्बन्ध है उन बातों को सुनकर तो हंसी आती है। अभी हरीसिंह जी ने कहा था कि ७ सौ रुपये का अनुदान देकर आप चाहते हो कि मकान बन जायगा। यह हजारों वर्षों से झोपड़ी में रहने वाले, जिनके उद्धार के लिये कहा था उनके उद्धारक ने कि "मुझे मोक्ष नहीं चाहिये और न मैं पुनर्जन्म चाहता हूं, लेकिन अगर मेरा जन्म होता है तो मैं चाहूंगा कि मेरा जन्म भंगी के घर हो ताकि मैं समझ सकूं कि उनकी सफरिंग क्या है", वे अब भी उसी तरह से रह रहे हैं। आज भी उनकी फसलें देहातों में बंदूकों के सहारे काट ली जाती हैं। लेकिन आज आप महात्मा गांधी के नाम को इस सरकार ने ऐडवर्टाइजमेंट का साधन बनाया है कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। "बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का", लेकिन आज तक उसमें से एक कतरा खून भी नहीं निकल पाया है।

हरिजनों के लिये जल व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि आप हरिजनों के लिये कुयें बनाते हैं। संविधान के अनुसार अछूतपन एक आफेन्स है। आपके यहां अनटचेबिलिटी आफेंस एक्ट बना हुआ है, लेकिन कुयें आप हरिजनों के लिये अलग बनाते हैं और इस तरह से आप इस देश में हरिजनों की भिन्नता की नीति को परिपोषुअस बनाते जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इससे क्या फायदा होगा? आपके अधिकारी आज किस तरह से काम कर रहे हैं यह आपको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा कि आया जो शिकायतें होती हैं उन पर आपका मंत्रालय ठीक से काम करता है या नहीं करता?

मान्यवर, उनकी तमाम शिकायतों को देखा जाय और उनके जो कष्ट हैं, उनको दूर किया जायें। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने उसके लिये एक कमीशन नियुक्त किया है जो प्रति वर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। लेकिन यहां प्रान्तीय सरकार में क्या होता है? यहां पर इस के लिये इतना बड़ा मंत्रालय है लेकिन उसका जब प्रतिवेदन हमारे सामने आता है तो वह एक पेज में आता है और इस प्रकार से इस वर्ग को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। क्या इससे कोई यह विचार कर सकता है कि हम समस्या का हल करने की कोशिश कर रहे हैं?

सभी सदस्यों ने इसबात की शिकायत की कि १८ प्रतिशत को पूरा नहीं किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने इसको पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके लिये उनको धन्यवाद है, उन्हें एक बार पूर्व बधाई इस बारे में मिल चुकी है। मंत्री जी ने बताया कि एक अधिकारी इसको देखने के लिये नियुक्त किया जा रहा है। लेकिन कहीं वह अधिकारी भी वैसा ही न निकल जाय जैसा कि पूरा मंत्रालय है। अगर आप उस अधिकारी को रखते हैं तो उस पर पूरी निगरानी रखें। आप जिस प्रकार से प्रशंसा के पात्र बने हैं उसको कायम रखने के लिये भी आपको पूरी चेतना के साथ देखभाल करनी होगी। माननीय मंत्री जी ने बताया कि उनकी कुछ दिक्कतें भी हैं। दूसरे विभागों से आंकड़े नहीं आ पाते हैं? लेकिन अगर आप बिलकुल ईमानदारी से सोचेंगे तो हर डिपार्टमेन्ट से आंकड़े आप मंगा सकते हैं और वहां से आ भी सकते हैं। लेकिन अगर खाने के दांत और, दिखाने के और हों, तो दूसरी बात है। बहुत से माननीय सदस्यों ने आंकड़े प्रस्तुत किये, लेकिन उन आंकड़ों पर गौर करके भी आज तक कोई व्यावहारिक कदम नहीं उठाया गया है। इसीलिये मैंने आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं किया है।

*श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय, इससे पूर्व कि मैं अपने विचार व्यक्त करूं, मैं माननीय मंत्री जी की उस मौखिक सद्भावना का बड़ा आभारी हूं जिसमें उन्होंने कहा कि यदि उनके विभाग की कोई गलती बतायी जायगी तो वे उसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। साथ ही उन्होंने राधाकृष्णन रिपोर्ट की बात भी कही। मैं माननीय मंत्री जी को बतला देना चाहता हूं कि राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट में माननीय मंत्री जी के लिये बहुत से नये सुझाव हैं। इस ओर वह काफी अंश में पूर्ण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । राधाकृष्णन रिपोर्ट में बताया गया है कि ६ महीने में एक हरिजन की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन में हो जानी चाहिये, लेकिन उसको दो साल हो गये हैं नहीं हुई है । इसके अलावा उस रिपोर्ट को आज तक हाउस के सामने डिस्कशन के लिये नहीं रखा गया है । जब इस कमीशन के सामने सर्विसेज के इन्टरव्यू हुये तो कलेक्टर गोरखपुर ने कहा था कि थोड़े दिनों में ही १८ प्रतिशत सर्विसेज में हरिजनों को किया जा सकता है । यह पुस्तिका सरकार के पास दो वर्ष पहले आ चुकी है, लेकिन सरकार ने क्या कदम उसके लिये उठाया, अभी तक पता नहीं है । माननीय मंत्री जी का पथ प्रदर्शन करने के लिये वह पुस्तिका ही पर्याप्त है ।

इसके अलावा मैं आपका ध्यान कुछ मौलिक बातों की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा । मैंने पिछले ५-६ वर्षों की बजट स्पीचेज को देखा और उनको देखने के बाद जिस नतीजे पर पहुंचा वह आपके सामने रख देना चाहता हूं, और यह है कि उसमें हम लोगों की कहीं भी चर्चा तक नहीं की गयी है । चाहे तो वह गवर्नर का भाषण हो, चाहे वह बजट भाषण हो, पिछली ३ स्पीचेज में प्रदेश ही नहीं सारे भारत की कुल आबादी का २५ प्रतिशत जो भाग है उसकी लेश मात्र भी चर्चा न तो गवर्नर महोदय ने की है और न फाइनेंस मिनिस्टर ने । मैं समझता हूं कि यह तबका जो हजारों वर्ष से पद से दलित है, उसकी अवहेलना करने से किसी समय भी उसके अन्दर विस्फोट हो सकता है, जिससे इस देश, प्रदेश और समाज के सारे लोगों को हानि हो सकती है ।

शिक्षा के नाम पर जो पैसा मिलता है उसके सम्बन्ध में दो तीन बातें मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पर बतलाना चाहता हूं । आपकी तरफ से गिनती का वजीफा हाई स्कूल के १० प्रतिशत लड़कों को मुश्किल से मिलता है और ९० प्रतिशत लड़के परेशान रहते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि वे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते । आप कहते हैं कि हमने कालेजों में सेंट परसेंट वजीफे दे रखे हैं, लेकिन जब लड़के हाई स्कूल पास ही नहीं होंगे तो कालेजों में आयेंगे कहां से ? इस तरह से आपकी यह स्कीम बिलकुल नाकारा साबित हो रही है । दूसरी बात यह है कि आप वजीफा देते कब हैं ? फरवरी, मार्च निकल गया, लेकिन आज तक कुछ लोगों को वजीफा नहीं मिल सका है । किसी भी इंस्टीट्यूशन को देखें, वहां आज तक वजीफा नहीं मिल सका है । यह आपने क्या तमाशा बना रखा है कि साल का अन्त हो रहा है फिर भी उनको वजीफा नहीं मिला । आखिर इस तरह से शिक्षा में सुधार कैसे हो सकता है ? भले ही एक बार रुपया मिलने पर वह अपना सूट बनवा ले, लेकिन ८-१० महीने बाद रुपया मिलने पर उसकी पढ़ाई में कोई मदद नहीं मिल सकती । नतीजा यह होता है कि पढ़ाई की तरफ से उसका ध्यान हट कर रुपया कमाने की तरफ चला जाता है ।

बी०ए, एम०ए० पास करने के लिये तो आप मदद करते हैं जब कि आज तमाम ग्रेजुएट्स बेकार हैं, लेकिन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन्स जैसे रुड़की, यूनिवर्सिटी व मेडिकल कालेज आदि में आपने कितने हरिजन लड़कों को रिजर्वेशन दे रखा है ? इसमें आपने किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया है ।

अब आर्थिक पहलू के सम्बन्ध में आपसे मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं । प्लानिंग के नाम पर ब्लाक्स व अन्तरिम जिला परिषदों द्वारा जिस तरह से रुपया खर्च किया जाता है, उस सम्बन्ध में मैं आपके सामने केवल आगरा का उदाहरण देता हूं । वहां डेढ़ लाख रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक वह डिस्ट्रिब्यूट नहीं हो सका । ब्लाक की तरफ से बैल खरीदने के लिये २० रु० अनुदान के रूप में दिये जाते हैं । जरा सोचने के बात है कि क्या २० रु० में कोई बैल खरीद सकता है ? यह तो एक तरह से आप सीरनी की तरफ से रुपया बांटने चले हैं । आपको मालूम होना चाहिये कि कुछ वर्षों के बाद हरिजनों को नमक खर्च के लिये २० रुपये का अनुदान दिया जायगा । आप बैल खरीदने के लिये २० रु० का अनुदान देकर एक तमाशा करते हैं । आपको तो चाहिये कि बैल की सारी कीमत दें, बैल खरीद कर दें ।

इन्डस्ट्रीज के नाम पर आप हरिजनों को १००-५० या २५ रुपये देते हैं । इससे हरिजनों का कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा ।

[श्री छत्रपति अम्बेश]

जहां तक हाउसिंग स्कीम की बात है, हाउसिंग के नाम पर आप कहते हैं कि हरिजन कालोनीज बनायेंगे । मुझे इस बात की खुशी है कि यू० पी० क्या देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां शरणार्थियों के लिये कालोनी न बनायी गयी हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि सिवा एक बाल्मीकि कालोनी के कहीं भी कोई हरिजन कालोनी बनायी गयी हो और जहां हरिजनों को हर तरह की सुविधा हो ।

हाउसिंग के नाम पर ७००–७५० रुपये देने की बात तो कहते हैं, लेकिन उसका बटवारा विचित्र ढंग से होता है । मैं इस बात को नहीं कहना चाहता कि उनके साथ रुपये के बटवारे के सिलसिले में भी कितना अत्याचार होता है । आगरे की बात मैं जानता हूं कि अनुदान के नाम पर, मकान के नाम पर, उनकी बड़ी ही दयनीय स्थिति है । ब्लाक के प्रधान की तरफ से जो आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं वे निरर्थक से होते हैं । अगर ईमानदारी के साथ बजाय थोड़ा-थोड़ा रुपया सब को देने के, इकट्ठा करके ४–५ कालोनीज ही इस बीच में बनी होतीं तो वह ज्यादा अच्छा होता । हमारे यहां ५४ जिले हैं और ५४ वर्ष में भी ५४ कालोनीज हरिजनों के लिये बन जायं तो वह कहीं अच्छा हो, जहां हरिजन सुविधापूर्वक रह तो सकेंगे ।

जहां तक इन्डस्ट्रीज की बात है, लेदर इन्डस्ट्री को हरिजनों ने अपनी बपौती सी समझ रखी थी । रशिया से जूता एक्सपोर्ट के लिये आर्डर मिला । कहा जाता था कि चमड़े का व्यापार हरिजनों के हाथ की चीज थी लेकिन क्या आज मन्त्री जी को मालूम है कि उन के हाथ से वह रोजगार भी जा रहा है । रूस से चमड़े के जूतों के आर्डर लेने वाले दूसरे हैं और उनको बनाने वाले, काम करने वाले दूसरे हैं जिनको कि अछूत कहा जाता है । वह कोई दूसरा व्यापार नहीं कर सकते । कहा जाता है कि कन्ट्रोल्ड आइटम्स के विषय में उनको एक्सपीरियेंस नहीं है । उन को नहीं है तो फिर क्या यह कन्ट्रोल्ड आइटम्स दूसरों की कोई बपौती है ? मैं आप के द्वारा मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि डाक्टरी, नर्सिंग का काम हरिजनों का पेशा है, धुसिया वर्ग जो है वह यही काम करता था जिस को करने से सवर्ण एतराज करते थे, लेकिन आज मेडिकल में कितना हरिजन का प्रतिशत भेजा जाता है ? वह इस काम को करते रहे हैं तो उनको प्रिफरेंस दें ।

मिलिटरी और पुलिस सर्विसेज में संरक्षण का जहां तक सम्बन्ध है आज-कल बड़ी इन्टेग्रेशन की बात कही जाती है । लेकिन आज भी तमाम मार्शल और नान-मार्शल रेस की केटेगरीज बनी हुई हैं । मैं जानना चाहता हूं कि हम में और सवर्ण में लम्बाई-चौड़ाई में क्या भेद है ? भेद कोई नहीं है और है तो केवल एक भेद है कि आपने सवर्णों को अधिकार दिये हैं, उनको साधन दिये हैं, और हमें उनसे वंचित रखा है । इस भेद को खत्म करना होगा और अगर आप इन्टेग्रेशन की बात करते हैं तो आप को पुलिस और फौज में भी उन को संरक्षण देना होगा जिससे वह भी कह सकें कि हम भी स्वतन्त्र देश के नागरिक हैं । सामाजिक उत्थान के नाम पर कुयें की बात कही गई । हम जानते हैं कि कुछ कुयें बने हैं, लेकिन कभी आप ने यह भी सोचा कि आज १३ साल के बाद भी आज तक हरिजनों के लिये पानी का पानी मुहैया नहीं हो सका है । आज भी लोग आगरा शहर तक में तालाबों से पानी लेकर पीते हैं । यह बड़े शर्म की बात है ।

श्री दीनारायणसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज हम जिस अनुदान पर विचार कर रहे हैं उसका औचित्य केवल इस कारण माना गया है कि वर्षों से धार्मिक और सामाजिक परिपाटी के अनुसार कुछ विशेष जातियां अत्यन्त पीछे ढकेल दी गई हैं और सामाजिक और आर्थिक उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंच सकी हैं । इसी कारण से इस सरकार ने उन को कुछ विशेष सुविधायें देना उचित समझा है । हमारे संविधान के आर्टिकल १५ में जातिगत रूप से किसी को विशेष सुविधायें देना और पक्षपातकरने की परिपाटी खत्म की गई है, लेकिन आर्टिकल ३३३, ३३२ और ३४१ आदि में संविधान में कुछ अधिकार भी दिये गये हैं । राष्ट्र तो एक शरीर के रूप में है । अगर राष्ट्र को उठाना है तो राष्ट्र के शरीर का जो अंग जितना ही कमजोर है उस पर उतना ही अधिक और

विशेष ध्यान देना होगा। हमारे यहां की २२ प्रतिशत अछूत जातियां जिनको कि पूना पैक्ट के पश्चात् गांधी जी द्वारा हरिजन का नाम दिया गया और ५० प्रतिशत बीच वाली पिछड़ी हुई जातियां, यह कुल जो ७२ प्रतिशत हैं उन की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये। जहाँ इस आपद्काल परिस्थिति में चीन के हमले ने हमारी आंखें खोली हैं कि जहां तक एक कमांडर मामूली सिपाही के साथ फावड़ा लेकर काम करता है वहां हमारे यहां १०० मील दूर से हुक्म देने वाले कमान्डर हैं। यहां पर जो खाई एक सिपाही और जनरल में है वही खाई एक मजदूर और बिरला, सिंहानिया में भी मौजूद है। एक तरफ २० बिस्वा ब्राह्मण हैं और दूसरी तरफ चांडाल और भंगी हैं। इस खाई को हमें अपने समाज से खत्म करना होगा। इसका नतीजा यह हुआ है कि वह हिमालय जो कभी नहीं टूटा था वह आज पड़ौसी राष्ट्र के द्वारा उसकी सेना के द्वारा रौंदा गया। लेक्चरबाजी और कागजी घोड़ों से यह चीज रुकने वाली नहीं है।

(इस समय ३ बजकर ४७ मिनट पर, श्री उपाध्यक्ष पुन: पीठासीन हुये।)

पैंतालिस करोड़ की जनता कम नहीं होती। लेकिन अगर २० बिस्वा का पंडित यह समझता है कि चांडाल चांडाल है। मैं मुख से पैदा हुआ हूं और वह पैर से हुआ है तो इससे समाज की उन्नति हो सकती है? हरगिज नहीं। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में ब्लाकों के चुनाव हुये, कितने ब्लाकों में हरिजन लोग प्रमुख हुये? और जब रिजरवेशन नहीं हुआ तो कांग्रेस जो गांधी जी की थी गांधी जी ने कितने हरिजनों को टिकट दिया था? और जब टिकट की परिपाटी आयी तो माननीय गुप्ता जी ने हाथ उठाने वाले चमार को पढ़े लिखे चमार के सामने खड़ा कर दिया ताकि वह पढ़ा लिखा हार जाय। इसी से हरिजनों की तरक्की होगी? यह तो हरिजनों को गिराने का तरीका है। मैं उनमें से हूं जो मन्त्री जी कि मिनिस्ट्री को खत्म करने का दिन देखना चाहते हैं ताकि समाज एक लेविल पर आ जाय। हर पार्टी में हरिजनों के दलाल ही दिखाई देते हैं, एक अच्छा है तो दूसरा बुरा है, हाथ उठाने वाले लोगों को असेम्बली में पहुंचाया जाता है। आप बतायें इतने यहां दल हैं किसी दल का नेता हरिजन है? "पूजिये विप्र ज्ञान गुन हीना, पूजिये शूद्र न वेद प्रवीना।" आपने राज्य सभा और काउन्सिलों के चुनाव में टिकट दिये उसमें कितने हरिजन और बैकवर्ड क्लासेज के हैं? यहां हाथ उठाने वाली मूर्तियां मौजूद हैं ताकि गुप्ता जी की गद्दी न छिन जाय। अगर हरिजन नाम से कोई लायक बन जाता है तो मैं पहला आदमी हूं विरोध करने में। होना यह चाहिये कि हर जाति का आदमी सामाजिक अड़चन के बावजूद भी अपनी प्रतिभा को आगे ला सके, और उससे लाभ उठा सके। ऐसा नहीं होना चाहिये कि प्रतिभाशाली व्यक्ति को आगे आने से रोका जाय। पंडित नेहरू की लड़की होने से चमक जाय और किसान का लड़का वही रहे, यह नहीं होना चाहिये। जो काबिल हो वही आवे। यही इस विभाग का काम होना चाहिये। हर विभाग ऐसा होता है जो अपने को कायम रखने के लिये होता है। लेकिन मन्त्री जी इस विभाग को खत्म करने के लिये हैं। आप इन विषमताओं को दूर करें तभी देश आगे बढ़ सकता है। जिला परिषदों के अध्यक्षों के पास जब आपकी रकम जायगी तो यार-दोस्तों को बांटेंगे और हरिजन को नहीं मिलेगी। १२ लड़कों को वजीफा देना है और १०० दरख्वास्तें आयीं तो हर आदमी चिट लिये हैं कि चमार चमार को चला जाय और पासी पासी को जाय। और पासी पासी को चला जाय, थर्ड क्लास लड़के, फेल होने वाले लड़के भी वजीफा पा जायें, फर्स्ट व सेकेंड क्लास का हरिजन मुंह ताकता रह जाय। गुप्ता जी जिनको ठीक समझें उनको ही वजीफा चला जायगा। ग्रान्टें आज उसी को मिलती है जो मालिक का नौकर है। यह नीति अयोग्यता को प्रदर्शित करती है। १२ आदमी को लेना है तो बेस्ट लड़कों को लीजिये तभी राष्ट्र उठेगा। आपकी पार्टी शासन में है, ईमानदार है तो हर जाति में देखिये कौन फर्स्ट डिवीजन है और प्रतिभाशाली है, उसको लीजिये। गौतम बुद्ध ने समानता का नारा दिया था लेकिन आज वह शंकराचार्य के ब्राह्मवाद का काल खत्म हो गया है। जो आज इधर (रिपब्लिकन पार्टी की ओर इशारा करके) बैठे हैं वे किसी के संरक्षण से नहीं आये हैं। जनरल सीट से आये और किसी विशेष पार्टी की ड्योढ़ी से नहीं आये हैं। जो पंडित जी ड्योढ़ी के हैं उन्हें वह कहें बैठ तो बैठ जायेंगे और वह कहें खड़ा रहें तो खड़े हो जायेंगे।

श्री राधेश्याम शर्मा --

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री दीपनारायणसिंह --

चोर की दाढ़ी में तिनका। राधेश्याम शर्मा जी डाक्टर लोहिया की ड्योढ़ी से बंध कर आये हैं। यहीं अन्तर है। (व्यवधान) यह इस तरह से समाजवाद को ही खत्म कर रहे हैं। समय की उपयोगिता को ही खत्म कर रहे हैं। मैं डाक्टर घूरे की किताब कास्ट, क्लास एन्ड अकुपेशन में पृष्ठ ३२३ से एक उद्धरण देना चाहता हूं :

"Fusion of blood has been found to be an effective method of cementing alliances and nurturing nationalities. The history of royal families and of European nations is replete with such examples. To further our national integration we must resort to the same procedure. Caste sets its face ag inst such a custom as it is of the essence of caste, that marriage must be within its limits."

मेरा कहना है कि सारी जाति प्रथा हटा दीजिये। चमार, भंगी सब मिलकर एक साथ खायें। ठाकुर, ब्राह्मण की शादी चमार, भंगी के साथ हो और उसे नौकरी में पहला प्रिफेरेंस दिया जाय, तभी राष्ट्र उन्नति कर सकेगा। इससे दहेज की प्रथा भी खत्म होगी। १०० मर्ज की दवा यह है कि जातीयता छोड़ कर सब के साथ शादी होना चाहिये।

*श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़) --

आज मैंने जो ग्रान्ट है, आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके ऊपर काफी बहस सुनी। मुझे तो इन बहसों से यह मालूम हुआ कि एक समाज जो सारे समाज की सेवा करता हो उसके सामने ऐसी एक समस्या आ जाय कि उसके अनुदान से भी कटौती कर ली जाय। चीन का सवाल आया कि चाऊ-एन-लाई ने हमला किया उसके कारण कटौती हुई तो हरिजनों की ही हुई। उसके लिये हमारे मन्त्री महोदय ने भी धन्यवाद दे दिया। तो यह तो दुर्भाग्य है उस समाज का कि जो सब की सेवा करता हो उसकी तरक्की के लिये जो अनुदान आता हो उसी में से कटौती हो जाय। मुझे दुख होता है, मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जो समाज सब की सेवा करता हो उसके साथ कुछ न्याय करें।

जहां तक उनकी शिक्षा की बात है, सभी लोगों ने कहा कि उनको वजीफा वक्त पर नहीं मिलता। इस समाज को अगर आप उठाना चाहते हैं तो मैं नहीं कहूंगा सेपरेशन की बात। मैं कहता हूं कि उसको अपने भाई की तरह समझें। उसको सम्मान की दृष्टि से तो देखें। इस समाज को तो बिलकुल ठुकराया जाता है। मुझे दुःख होता है कि जो समाज सारे समाज की सेवा करता है उसको इज्जत की नजर से भी नहीं देखा जाता। यदि इस समाज की यही हालत रही तो चाऊ-एन-लाई को क्या बधाई देते हैं आपके भाई ही आपको बधाई देंगे और यह समाज आपसे जवाब लेगा कि आपके हाथ में शासन था तो यह कैसे पीछे रह गया। मैं तो कहता हूं कि आने वाला समाज आपको गालियां देगा।

जहां तक ग्रांट की बात है, होस्टल की बात कही जाती है। मैं कहता हूं कि जहां शिक्षा का केन्द्र हो, यूनिवर्सिटी हो, डिग्री कालेज हों कम से कम वहां तो एक होस्टल बनाइये। जैसे अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी भी है, डिग्री कालेज भी है, लेकिन वहां एक भी होस्टल नहीं है और ग्रान्ट कहां दी जाती है? गांव में। जहां कोई भी बच्चा नहीं जायगा। तो कम से कम ऐसी जगहों पर होस्टल खोलिये जहां डिग्री कालेज हों, यूनिवर्सिटी हों।

आपने अनुदान देने की बात बी० डी० ओ० के लिये कही। उन्होंने तो उसे एक बेगार समझ रखा है। जब आपने जिले में कमेटी बना रखी है तो उस कमेटी से रेकमेंडेशन मांगिये। आपने हरिजन अफसर जिलों में रखे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि एक चपरासी की भी इज्जत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ज्यादा होती है, उसकी उतनी भी नहीं होती। उसको आपने गजेटेड अफसर बनाया है तो कम से कम उसके हाथ में वजीफा बांटने का काम ही दे दीजिये। उसके हाथ में आपने इतना काम भी नहीं दिया।

इसके अलावा आपने मकानों के लिये लोगों को ग्रान्ट दी है लेकिन मकान की जहां आवश्यकत है ववां नहीं बनते। देहात के लिये आप देते हैं। वहां उनको सामान नहीं मिलता। शहरों में जहां हरिजन रहते हैं, जहां उनकी गलियों में म्युनिसिपैलिटी भी कुछ नहीं करती वहां आप कहते हैं कि यह ग्रान्ट नहीं दी जायगी। वहां भी इन्सान रहते हैं, ये लोग कहां जायं? तो कम से कम शहरों में ही कुछ व्यवस्था कर दीजिये।

इन्डस्ट्री के लिये भी आप देहात में ग्रान्ट देते हैं, शहर में नहीं। देहात में वह कहां मुर्गी और सुअर पालेगा। वहां अगर ठाकुर साहब के खेत में चले गये तो वह मारते-मारते उल्लू बना देंगे। इसलिये शहरों में ग्रान्ट दीजिये जहां कुछ सुविधा हो।

अट्ठारह परसेंट की बात आयी कि राधाकृष्णन् की रिपोर्ट में १८ परसेंट की बात है। हर जिले में एक कमेटी है। उसके सामने रखिये। वह भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने रख दें और वह चाहे तो लोगों से पूछ कर पूरा कर सकता है। क्या जरूरत है इस कमेटी की सिफारिशों के इम्पलीमेंटेशन की। यह तो जब होगी तब होगी। इससे जनता को कोई लाभ नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि कम से कम एक बोर्ड बना दिया जाय जो इस बात का ध्यान रखे कि इनका कोटा पूरा होता है या नहीं।

हरिजनों के मामले में अगर यह ग्रान्ट बढ़ाई गई होती तो और भी अच्छा था, कटौती का तो सवाल ही नहीं आता। आपने कहा कि जगह जगह पर सेण्टर और स्कूल खोल दिये हैं, लेकिन उनसे जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है। उनको आप पढ़ाते-लिखाते हैं, लेकिन उनको कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। आप जो ट्रेड उनको सिखाते हैं उसको चलाने के लिये उनके पास पैसा नहीं है। आप उनको लेते समय यह भी कह दें कि उनके लिये नौकरी के लिये तथा ट्रेड के चलाने के लिये साधन भी जुटाये जायेंगे तो उनके साथ न्याय होगा। जो लोग पढ़ते हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिये। किसी भी विभाग में जाइये, हर विभाग वाले समझते हैं कि यह बेगार लेकर आये हैं। मैं तो एम० एल० एज० की बात कहता हूं कि सर्विसेज के मामले में हमारी बात नहीं सुनी जाती है। अगर हम सही बात भी कहते हैं तो भी सुनवाई नहीं होती और कह देते हैं कि हमारे हाथ में क्या है? मैं सब इन्सपेक्टरों के बारे में कहता हूं कि जितने हरिजन सब इन्सपेक्टरी में लिये नहीं जाते हैं उससे ज्यादा निकाल दिये जाते हैं। क्या बैड एन्ट्री उन्हीं के लिये रह गई है? उनके सिर पर हमेशा कच्चे धागे में बंधी तलवार लटकती रहती है। बड़े-बड़े केस होते हैं, लेकिन उन लोगों पर कुछ नहीं होता है। हरिजनों के साथ न्याय नहीं होता है, वह अपील नहीं कर सकता है। मैं कहता हूं कि एक बोर्ड बनाया जाय उसमें एक सेपरेट आदमी रख दें जो इन चीजों को सुनें।

मैं कहता हूं कि हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है। हम तो १९५२ से देख रहे हैं कि बजट के बाद हमारी सुनवाई नहीं होती है। सर्विसेज में क्वालीफिकेशन का सवाल आ जाता है। कह दिया जाता है कि यह सूटेबिल नहीं है। आखिर तो वह डिग्री लेकर आता है। मिनिस्टरों में किसी क्वालीफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन सर्विसेज में जो डिग्री लेकर आता है वह सूटेबिल नहीं समझा जाता है। उनका कम्पटीशन उन्हीं लोगों में से होना चाहिये। एडवरटाइजमेंन्ट में लिखा रहता है कि सूटेबिल कैंडीडेट्स लिये जायेंगे। वैसे शिड्यूल कास्ट के लिये रिजर्व सीट है। मैं कहता हूं कि लोगों पर दया करें, चाहे इतना अनुदान न दें लेकिन यह समझें कि यह भी एक समाज है जो दूसरों की सेवा करता है। मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज आजादी को मिले १५ वर्ष हो गये हैं लेकिन अछूतों की जो उन्नति होनी चाहिये थी नहीं हो पाई है। कांग्रेस सरकार ने जो इनके लिये संरक्षण रखा है वह वास्तविक नहीं है, वह केवल धोखा है। संरक्षण केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही रखा गया है और वह भी केवल इसलिये रखा है जिससे उन्हें काफी वोट मिल सकें। आर्थिक क्षेत्र में जरा भी संरक्षण नहीं रखा गया। आर्थिक क्षेत्र में अगर संरक्षण रखा गया होता तो हरिजनों की तरक्की हो सकती थी। आज अछूत नाम पर संरक्षण की बात कही गयी है। कहीं शिक्षा के लिये, कहीं वजीफा के लिये, कहीं फीस के लिये बात कही गयी है, लेकिन वह वास्तविकता से बिलकुल परे है। उसके लिये मैं केवल एक उदाहरण रखना चाहता हूं। १८ मई को मेरा एक प्रश्न था मुहम्मदी तहसील में कलेक्शन अमीन और चपरासियों की नौकरियों के सम्बन्ध में। माननीय गेंदासिंह ने उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछा था। उसके उत्तर में माननीय राजस्व मन्त्री ठाकुर हुकुमसिंह ने आदेश दिया ५ अक्तूबर को कि हरिजनों के स्थानों को जब तक पूरा न किया जाय तब तक दूसरी जाति के लोगों को नहीं लिया जायगा। मैंने यह आदेश जिलाधीश को दिखाया, तहसीलदार को दिखाया, लेकिन फिर भी अभी ७ फरवरी को जो चुनाव हुआ उसमें के केवल दो चार कलेक्शन अमीन और चपरासी रख लिये गये और बाकी नहीं। मैं पूछता हूं कि क्या कलेक्शन अमीन और चपरासी के लिये भी कोई योग्यता की आवश्यकता है? क्या वह और जातियों से ज्यादा ताकतवर नहीं हैं? क्या उनसे ज्यादा कोई लट्ठा चला सकता है और साइकिल चला सकता है? तो फिर उनको क्यों नहीं लिया जाता है? कायस्थ जी को लिया जाता है जो केवल कलम चलाना जानते हैं। ठीक से सायकिल भी नहीं चला सकते। यह है संरक्षण।

मैं एक और उदाहरण रखना चाहता हूं। हरिजन विभाग के हमारे डाइरेक्टर साहब बैठे हुये हैं। अल्मोड़ा जिले के सुन्दरलाल टम्टा को जुलाई में बरखास्त किया गया। उसने डाइरेक्टर के यहां अपील की। कई महीने हो गये आज तक फैसला नहीं हुआ है मैं पूछता हूं कि अगर वह नाकाबिल था तो उसकी जगह पर अछूत रखा गया होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वहां के हेड क्लर्क और हरिजन सहायक विभाग में, डाइरक्टरेट में एक क्लर्क है उनका वह रिश्तेदार है, दोनों की सांठगाठ है। उन्होंने अपने किसी सम्बन्धी को या दोस्त के लड़के को जो बिलकुल नया है रख दिया है। मैं यह पूछता हूं कि यह आप का संरक्षण है? बार-बार हरिजन शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैं कहता हूं कि हरिजन शब्द को मिटा देना चाहिये? हरिजन भी एक जाति में पैदा हुआ जैसे कोई ठाकुर या ब्राह्मण अपनी जाति में पैदा होता है, तो हरिजन शब्द को क्यों रखा गया? इसके पीछे एक खास चीज है। हरिजन शब्द इतना घृणित शब्द है जिसको मैं रखना नहीं चाहता। दक्षिण भारत में कुछ मंदिर हैं जहाँ पर देवदासियाँ हैं। उनके व्यभिचार से जो बच्चा पैदा होता है उसको हरिजन कहा जाता है। वही व्यभिचार की औलाद को हरिजन कहा जाता है। हरिजन कांग्रेसी हो सकते हैं हम हरिजन नहीं हैं। हम वास्तविक हिन्दू हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि वह हरिजन शब्द को खत्म करें तभी हम बढ़ सकते हैं। यह इतना बड़ा भ्रम पैदा करता है जो हमारी सरकार पचासों वर्षों में भी नहीं मिटा सकती है। अगर आप हरिजनों का कल्याण चाहते हैं तो सारे वजीफे खत्म कर दीजिये। फीस माफ कर रहे हैं उसको भी खत्म कर दीजिये, लेकिन उन गरीबों को जमीन दे दीजिये जो कम से कम पांच एकड़ हो। उससे वह सब कुछ कर सकते हैं। अपने बच्चों को वह पढ़ा सकता है, अपना मकान भी बना सकता है, और वह आपके खरीदे हुये गुलाम की तरह से इस अनुदान के सहारे नहीं रह सकता है। जब से यह अनुदान शुरू हुआ है तब हरिजन पंगु हो गया है। वह आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है। उसको कोई जमीन नहीं मिलती है। यह अपने को समाजवादी कहने वाली सरकार अछूतों के लिये जमीन का कोई प्रबन्ध नहीं करती है। यह जमीन का प्रबन्ध किसके लिये करती है? अभी सिंहानिया को ५०० एकड़ जमीन इसने गरीबों से छीनकर दी है और ९० लाख रुपया भी दिया है और रामरतन गुप्ता को १०० एकड़ जमीन दी है और ४५ लाख रुपया दिया है। इसी तरह मोदीनगर में गरीबों की जमीन

छीनकर एक पूंजीपति को दी है जिसके ऊपर वह पूंजीपति खेती कर रहा है। यह है आपका समाजवाद जहां इन गरीबों के गले पर छुरी चला रहे हैं। आपको याद रखना चाहिये जिस दिन आप यह संरक्षण समाप्त कर देंगे उस दिन आप भी समाप्त हो जायेंगे। यह रिजर्वेशन और यह अछूतों को सीटें देना केवल यहीं तक आपने सीमित रखा है। हमारी पार्टी ने इन सीटों से इनको न खड़ा करके जनरल सीटों से खड़ा किया था और जनरल सीट से जीत कर आया था इसी तरह से और भी जीतकर आये हैं। जिस दिन यह रिजर्वेशन आप समाप्त कर देंगे उस दिन जो बढ़ी ९४ की तादाद आज इनकी है इससे भी ज्यादा तादाद में यहां ये जीतकर आयेंगे।

नौकरियों का जहां तक प्रश्न है, १८ प्रतिशत कौन कहे ढाई प्रतिशत भी आप पूरा नहीं कर पाये। जब कलेक्शन अमीन और चपरासी को भी स्थान आप नहीं दे पाते तो और किसे दे पायेंगे? चौमंजिल में कितने पुलिस कप्तान, कितने कमिश्नर वगैरह आपके रिजर्वेशन में हैं? छोटी नौकरियों में जहां दो चार आपने रिजर्वेशन में दे रखा है, वह भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ी नौकरियों में क्या करेंगे?

मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। वहां पर एक कोआपरेटिव सोसाइटी है। उसमें एक कांग्रेसी नेता हैं। उन्होंने हरिजनों के नाम पर कोआपरेटिव से रुपया लिया है हरिजनों के दस्तखत करा कर और उस रुपये से अपना क़र्ज़ लगा रखा है। क्या माननीय मन्त्री इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे? इसी तरीके पर हमारे क्षेत्र में एक कांग्रेसी विधायक हैं। उस क्षेत्र के कितने चमार अध्यापक थे, चूंकि वहां से एक चमार बिरादरी का चुनकर आया है, इसलिये उन्होंने उन सबको चैयरमैन से मिलकर तहसील मोहम्मदी से हटाकर ८०-८० और ९०-९० मील दूर ट्रांसफर करवा दिया है। यह है आपका समाजवाद और हरिजन संरक्षण! यह पक्षपात है और यह हरिजनों के ऊपर कुठाराघात है। याद रखिए ज्यादा दिन तक यह नहीं चलेगा। हरिजन सचेत है और जानता है। उधर के बैठने वाले भी जानते हैं लेकिन उनको सीट मिलने की आशा है, इसलिये वह कुछ कह नहीं सकते हैं।

श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद) --

मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण अनुदान पर आपने मुझे अवसर दिया। मैं इस ३,०४,८९,६०० रुपये के अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। यह अनुदान उन अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के सम्बन्ध में है जो युगों से दबायी गई हैं। आज यह दरिद्रता, गरीबी और निर्धनता से पिसी जा रही है और हमारी सरकार उनको उठाने के लिये तत्पर है।

आज मुझे यह आशा थी कि हरिजनों को उठाने के लिये यह अनुदान और बढ़ेगा लेकिन इस संकट कालीन स्थिति के कारण इस अनुदान में भी कटौती की गई है। वैसे यह बात सही है कि हरिजन परिश्रमी होता है, वह भी इसमें अपना पूरा योगदान देंगे। वह किसी से पीछे नहीं रहेंगे हमारे माननीय दीपनारायण जी ने कहा कि इस तरफ के सदस्य केवल हाथ उठाने आते हैं। यह बात कहना उनको शोभा नहीं देता। यह हरिजन अपने बूते पर लड़ कर आये हैं। इन हरिजनों ने ही आपको जिताया है आप भी उनके बल पर ही आये हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि १५ साल पहले इन हरिजनों का समाज में कोई स्थान नहीं था। वे शिक्षित नहीं थे। अपनी चिट्ठी पत्री लोगों से पढ़वाते थे, उनके मनीआर्डर पर जमींदार जमानत करता था, लेकिन आज पूर्व मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद १ करोड़ २३ लाख है। यह कहना कि उनकी सहायता नहीं हो रही है, ठीक नहीं मालूम होता। यह ठीक है कि यह बहुत दिनों से दबे हुये हरिजनों की यह जो सहायता है यह दाल में नमक के बराबर है और वे केवल अनुदान देने से या कुआं बनाने से ही नहीं उठ सकते। इसके अतिरिक्त उनको सर्विसेज में भी संरक्षण मिलना चाहिये। शिक्षा के अलावा और दूसरी मदों में कमी की जानी चाहिये थी। इसमें कमी कर के उनका पैर काट दिया गया है ताकि वे आगे न बढ़ सकें। इसलिये मैं चाहूंगा कि और मदों में कटौती कर

[श्री सुखरामदास]

के शिक्षा में पूरा रुपया खर्च किया जाय। जो हरिजन आज पढ़े लिखे हैं वे बराबरी का दर्जा रखते हैं। लेकिन आज पूरे देश में और प्रदेश में केवल ५ प्रतिशत हरिजन शिक्षित हैं। जिस वर्ग के ९५ प्रतिशत लोग अशिक्षित हों वह दबा हुआ नहीं रहेगा तो क्या उठा हुआ रहेगा? यह होना स्वाभाविक है और इसलिये उन को उठाने के लिये हमें शिक्षा में सब से ज्यादा धन खर्च करना चाहिये। सरकार का कहना है कि १८ फीसदी स्थान हरिजनों के लिये सुरक्षित हैं, लेकिन सर राधाकृष्णन् की रिपोर्ट, १९६२ में है कि प्रथम श्रेणी की सर्विसेज में उनका कोई स्थान नहीं है, द्वितीय श्रेणी की सर्विसेज में ३ फीसदी स्थान उनको प्राप्त हैं। चतुर्थ श्रेणी में, जिसमें चपरासी और डाक रनर आते हैं उनको केवल १० फीसदी स्थान मिला है। अगर आप उनको तरक्की देना चाहते हैं तो जो उनका कोटा मुकर्रर किया गया है उसमें आपको कमी नहीं करनी चाहिये। आपके यहां हाईकोर्ट में या जिलाधीश के यहां हरिजनों को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। ट्रांसपोर्ट में भी उच्च स्थानों पर कोई हरिजन नहीं है। यह कहना ठीक है कि उनमें पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन जहां चतुर्थ और तृतीय श्रेणी की सर्विसेज की बात है, उनमें भी हाई स्कूल और इंटर पास हरिजन न लिये जायं यह गलत बात है। आज हरिजन दूसरे का हल जोत कर अपना पेट पालन कर रहे हैं और यह एक स्वाभाविक बात है।

जब कि उनको हाई स्कूल और इंटर क्लास एफ करने के बाद मजदूरी करके पेट पालना पड़े, यह बड़े दुख की बात है और सर्विस कहीं मिलती भी है तो कहा जाता है कि यह हरिजन है, उसकी नाक टेढ़ी है, कहीं कपड़ा गन्दा है, इसलिये उसको हटा देते हैं। चपरासी और डाक रनर के लिये भी पक्षपात करते हैं। अगर एक आध रख भी लेते हैं तो इसलिये हटा देते हैं कि यह पानी देने लायक नहीं हैं। इसलिये कम से कम चतुर्थ श्रेणी में तो कोटा पूरा करना चाहिये।

एक निवेदन और करना है कि हरिजनों के प्रशिक्षण के लिये बख्शी तालाब पर सेंटर खोला गया है। लेकिन वहां से ट्रेनिंग के बाद भी कोई वैल्यू नहीं है कि वह सरकारी नौकरी में लिया जाय जब कि टेक्निकल हैंड्स की इस संकट-काल में बड़ी आवश्यकता है। इसलिये हरिजनों को प्रथम अवसर देना चाहिये। जो हरिजन आज कालेजों में पढ़ रहे हैं और १०-५ मील की दूरी पर पढ़ते हैं उनको घर आने-जाने में बड़ी दिक्कत पड़ती है। जिला फैजाबाद में बिड़हल परगना है, तहसील टांडा में। वहां गांधी स्मारक इंटर कालेज, सुल्तानपुर राजे में है, जिसमें आजमगढ़ जिले के छात्र आते हैं १२-१२ मील से और कहीं किसी जमींदार के घर रहते हैं या कहीं और रहते हैं। इसमें बड़ी असुविधा होती है। तो कम से कम छात्रावास खोलने की कोशिश होनी चाहिये ताकि अपनी पढ़ाई की पूर्ति कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के प्रस्तुत अनुदान के अवसर पर जैसा कि विभागीय अनुदानों के लिये कटौती का प्रस्ताव लाने की परम्परा चल पड़ी है इसलिए उसके सामने नत-मस्तक होकर मुझे कटौती के समर्थन में कुछ कहना पड़ रहा है, अन्यथा अगर कटौती के साथ बढ़ोत्तरी की भी मांग करने की परम्परा चली होती तो मैं इस अनुदान के सम्बन्ध में अत्यधिक बढ़ोत्तरी करने की मांग करता, पर लाचारी है।

मान्यवर, जो हरिजन पिछड़ी जातियों का यह विभाग उनके कल्याण के लिये चलाया गया है इसके सम्बन्ध में कुछ कहने के पहले अपने मन की व्यथा एक दूसरे ढंग से भी मैं रखना चाहता हूं। संसार के अन्य देशों में वर्ग-भेद है, लोग अमीर गरीब होते हैं, पर हमारे यहां दुर्भाग्यवश वर्ग भेद के साथ वर्ण-भेद भी चिपका हुआ है। यहां आदमी गरीब है, उसके साथ वह नीचा भी है। उसका पेट भी मारा जाता है, उसका दिल-दिमाग भी मारा जाता है।

यह बाबा मनु के जमाने से दोहरे शोषण का अभिशाप भोगता चला आ रहा है। हमारे राष्ट्रीय जीवन में आर्थिक और सामाजिक असमानता की क्षय की बीमारी लगी हुई है जो आज भी चल रही है। जैसे क्षय रोग का रोगी कभी-कभी अपनी जान की रक्षा के लिये अपनी चल और अचल सम्पति बेच कर भी रक्षा करना चाहता है, हमारे राष्ट्रीय जीवन के इस क्षय को दूर करने के लिये कुछ इस प्रकार का प्रयत्न हमारे इस जनतांत्रिक युग में जब सरकार को करना चाहिए था जो नहीं हो पा रहा है। होना तो यह चाहिये था कि राष्ट्रीय संकट के स्तर पर हम इस दुहरे अभिशाप को मिटाने का प्रयत्न किये होते। इतिहास साक्षी है कि अपने इस जाति-पांति के प्रभावों के कारण हम सदा अपना पराभव देखते रहे हैं हमने अपने एक अंग को गरीब और नीच बना रखा है। जो बेचारे जानते भी नहीं कि उल्लास-मय जीवन किसे कहते हैं। पैदा होने से लेकर मरने तक यह नहीं समझते कि वे भी सचमुच में आदमी हैं। आदमियों के देश में जब भी दूसरे लोगों से लड़ना पड़ा है, अत्यन्त बल बुद्धि में प्रतापी और प्रतिभाशाली होते हुये भी, हमें हारना पड़ा है। इतिहास के इस कटु सत्य का भी हमने लाभ उठाया है, यह बड़े दुख की बात है।

एक बात की तरफ और मैं आपका ध्यान दिलाऊं। जिस प्रकार से दुनियां में मनुष्य के बीच एकता और समानता के लिये धरती माता और परम पिता परमात्मा की भावना चलती रही है और, वह बात हमारे देश में भी थी, उसके साथ ही हम भारतियों के बीच एकता और समानता लाने के लिये एक और बहुत बड़ी प्रेरणादायक भावना चली गांधी जी के समय की परम प्रभावशाली राष्ट्रीयता के कारण और वह थी भारतमाता और राष्ट्र पिता बापू की भावना। इस प्रकार एक और धरती माता और परम पिता परमात्मा की विश्व-जनीन भावना तथा भारत माता और राष्ट्रपिता बापू की भारतीय राष्ट्रीय भावना की दोहरी प्रेरणा भी इस दोहरे अभिशाप में पड़ी हुई हरिजन जनता को नहीं उठा पायी, यह बड़े दुख की बात है, साथ ही कलंक की भी। यह हरिजन नाम सारी मानव परम्परा के प्रथम महापुरुष गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तुलसीदास जी की रामायण की चौपाई को आप याद करें––

"हरिजन जानि प्रीति अति बाढ़ी।"

राष्ट्र पिता बापू ने भगवान का जन इन्हें बनाया, पर इतने बड़े महापुरुष द्वारा दिया हुआ यह नाम अपने अर्थ के उत्कर्ष में इनका उत्कर्ष न कर सका। इसके साथ ही उस नाम का ही अर्थापकर्ष हो गया हरिजन नाम उन्हें उठा न सका, इनके कारण स्वयं अर्थ में गिर गया। माननीय हरीसिंह जी ने जो बात कही, जिस नाम की चर्चा की, उसका तो प्रयोग मैं नहीं करूंगा, क्योंकि पूर्व पीठासीन अधिष्ठाता महोदय ने उसे वर्जित कर दिया है, मगर मैं कहता हूं कि आखिर ब्राह्मण अथवा ठाकुर शब्दों में ही अपने आप में क्या रखा है जातियों के वैभव सम्मान से ये नाम जंचते हैं। ठा...कु...र के ठ, क, र इन अक्षरों में क्या रखा है? इसी तरह च ..मा..र...शब्द के च, म, र इन अक्षरों में क्या है?

वैदिक कालीन ऋषियों ने "वसुधैव कुटुम्बकम" की दार्शनिक एकता का नारा दिया। आज उसके साथ ही हमें 'राष्ट्रैव कुटुम्बकम" का राजनैतिक नारा भी बुलन्द करना है जिस से कि इस भारत माता की सारी सन्तानें सचमुच सगे भाइयों की तरह सर्वरूपेण बराबर होकर रह सकें और जो यह कोढ़ है वह जल्दी से जल्दी मिटाया जा सके।

इसके लिये धन धरती के बटवारे का जो हमारी सोशलिस्ट पार्टी का मूल नारा है इसको अपनाना होगा जिसे अब तक आप अपनी दुर्बलता में या अपनी ईमानदारी के अभाव में जिसे आप ही जानते हैं, नहीं अपना रहे हैं। यही म्याऊं का ठौर है। धन धरती के बंटवारे की बात दुनिया की सामाजवादी मान्यता के आधार पर समान अवसर देने की बात है, इस देश में तो दलित जनों को विशेष अवसर लेना-देना चाहिये। क्योंकि आज इस देश के आधे लोग दोहरे अभिशाप में पड़े हैं।

[श्री रघुनाथसिंह]

तो अगर समाजवादी समाज की रचना की बात करने वाली कांग्रेस सरकार, बापू के चरणों में बैठकर जन सेवा का आशीर्वाद प्राप्त करने की बात कहने वाली कांग्रेस सरकार अगर दोहरे अभिशाप से इन दलित लोगों का उद्धार करना चाहती है तो कोई विशेष उपाय करना होगा। धन और धरती का बटवारा तो जनतांत्रिक युग का तकाजा है उसे कोई रोक नहीं सकता, भारतमाता की धरती सबकी है, उसको बांट कर उसकी सब सन्तानों को दे दो तो वह अपना मकान बनवा लेंगे, अपने बाल बच्चों को पढ़वा लेंगे। इससे क्या लाभ कि आप उनको थोड़ी बहुत सहायता ग्रांट के रूप में दे दें यह जो ओस चटाकर आप बाबा मनु के जमाने से लगी प्यास को बुझाने की कोशिश करते हैं यह कभी हो नहीं सकता। यह कोढ़ है और ऐसा कोढ़ है ऐसे स्थान का कोढ़ है जो न टोपी के नीचे ढकने वाला है, न कुर्ता और धोती के नीचे। यह मस्तक का कोढ़ है। इसका पूर्ण रूप से विशेष कदम उठाकर इलाज करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री कल्पनाथसिंह--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय २ घंटे बढ़ा दिया जाय। उधर के बहुत से सम्मानित सदस्य, श्री रामचन्द विकल जैसे लोग खड़े हुये हैं। इधर हमारी तरफ से अकेले मैं बोल रहा हूं, मंगलदेव जी खड़े हुये हैं। रिपब्लिकन पार्टी के लोग खड़े हुये हैं। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ा दिया जाय।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--

मन्त्री जी २ घंटे की बात नहीं मानते हैं तो १ घंटे जरूर बढ़ा दिया जाय, इसको मानने में, मैं समझता हूं कि, उनको कोई एतराज नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये बहुत से काम होने हैं।

श्री कल्पनाथसिंह--

मैं राय साहब की राय से सहमत हूं और २ घंटे मन्त्री जी नहीं चाहते तो १ घंटे ही बढ़ा दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये, २ घंटे के समय में भी इतने सब सदस्य नहीं बोल सकते। काम भी बहुत से हैं, अकेले यहां का ही काम तो नहीं है। इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि १५ मिनट जो मुझे सदन को बढ़ाने का अधिकार है उसको प्रयोग करके मैं १५ मिनट सदन का समय बढ़ा दूंगा।

श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)--

मन्त्री जी की राय झारखंडेराय जी के प्रस्ताव पर भी तो ले लीजिये।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

१५ मिनट के लिये तो उपाध्यक्ष जी ने कहा ही है। वैसे जहां तक सुझावों की बात है मैं उन सुझाओं को हर समय वेलकम करता हूं। जिन माननीय सदस्यों ने कम समय के कारण अपने सुझाव नहीं दिये हैं अगर वे मुझे अपना नौकर समझकर सुझाव देंगे तो उनके मुताल्लिक मैं जरूर कार्यवाही करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

सुझाव अगर आप लिखित देंगे तो हम उसको प्रोसीडिंग का भाग बना देंगे। ऐसा लोक सभा में होता है।

श्री कल्पनाथसिंह---

तो यह तो निश्चित ही है अब कि यह महत्व का सवाल है। क्योंकि आपने स्वयं कबूल किया कि १५ मिनट का समय आप बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा था कि २ घंटे बढ़ा दिया जाय। राय साहब ने कहा कि १ घंटे, उसको भी हमने माना और आप, उपाध्यक्ष महोदय, सेंस आफ दि हाउस देख लें।

श्री उपाध्यक्ष---

मेजारिटी पार्टी तो उससे सहमत नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह---

श्रीमन, आज यह ऐसा विषय है कि जिस पर दिलचस्पी दोनों तरफ के सदस्य ले रहे हैं। यह मामूली बात नहीं है। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होती और मैं उम्मीद भी करता था कि हरिजन मन्त्री हमारे इस प्रस्ताव को मानते। जब इस सरकार को जरूरत पड़ती है तो रात के ९ बजे तक हमसे बैठने को कहती है, लेकिन सदन के आज जब सम्मानित सदस्य इस बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं और १, २ घंटा बैठने को कहते हैं तो माननीय मन्त्री जी इसका विरोध करते हैं। माननीय मन्त्री जी इस बात को कबूल करें और वरिष्ट मन्त्री इस पर राय कर लें और आज समय कम से कम १ घंटा जरूर बढ़ाया जाय।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

आध घंटे का समय बढ़ा दिया जाय फिर देखा जायगा कि कितने लोग दिलचस्पी रखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

अब ५, ५ मिनट हर एक सदस्य बोलेगा। प्रश्न यह है कि सदन का समय आध घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नियामतुल्ला अन्सारी (जिला गोरखपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों के उत्थान के सिलसिले में जो अनुदान पेश हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं और उसके पक्ष में हरिजनों की तालीमी और समाजी हालत को सुधारने के सिलसिले में जो सुझाव हमारी तरफ से दिये गये हैं उन सबसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं इस सिलसिले में यह अर्ज कर दूं कि जिस तरह हरिजनों का एक तबका है उसके बारे में इस हाउस के अन्दर काफी बातचीत हुई, उसी से मिलता जुलता मुसलमानों में एक तबका है मोमिन अन्सार बिरादरी। वह भी करीब-करीब उतना ही पिछड़ा हुआ है, दबाया हुआ है, शोषित किया हुआ है जैसे कि हमारे हरिजन और बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। अंग्रेज जब से इस देश में आये उन्होंने एक खास पोलिटिकल पालिसी के तहत हमेशा उनको हर तरह से दबाने की कोशिश की और एक प्लांड तरीके से इस तबके की उन्होंने समाजी हालत को बिगाड़ना शुरू किया, तालीम का खयाल नहीं किया, उसे कुचलते चले गये और यह तबका बिलकुल उसी लेविल पर आ गया जिस प्रकार की हरिजन भाइयों की दशा थी।

जब यह सरकार बनी तो उसने देखा कि देश में हरिजनों का तथा दूसरी पिछड़ी जातियों का इतना बड़ा तबका पिछड़ा हुआ है, दबा हुआ है और उसकी तरक्की तथा खुशहाली के लिये उसको सोचना चाहिये और उसके लिये उसे कोशिश करना चाहिये। इसके लिये उसने एक मुस्तकिल विभाग खोला और एक खास रकम इस पिछड़े हुये तबके की समाजी हालत, तालीमी हालत और माली हालत को सुधारने के लिये मुकर्रर की।

[श्री नियामतुल्ला अन्सारी]

साथ ही उस वक्त की सरकार ने मोमिन अन्सार बिरादरी को भी नजरअन्दाज नहीं किया, उसको भी समझा कि यह भी सरकार की सरपरस्ती की उसी तरह से मुस्तहक है जैसी कि दूसरी जातियां हैं। चुनान्चे उसी वक्त से, मेरा खयाल है कि १९४७ में जब यह अनुदान तय हुआ तो उसके साथ-साथ मोमिन अन्सार बिरादरी के लिये भी अलग से एक मुस्तकिल ग्रांट उनके लड़कों को वजीफे के लिये उनकी तालीमी हालत को दुरुस्त करने के लिये रखी गयी। मैं समझता हूं डेढ़ लाख रुपया सालाना की रकम उस वक्त मुकर्रर की गई थी और वह दी जाती रही। और मुझे इसको तसलीम करने में खुशी है कि इस इमदाद से हमारी बिरादरी के लड़कों ने काफी तालीमी तरक्की की। पहले अन्सार बिरादरी के अन्दर मुश्किल से कोई लड़का हाई स्कूल पास तक मिलता था। लेकिन मैं फख्र के साथ कहूंगा कि यह हमारी सरकार की ही मेहरबानी है कि आज हमारी बिरादरी के अन्दर हजारों लड़के ग्रुजुएट, एम० ए०, डाक्टर वगैरह मिलते हैं और सरकारी नौकरी में भी अच्छे ओहदों पर हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी बहुत कमी रह गई है। मुसलमानों में इस तबके की आबादी करीब-करीब निस्फ है। इस लिहाज से ये तालीम में, नौकरियों में और दूसरी बातों में उसी तरह से पिछड़े हुये हैं और जो तरक्की हुई है वह बहुत मामूली हुई है। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि इस तबके को किसी तरह से नजरअन्दाज न करें। जो रकम स्कालरशिप्स की शक्ल में मोमिन अन्सार को दी जाती थी वह उनके लिये अलग से बजट में इयरमार्क कर दी जाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों इधर दो, तीन साल से यह रकम अब अलाहिदा से नहीं रखी जाती। मैं यह अर्ज करूंगा कि जिस तरह से पहले यह चीज चल रही थी उसी तरीके से अब भी इस रकम को अलाहिदा से इयरमार्क कर दें। दो, तीन साल से ऐसा हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी स्कालरशिप की रकमात हमारे प्रदेश को मिलने लगीं और बैकवर्ड क्लासेज के लिये भी सहायता की गई। तो ऐसा किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रकम मिलती थी उसमें हमारे यहां की भी रकम को मिला दिया गया। नतीजा यह हुआ कि कायदे के साथ जितनी रकम मोमिन अन्सार बिरादरी को मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि इस साल से मन्त्री जी उस रकम को अलाहिदा कर दें। इस सिलसिले में पिछले साल एक डेपुटेशन भी मन्त्री जी से मिला था और उन्होंने अलाहिदा करने का वायदा भी किया था, लेकिन बजट में उसी तरह से वह रकम शामिल है। तो मेरी अर्ज यह है कि उस रकम को अलाहिदा कर दें।

दूसरे वजीफे के बारे में हम लोगों के सामने दिक्कत आती है। पहले ऐसा होता था कि मोमिन अन्सार बिरादरी के जो नुमायन्दे कौंसिल और असेम्बली में हुआ करते थे उनकी राय से यह रकम बांटी जाती थी। मैं चाहता हूं कि उस तरीके को फिर से रायज कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी मेहनत के बाद आपने मुझे दो शब्द कहने का अवसर दिया। मैं कल्पनार्थसिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह प्रस्ताव इस विभाग की आलोचना करने के लिये तथा सुझाव देने के लिये आया है। माननीय सदस्यों ने काफी सुझाव दिये हैं और मन्त्री जी से मुझे बड़ी आशा है। इस उम्र में उन्होंने हरिजनों की सेवा का विभाग सम्भाला है और तर्कपूर्ण प्रश्नों को वे समझने की भी कोशिश करते हैं। प्रदेश की दो करोड़ अनुसूचित जाति के उत्थान का कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है और इस के ऊपर कुछ करोड़ रुपये भी खर्च होते हैं। मैं आपके द्वारा कहूंगा कि जितनी कोशिश की गई है, जितनी मेहनत की गई है, जितना विभाग का विस्तार किया जा रहा है उतनी कामयाबी नहीं मिल रही है। केवल कानून बना देने से या आदेश देने से काम चलने वाला

नहीं है और विधान सभा में चर्चा करने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि अछूतों की दशा सैकड़ों वर्षों से खराब रही है। गैर सरकारी संस्थायें इस काम को करती रहीं, उनके पास विचारों की कमी नहीं थी, लेकिन धन की कमी रही, वे नाकामयाब रहीं। आज मन्त्री जी को मालूम है कि इस देश में हरिजनों की दशा को सुधारने के लिये दयानन्द और गांधी युग समाप्त हो गया है। अब आपकी लोकतन्त्रीय सरकार का युग आया है। उसने इसको सुधारने की कोशिश की है। लेकिन इस तबके को ऊंचा लाने में कानून से काम नहीं चलेगा बल्कि जब जनता दिल से चाहेगी तब होगा। एक-एक जिले में अपने अफसर बिठा रखे हैं, उनके पास क्या काम है और क्या अधिकार हैं? मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जब जिलों में अधिक काम था तो क्लर्कों की कमी थी अब आपने आदेश दे दिये हैं कि यह रकम खर्च करने के लिये ब्लाकों को दे दी जाय। उस समय क्लर्क्स कम थे, लेकिन आज बढ़ा दिये गये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हरिजनों की समस्या केवल अनुदान देने से खत्म होने वाली नहीं है। उनकी चतुर्दिक तरक्की के लिये, उनके संरक्षण के लिये, जो उनके ऊपर अत्याचार होते हैं उनके न्याय के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रैंक का आदमी हर जिले में हरिजन सहायक अफसर होना चाहिये जिनके यहां दरख्वास्त पड़े, रपट हो और उसका फैसला हो।

आज आपकी जो वर्तमान पुलिस है हरिजन डिपार्टमेन्ट से उसका कोई ताल्लुक नहीं। हरिजन सहायक अफसर को अगर आपको रखना है तो उसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पावर देनी पड़ेगी कि जिससे वह सब काम करे और फैसला करे। आये दिन हरिजनों पर अत्याचार होते हैं। आपकी पुलिस रपट नहीं लिखती। इसलिये इन अफसरों की पलटन से काम लेने के लिये आपको पुनः विचार करना होगा। आपकी भावनायें अच्छी हैं लेकिन कथनी और करनी में महान अंतर हो गया है। आपकी भावना है कि ज्यादा रुपया खर्च करके ज्यादा अफसर बैठाकर उनको सहायता पहुंचावें लेकिन सूबे के दफ्तर की जानकारी तो मुझे कम है अब थोड़ी-थोड़ी होने लगी है, मगर जिले के दफ्तरों की जानकारी मुझे अच्छी तरह है आप तक उनकी कारगुजारी नहीं पहुंच पाती है। अनुदान देने की जो पद्धति डिपार्टमेन्ट के द्वारा बनी हुई है मैं सबूत दे सकता हूं कि वह कितनी दोषपूर्ण है, माननीय झारखंडे राय जी के इलाके की दो घटनायें हैं। उन्हें अनुदान स्वीकृत हुआ, उनसे बांड भरा लिया गया, लेकिन आजतक अनुदान नहीं मिला। उन्हें कुएं के लिये और बढ़ईगिरी के लिये अनुदान स्वीकृत हुआ। कुआं बनकर तैयार हुआ। दोनों केसेज के वाउचर्स दोहरी घाट ब्लाक में जमा हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मैं आपको वह आदेश पढ़कर सुना देना चाहता हूं जो बी० डी० ओ० ने दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आदेश न पढ़ें, जल्दी अपनी बात खत्म करें।

श्री मंगलदेव—

आदेश इसलिये पढ़ रहा हूं कि आपको मालूम हो जाय कि जिनके ऊपर आपका सारा डिपार्टमेंट निर्भर है उनकी अक्ल कहां जा रहीं है? आपने बांड भरा लिया खसरा खतौनी रखा लिया, फिर भी आदेश देते है कि जितनी रकम स्वीकृत है उसकी दुगनी रकम का सामान खरीद कर उसका वाउचर हमारे दफ्तर में जमा करो तब अनुदान दिया जाय। श्रीमन्, किसकी ऐसी हैसियत हो सकती है? मुझे २ मिनट और दे दिये जांय। मैं यह निवेदन करूंगा कि जब जब रिजर्वेशन बढ़ा है तब तब सर्विसेज में उनका परसेन्टेज घटा है। पहले दस प्रतिशत रिजर्वेशन था उनका परसेन्टेज ज्यादा था। १८ परसेंटेज रिजर्वेशन करके धोखा दिया गया। उनका परसेंटेज तीन फीसदी से २ फीसदी हो गया। तो रिजर्वेशन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। आज जरूरत इस बात की है कि माननीय मंत्री जी एक जांच बैठावें और जिन अधिकारियों ने गलती की है, सन् ४७ से लेकर आज तक उनका पता लगावें तब उन्हें मालूम होगा कि हरिजनों के साथ बड़ा भारी अन्याय हुआ है।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वास्तव में यह हमारे प्रदेश और देश के लिए एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें हमारी आबादी के आधे से अधिक लोग मरीज बने हुए हैं। जब इतने ज्यादा मरीज हों और वह भी केवल एक बीमारी के नहीं, वह शिक्षा की कमी के मरीज, अर्थ की कमी के मरीज, गृह निर्माण की कमी के मरीज, अनेक प्रकार के साधनों की कमी के मरीज जिनके बिना कि मानव जीवन बिताया नहीं जा सकता, जब इस प्रकार के मरीज इतनी ज्यादा तादात में हों तो उनका उपचार करना आसान नहीं होता श्रीमन्, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हरिजन कल्याण, आदिवासी कल्याण और पिछड़ी जातियों के कल्याण की जो योजना सरकार ने बनाई वह प्रसंशनीय तो रही है, लेकिन हम जो सुधार की आशा करते थे कि इन १५ सालों मे हो जायगी वह नहीं हो सकती। मैं इस ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि इस प्रदेश में चार प्रकार की जातियां हैं पहली अनुसूचित जाति दूसरी अनुसूचित जनजाति तीसरी विमुक्त जाति और चौथी पिछड़ी जाति। श्रीमन्, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो आदिवासियों का क्षेत्र है। मंत्री जी ने बतलाया कि हमारे यहां शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है, लेकिन वह शायद इसलिये ही कहा गया कि शायद उनकी गणना ही प्रारम्भ में नहीं की गयी। जो आदिवासियों की लिस्ट दी गयी है वह पूरी नहीं है। श्रीमन्, यहां १२ आदिवासियों की जातियां हैं और वह क्षेत्र मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। वहां वे जातियां शेड्यूल ट्राइब्स मानी जाती है। अभी सेंटर की डिप्टी होम मंत्राणी वहां आयी थीं, उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको शेड्यूल ट्राइब्स नहीं माना है और इसलिये वहा कोई ब्लाक नहीं खुल सकता। तो मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि बाकी ६ जातियों को भी इस लिस्ट में शामिल होना चाहिये। यदि ऐसा नहीं होगा तो आधी आदिवासी जातियां छूट जायगी और उनका कल्याण होना सम्भव नहीं। वहां पर गोंड, मझवार, खरवार, धनिका, चेरों, पठारी, धांगर, कुरवा, भुइंयां, भुइहार, कोल, घसिया आदि जातियां हैं।

इसके अतिरिक्त हमारे मंत्री जी ने तीन बातों पर जोर दिया था शिक्षा, आर्थिक उन्नति और हाउसिंग स्कीम। मैंने स्वतंत्रता के बाद पढ़ना शुरू किया था और मुझे व्यक्तिगत अनुभव है। स्कालरशिप मिलने में क्या दिक्कतें हैं यह मैं जानता हूं। आज उच्च शिक्षा कोई भी स्कालरशिप के बल पर नहीं ले सकता। वजीफा बाद में मिलता है और अगर मेरे पास अन्य साधन न होते तो मैं यहां भी न आ पाता। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि विद्यार्थियों को पुस्तकें जुलाई में ही मिलनी चाहिये और स्कालरशिप हर महीने मिल जानी चाहिये। अगर मार्च में स्कालरशिप मिलती है तो वह बेचारा जुलाई में एडमीशन ही नहीं ले पायेगा। सौभाग्य से स्कालरशिप बाटने का जो तरीका है वह मुझे भी देखने का अवसर मिला है। प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल के विद्यार्थियों को जो स्कालरशिप दिया जाता है, वह अभी भी स्कूलों तक नहीं पहुंच पाया है। जब साल खत्म होगा तब स्कालरशिप मिलेगा। किताबें भी अभी नहीं मिल पायी हैं। इस ओर मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिये। उनकी आर्थिक उन्नति के लिये भी कुछ किया जाना चाहिये। वे ज्यादातर मजदूर हैं। मध्य प्रदेश की सरकार उनको जमीन वितरण कर रही है और दूसरे साधन दे रही है। हमारे यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। गृह निर्माण के संबंध में मैं कल्पनार्थसिंह जी से सहमत हूं। उस रुपये का सदुपयोग नहीं होता। हमारा क्षेत्र बहुत बैकवर्ड है, लेकिन वह एक दिलचस्प एरिया है। वहां के आदिवासियों का संबंध आज भी फलफूल और जंगल से ही है। वे शिकार पर ही निर्भर रहते है। मैं अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं प्रार्थना करता हूं कि वहां भी आप एक आश्रम स्थापित करें। वहां ६० फीसदी से अधिक लोग आदिवासी हैं और वे तभी उन्नति कर सकेंगे जबकि आप कुछ खास प्रयत्न उन के लिये करेंगे।

मान्यवर, मैं आप को यह बता देना चाहता हूं कि सरकार ने हमारी तरफ २–२ हाई स्कूल खोले

हैं, लेकिन अभी वहां पर शिक्षा नहीं बढ़ रही है और इसका कारण यही है कि वहां लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। २ लाख आदिवासियों में मैं ही पहला ग्रेजुयेट हूं। इससे आप सोच लें कि यह इलाका कितना बैकवर्ड है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि वह हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र के लिये योजना बनायें और ऐसी कोशिश करें कि जिससे वहां पर केन्द्रीय सरकार से उस क्षेत्र को ट्राइबल ब्लाक बन जाने पर उत्थान के लिये सहायता मिल सके।

श्री मंगलप्रसाद आर्य (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि जो उस प्रस्तुत बजट के विषय पर मुझे भी बोलने का अवसर प्रदान किया गया। यह मांग हरिजनों के उत्थान के लिये, उनकी उन्नति के लिये, उद्योग धंधे बढ़ाने के लिये, शिक्षा सुधार के लिये और उनकी हर प्रकार की उन्नति के लिये प्रस्तुत की गयी है।

मान्यवर, आज करीब १५ वर्ष हुये, इस सरकार ने हरिजनों के प्रति कौन-कौन-सी उन्नति के साधन किये हैं? क्या हरिजनों की आर्थिक हालत में कुछ सुधार हुआ है? क्या उनके परिवारों के ऊपर ऋणों का बोझ कुछ हल्का हुआ? क्या पहले की अपेक्षा उनको वस्त्र और भोजन की सुविधायें अधिक मिलने लगी हैं? यह सब कुछ भले ही न हो पाया हो परन्तु हमारी सरकार तो यही समझती है कि ऊपर के निर्देशों द्वारा ही उन्नति हो जाती है और उत्पादन बढ़ जाता है। सरकार ने तो केवल फाइलों और पत्रों का ही उत्पादन बढ़ाया है। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, उसमें आप देखें कि कक्षा १ से ८ तक जो उनके बच्चों को स्कालरशिप दी जाती है वह अन्तरिम जिला परिषदों के ऊपर निर्भर कर दी गई है। वहां पर यह होता है कि वहां के क्लार्क जब किसी दूसरे लड़के से पैसा पा जाते हैं, तो एक का वजीफा काट कर दूसरे के नाम चढ़ा देते हैं। जो कक्षा ९–१० से ऊपर छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, वह समय पर नहीं मिलती हैं वह ९–१० महीने के बाद मिलता है। जो पुस्तकें दी जाती हैं परीक्षा के समय के करीब आ जाने पर दी जाती हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे। मकान और कुवें बनवाने के लिये जो अनुदान दिये जाते हैं, वह ब्लाक स्तर पर कर दिये गए हैं। इससे उन को दी गई धनराशि का अपहरण होता है और उस आदमी को पूरा रुपया नहीं मिल पाता है। मैं अपने यहां बहराइच ब्लाक के विशेषरगंज की दशा आप को सुनाता हूं। हमारे यहां हरिजनों के अनुदान के सिलसिले में बी० डी० ओ० उनसे कहते हैं कि २५० रुपया पहले जमा कीजिये, तब रुपया मिलेगा। मैं यह कहता हूं कि यदि रुपया उनके पास होता तो उनको सरकार से अनुदान लेने की क्या आवश्यकता थी। इसके अलावा कुयें आदि के लिये जब प्रार्थनापत्र वहां भेजा जाता है, तो लगभग साल भर परेशान किया करते हैं। जब तक उनको पैसा नहीं मिल जाता है, तब तक उनका प्रार्थना-पत्र नहीं मंजूर किया जाता है। मैं एक उदाहरण आप के सामने मुसम्मात रत्ना का ब्लाक विशेषरगंज का देना चाहता हूं। साल भर से दौड़ रही हैं, कभी प्लानिंग अधिकारी के पास दौड़ती हैं कभी कहीं, परन्तु आज तक उनको रुपया नहीं दिया गया है।

मान्यवर, इसके अलावा मैं कुछ नौकरियों के बारे में भी कहना चहता हूं। जब सरकार हरिजनों के लिये शिक्षा का प्रबन्ध करती है और वह पढ़ लिख कर निकलते हैं तो उनको जगह नहीं मिलती। प्रथम, द्वितीय में कौन कहे, तृतीय, चतुर्थ किसी श्रेणी में भी नहीं मिलती है। विकास आयुक्त का जो आदेश था कि ब्लाक में डाकिये और चपरासी केवल हरिजन हों, उसके बजाय १८ फीसदी चपरासियों में हरिजनों की जगह नहीं पूरी की जा रही है। विशेशरगंज ब्लाक में ४–५ चपरासी हैं, उनमें एक भी हरिजन नहीं हैं। मैं डी० सी० और प्लानिंग अधिकारी से मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कोई आदेश नहीं मिला है। लेकिन सरकुलर मौजूद है। अतः मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि यह जो अनुदान दिया जाता है, बजाय ब्लाक के जिला हरिजन कल्याण अधिकारी द्वारा यह सब काम कराया जाय।

इसके अलावा शहरों के स्कूलों में होस्टल नहीं रखा जाता है सरकार को चाहिये कि शहरों के स्कूलों में भी होस्टल खुलवाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष---

आप का समय समाप्त हो गया। श्री खुशी राम।

श्री काशीनाथ मिश्र---

व्यवस्था का प्रश्न है। अभी तक जितने भाषण हुए, सदन में ऐसा लगता है कि हरिजन सदस्यों से ही आप बुलवा रहे हैं, तो इस तरह से क्या आप वर्ग-विशेष कायम करना चाहते हैं? दूसरे लोगों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है?

श्री उपाध्यक्ष---

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जो दिलचस्पी रखते हैं. . . .

श्री काशीनाथ मिश्र---

अभी तक जितने भाषण हुए, जरा गिना जाय, उनमें कितने हरिजन थे? क्या आप भाषणों में भी वर्ग विशेष कायम करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष---

आप विराजिये, विराजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र---

क्या इसी तरह से वर्ग-विहीन समाज स्थापित होगा? मैं तो विराज जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप विराजिये।

श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे इस आवेदन पर विचार प्रकट करने का मौका दिया। मैं इस अनुदान का हृदय मे स्वागत करता हूं। यह अनुदान सारी हरिजन या पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान के लिये है और हम सरकार को हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिसने हमारे हरिजनों के उत्थान के लिये यह साधन बनाये हैं। मुझे बहुत दिनों से अनुभव है कि इस देश के अन्दर इससे पेश्तर बहुत हालत खराबी थी। यह निर्विवाद बात है कि बहुत अंशों में सुधार हुआ है और अभी जो सरकार करना चाहती है पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये ,उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ सुझाव देने हैं। मैं आदरणीय सदन में कई बार कह चुका हूं कि ५ साधन आवश्यक हैं, और अब भी मेरा वही निश्चित मत है। पहला शिक्षा है, दूसरा भूमि है, तीसरा उद्योग, चौथा नौकरियां और पाचवीं बात यह है कि उनके साथ जो अमानुषिक भेद---भाव और व्यवहार होता है इसको दूर किया जाय। अनुसूचित जातियों को उठाने के यही साधन हैं। जहां यह पांचों साधन इनको दे दिये जायेंगे, इनका उत्थान हो जायेगा।

दूसरी बात यह है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि के लिये उनको भूमि दे कर उनका ज्यादा उपकार किया जा सकता है। चूंकि अब समय नहीं है, अपनी और बातों को मैं अब नहीं कहूंगा। इतना अवश्य कहूंगा कि नैनीताल जिले में ३ हजार एकड़ भूमि मिली थी, लेकिन उसमें से एक हजार ले ली गयी, दो हजार एकड़ वहां है। उस दो हजार में से भी एक हजार के लिये उम्मीदवार आये थे। ३ साल हो गये हैं बसे हुये, लेकिन जो मुसीबत उनको हो रही है वह वहां देखने से ही मालूम होगी। वहां बहुत ही खराब हालत है। बागजाला, बमुआढुंगा और भागुली खाल में जो कुछ देना था उनका फैसला करते-करते ८ वर्ष हो गये हैं। इस प्रकार की देर बहुत ही खराब है। रामपुर, लेटी और चुपड़ा में लोगों को काश्त करते हुये ३५ वर्ष से ४२ वर्ष तक हो गये हैं, उनके वहां मकान बन गये हैं, बागात लग गये हैं, लेकिन उन्हें हटाया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप का समय समाप्त।

श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—

मैं इस ५ मिनट में माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि यह पिछड़ी जातियों की और हरिजनों की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। अगर चीन का संकट मौसमी बुखार है तो यह भयानक तपेदिक है। अफ़सोस यह है कि सरकार ने इसे उस रूप में नहीं लिया है जिसमें उसे लेना चाहिये था। थोड़े बहुत अनुदानों से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। हजारों वर्षों से, आर्यों के आने से पहले, और न जाने कितने समय से यह समस्या चली आ रही है। १५ वर्ष का मौक़ा और है, जिसमें आप चाहें तो इस समस्या को सुलझा सकते हैं, अपने ढंग से सुलझा सकते हैं, लेकिन उसके बाद यह समस्या अपने ढंग से हल होगी चाहे वह हमको और आप को पसंद हो या न हो। राठ में पिछली बार एक सम्मेलन हुआ था। माननीय जगजीवन राम ने कहा कि ८० प्रतिशत जनसंख्या हरिजनों और पिछड़ी जातियों की होते हुये वे सुरक्षा की मांग करते हैं, यह कितने दुख की बात है। मैंने कहा कि ५ करोड़ आबादी अंग्रेजों की थी और हमने ४५ करोड़ हिन्दुस्तान की आबादी ने ५० साल तक उनसे मांग की। यह तो स्थिति का तक़ाज़ा है। लेकिन अगर सरकार उस ओर पूरा ध्यान नहीं देती है तो यह समस्या इतनी विकट हो जायगी कि इसका समाधान सरकार की शक्ति के बाहर हो जायगा। हमें ४ चीजों की जरूरत है। पहली है रोजी के साधन, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है सुरक्षा और चौथा सम्मान। पहले दो में रुपये का खर्चा है। नौकरियों की जो मांग की जा रही है, उसकी बड़ी आवश्यकता है और इससे पिछड़ी जाति वालों की हरिजनों की सुरक्षा हो सकती है। चौथे में जरूरत है कि ऐसा वातवरण पैदा किया जाय कि चमड़े का काम करने वाला कम से कम भीख मांगने वालों से तो अच्छा ही माना जाय। जरूरत इस बात की है कि इस वातावरण को सजग किया जाय कि चमड़े का काम करने वाला अच्छा है बनिस्बत भीख मांगने वाले से और लेखनी पर जीवन पर व्यतीत करने वाले से। एक जिले में १०, २० हरिजनों के घर या २, ४ कुयें बनवाने से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। दुःख इस बात का है कि बापूजी ने जो कल्पना की थी हमारी सरकार ने उसे ओझल कर दिया। जरूरत इस बात की है कि हमारा और सरकार का दृष्टिकोण बदले और इसके लिये आवश्यक है कि पिछड़े वर्गों और हरिजनों की समस्याओं को उस आधार पर लिया जाय जिस पर लिया जाना चाहिये! पिछड़ा वर्ग कमीशन एक जिम्मेदार कमीशन था, उसने बड़ी जांच के बाद पिछड़े वर्गों और पिछड़ी जातियों के नाम दिये हैं और काका कालेलकर उस कमेटी के चेयरमैन थे। अब एक हवा गूंज रही है कि पिछड़ी जातियों का आधार आर्थिक ले लिया जाय। तो किसी दिन यह भी हो सकता है कि अस्पृश्यता का आधार आर्थिक ले लिया जाय। हो सकता है कि कुछ चमार हो सकते हैं पर कुछ पिछड़ी जाति के लोग धनी हो सकते हैं उन लोगों से, लेकिन यह तो वैसा ही है जैसे हिन्दुस्तान के कुछ लोग अमेरिका और अंग्रेजों में से बहुत से लोगों से धनी हों। इससे हिन्दुस्तान अकड़ नहीं सकता। अगर यह दृष्टिकोण अपनाया गया तो इसका भयंकर दुष्परिणाम होगा जिसको भुगते बगैर यह देश छुट्टी नहीं पा सकता। इसलिये इस समस्या को इस ढंग से सोचना है।

जहां तक वजीफे आदि की बात है, उस में कुछ सुधार हुआ है, हो रहा है। मैं स्वयं एक प्रिंसिपल हूं मैं जानता हूं लेकिन दो एक बातें जरूरी हैं। हरिजनों को नवें और दसवें क्लास तक १० या १२ रुपया जैसे इन्टर और बी० ए० क्लासेज के लड़कों को मिलता है मिलना चाहिये। पिछड़ी जातियों को जो वजीफे दिये जाते हैं उसमें कम से कम १० गुना वृद्धि होनी चाहिए तभी कुछ फायदा पहुंचेगा, वरना यह प्रयास व्यर्थ का प्रयास होगा।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो ग्रांट आज हरिजनों के लिये पेश है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

माई, बाप, हुजूर, सरकार आप ने वादा किया था कि आप मुझे समय जरूर देंगे और अब आधे घंटे का समय बढ़ाया गया है और आप अब समय बढ़ाने के बावजूद भी कहते हैं कि नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप गलत बात कहते हैं, मैंने कोई वादा नहीं किया था। आप बैठ जाइये।

श्री शिवप्रसाद—

तो श्रीमन्, यह विभाग जिन मन्त्री महोदय के पास है उनका समय हरिजनों की सेवा में ही बीतता है। वे हरिजन प्रेमी हैं।

अब मैं चन्द सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसे कि मंत्री जी ने कहा था कि जिलों में जो हरिजनों को ग्रांट दी जाती हैं उनका इधर २ वर्षों से सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है। दोष इसमें यह है कि हरिजन सहायक समितियां जो बनी हुई हैं वह एक बड़ी समिति है और उसमें जो अनुदान स्वीकृत हो जाते हैं उसकी स्वीकृति का एक तरीका बना हुआ है कि हर एक ब्लाक में अनुदान भेज दिया जाता है यहां से और फिर वहां बी० डी० सी० की मीटिंग होती है और वहां प्रस्ताव पास होते हैं और उन व्यक्तियों को अनुदान दिये जाते हैं लेकिन वह वहां से आगे चल कर झमेले में पड़ जाते हैं और काफ़ी समय लगता है। यह देखा गया है कि हरिजन कल्याण विभाग की तरफ से जो योजनायें चलती हैं उसमें दो रायें नहीं हैं कि सरकार की नीयत है कि हरिजनों का उत्थान किया जाय, लेकिन आगे चल कर जिलों में जो कार्य की पद्धति बनायी गयी है वह ऐसे ढंग से बनाई गई है कि पाने वाला। सही उपयोग नहीं कर पाता। बी०डी०सी० में जो अनुदान स्वीकृत हो जाता है उस के बाद भी बी० डी०ओ० या ए० डी० ओ० में जिम्मेदार कोई नहीं होता कि जो उस धन का सही ढंग से उपयोग करा सके। जैसे ऐग्रीकल्चर के ए० डी० ओ० होंगे, कोआपरेटिव के ए० डी० ओ० होंगे, उसी तरह से अगर ब्लाकों में हरिजन ए० डी० ओ० बना दिये जायं तो मैं समझता हूं कि हरिजनों का अनुदान ठीक तरह से खर्च हो सकेगा। आज जो हरिजन कल्याण अधिकारी की कार्य करने की प्रणाली है उसमें इधर देखा गया है कि हरिजन कल्याण अधिकारी को यह अधिकार नहीं होता कि वह जिलों में तमाम तरफ घूम कर हरिजनों के इन कार्यों को देख सके और उस की व्यवस्था कर सके। जिलों में जैसे नियोजन विभाग हैं उसके अन्तर्गत, या पशुपालन विभाग है, उसके अधिकारी, या कृषि अधिकारी, उन सब के लिये यह व्यवस्था की गयी है और नियोजन की गाड़ियां उनको मिल जाती हैं, उससे वह घूम लिया करते हैं। हमारे यहां जिलों में हरिजन संचालक या उप-संचालक पहुंच जायं तो उनके घूमने की व्यवस्था नहीं है। बी० डी० ओ० के अधिकार हरिजन कल्याण अधिकारी से ज्यादा हैं। इसलिये हरिजन कल्याण अधिकारी का ज्यादा अधिकार सौंपने होंगे और जब वह अधिकार आप उनको सौंपेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सकेगा। अनुदान के बाबरे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि वह व्यवस्था दोषपूर्ण है। पहले की व्यवस्था के अनुसार मिलना चाहिये।

शिक्षा के सम्बन्ध में हाई स्कूल में जो छात्र पढ़ते हैं उन्हें छात्रवृत्ति मिलने में असुविधा होती है। जिला विद्यालय निरीक्षक का कार्य उसे वितरण करना है लेकिन उसके पास काम इतना है कि वह ज्यादा समय नहीं दे पाता जिससे छात्रवृत्ति मिलने में देरी होती है। देवरिया जिला का उदाहरण मैं पेश कर दूं कि हाई स्कूल में पढ़ने वाले हरिजन छात्रों को कल तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है हालांकि मंजूरी हो चुकी है। प्रिन्सिपल जो स्कूलों के हैं उनकी बड़ी ढिलाई है। मनमाने ढंग से बिल को बनाते हैं और पैसा ड्रा करते हैं। इसलिये जिला हरिजन सहायक अधिकारी के मातहत इसकी व्यवस्था कर दी जाय।

हमारे यहां छितौनी क्षेत्र में हरिजन इंडस्ट्रियल इस्टेट खोलने का प्रोपोजल चल रहा है लेकिन उधर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बख्शी के ताल और गोरखपुर में हरिजन ट्रेनिंग सेंटर्स हैं लेकिन वहां से निकले लड़के बेकार पड़े हुए हैं। उनको आई० टी० आई० की तरह मान्यता मिलनी चाहिये। पिछले साल जिनको ट्रेनिंग दी गयी डेढ़ साल की ट्रेनिंग के बाद प्रेक्टिकल ट्रेनिंग की उनके लिये व्यवस्था नहीं हो सकी। कल-कारखानों के नियम ऐसे बन गये हैं लिहाजा एमर्जेंसी पीरियड में औद्योगिक ट्रेनिंग प्राप्त करने की विशेष आवश्यकता है और दूसरे विभागों में अथवा कारखानों में लगाने की आवश्यकता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

केवल हरिजनों को ही मौका देकर सरकार की जो नीति है उसका उल्लंघन किया गया है। आप दूसरे लोगों को भी बोलने दीजिये। किस नियम के अन्तर्गत आप ऐसा कर रहे हैं कि सवर्णों को बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

आप विराजिये। मेरी गलती समझ लीजिये।

श्री कल्पनाथसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं उन सभी का जिन्होंने खुल कर इस बात की ताईद की कि आज इस प्रदेश में हरिजनों तथा पिछड़े हुए लोगों की जो दुर्दशा है वह किसी से छिपी नहीं है और खास तौर पर मैं माननीय नियामतुल्ला और रामप्यारे जी का बड़ा शुक्रगुजार हूं जिन्होंने विशेष परिस्थितियों की तरफ सरकार का ध्यान खींचा। सब की मंशा एक है कि हरिजनों के घर में विष्णु को पहुंचाने से लाभ नहीं होगा, अगर यह सरकार लक्ष्मी को भी उनके घर में पहुंचाये तो ज्यादा फायदा होगा। उन घरों की इज्जत बढ़ी है जहां लक्ष्मी पहुंची हैं, महज विष्णु से कभी इज्जत नहीं बढ़ी है। मैं चाहता हूं कि सरकार पुनः इस बात पर ध्यान दे।

समय कम है, मैं मोटी-मोटी बातें फिर से गिनाये दे रहा हूं जो सरकार को करनी चाहिये कि इन पिछड़े हुये और हरिजनों का कर्जा माफ कर दे जो आज भी कर्जे से दबे हुये हैं। प्रत्येक परिवार के लिये काम की व्यवस्था करे और उसकी सुरक्षा होनी चाहिये। पिछड़े वर्ग के लोगों को और स्कालरशिप मिलने चाहिये। आज मल्लाह, कहार, कोहार, कोइरी, बढ़ई, लोहार आदि आदि पिछड़ी जाति के लड़के अपनी शिक्षा छोड़ कर बैठे जा रहे हैं। अगर मंत्री जी को देखना है तो प्राइमरी शिक्षा या इसके बाद जितने लड़के हैं, उनका सर्वेक्षण करा लें कि वे लड़के मिडिल स्कूल ही में क्यों तालीम छोड़ कर बैठ जाते हैं।

अभी एक माननीय सदस्य ने आगरे के जूता उद्योग की चर्चा की। मैं इस तरफ भी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां नेशनल स्माल स्केल इंडस्ट्रीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से थी उसका काम शुरू हुआ। वह काम अपनी जगह पर ज्यों का त्यों रह गया और इस मामले में पंजाब के लोग आगे बढ़ गये और आगरे के वे भाई जो चमड़े का कारोबार करते थे आज उनके माल की खपत की कोई व्यवस्था नहीं है और पूंजीपतियों को उनका माल नीलाम के जरिये खरीदने की छूट दी जा रही है। मैं चाहूंगा कि एक मार्कटिंग फेडरेशन इस काम के लिये कायम किया जाय जो आगरे के जूता व्यवसाय की रक्षा करे या मंत्री जी और कोई व्यवस्था इसके लिये करें।

मैं पुनः उन सब माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अब वे अपने विचारों से हम लोगों को अवगत करायें और खासतौर पर उन बातों का जिक्र जरूर होना चाहिये जो अन्य लोगों ने कहीं और जिनसे लोगों को ज्यादा तकलीफें हैं।

*श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने उन माननीय सदस्यों को बहुत आभारी हूं जिन्होंने तरह तरह के सुझाव दिये और जैसा मैं पहले निवेदन कर चुका हूं उन सुझावों पर विचार करने की कोशिश करूंगा। उनमें से कुछ ऐसे सुझाव हैं जिन पर अमली कार्रवाई करना जरूरी और मुनासिब है, वह की जायगी।

यह मामला इस प्रकार है कि जो हमारे नागरिकों का एक अंग एक जमाने से दबा हुआ था और जैसा कि हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा कि उनको तरह-तरह के ऐसे नामों से सम्बोधित किया जाता था कि जिन नामों के साथ घृणा सी हो गयी थी, या हम उनको अछूत कहते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव]

थे या इसी किस्म के शब्द इस्तेमाल करते थे, उस चीज को ऊंचा उठाने के लिये महात्मा गांधी ने कहा कि उनको हरिजन कहा जाय । हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि हरिजन के माने हैं कि जिसका सब कुछ हर लिया गया हो । मैं समझता हूं कि यह माने उनके ठीक नहीं हैं । हरिजन के माने तो यह हैं कि हरि का वह जन है और हरि नाम है भगवान का। तो इस तरह से जो उनकी तरफ से एक घृणा की भावना थी उसको गांधी जी ने यह शब्द दे कर दूर करने की कोशिश की । हमारे संविधान में आप कहीं हरिजन शब्द नहीं पायेंगे । उसमें धारा ३४१ और ३४२ में कहा गया है कि एक शेड्यूल बनाया जायगा और प्रेसीडेंट को अधिकार दिया गया कि वह कुछ जातियों को शेड्यूल कर दें। तो जो कास्ट्स उस शेड्यूल में दर्ज हैं वह शेड्यूल्ड कास्ट्स कहलाती हैं और उनके संबंध में उपधारा (२) में यह है कि यह पार्लियामेंट को अधिकार होगा कि उसमें से घटाये या बढ़ाये । जब हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो हमारा उद्देश्य यह है कि वे अनुचित जातियां जो शिड्यूल में रखी हुई हैं वे धीरे-धीरे हटाई जायं और हरिजन कल्याण विभाग खत्म हो जाय जैसा कि माननीय कल्पनाथ सिंह जी तथा अन्य सदस्यों ने कहा कि तभी यह समझा जायगा कि हमने पूरी सेवा या उनका कल्याण किया । जब तक उनको शिड्यूल में रखते हैं तब तक उनकी परिभाषा वह रखनी है जो हमारे विधान में है । अगर इस समय यह कर दें कि जिनकी आमदनी एक हजार रुपये से कम है वे हरिजन हो जाते हैं ऐसा मान लें तो नतीजा यह होगा कि बहुत से ऐसे लोग जिनकी आर्थिक दशा खराब है और दूसरी जाति के हैं वे भी आ जायेंगे और बहुत से हरिजन भाई रह जायेंगे जिनके पास खेती है । यह बात मैं मान लेता हूं कि अधिकांश हरिजनों की दशा खराब है। मगर अन्य लोगों की भी दशा बहुत खराब है। आये दिन लोग आते रहते हैं और डिसक्रीशनरी फंड से सहायता मांगते हैं । मैं सवाल करता हूं कि आपकी क्या जाति है, गो यह पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो सोसाइटी हम बनाना चाहते हैं उसमें से यह सब चीज निकल जानी चाहिये, लेकिन हमें पूछना पड़ता है। अगर ऐसा न करें तो जो जातियों को सदियों से दबी हुयी हैं, जिनके साथ अन्याय किया गया है, उनके साथ न्याय नहीं कर पायेंगे। यह ऐसी बात है कि किसी के पैर तोड़ दिये हैं, हाथ तोड़ दिये हैं तो बैंडेज करना है और उनको स्टैंडर्ड पर लाना है और जब तक नहीं लाते हैं तब तक यह व्यवहार करना पड़ेगा । इसके लिये संविधान में भी फंडामेंटल राइट्स में एक्सप्लेनेशन जोड़ दिया गया है कि जब हम डिफरेंशियेट नहीं कर सकेंगे जिसको हमने शिड्यूल कास्ट में रखा है और उसके साथ अलग व्यवहार करेंगे तो उसके लिये रिट दाखिल नहीं हो सकती है । यह हमारी नीति है, यह हमारा उद्देश्य है ।

जब हमने सोचा कि जो शब्द भी इस्तेमाल करें जिनको हम एड देने जा रहे हैं, उसका वितरण न्यायपूर्वक होना चाहिये । हमने एक जी० ओ० १९ अप्रैल सन् ६२ को जारी किया और जिला हरिजन सहायक समितियां बनाई और जिला परिषद् के चेयरमैन को उसका चेयरमैन बना दिया। वाइस चेयरमैन गवर्नमेंट का नामिनी है और एम० एल० ए०, एम० एल० सी० तथा एम० पी० उसके सदस्य हैं, वे लोग उसकी कार्यवाही में ज्यादा दलचस्पी लें और अगर लेंगे तो जो उनके साथ बेइंसाफी होनी है उसे रोक सकेंगे ।

श्री दीपनारायण सिंह—

श्रीमन्, हमारे जिले में बैकवर्ड क्लास के एम० एल० ए० और एम० एल० सी० शामिल नहीं हैं । वे देख लें किस तरह से वह बनी है । सब जाति के लोगों को रखा है । अगर कहीं गलती हो गई हो तो ठीक कर दें ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

यह बात जैसे कि कहा गया कि हरिजनों का इंटरेस्ट देखना केवल हरिजन की ही बात नहीं है, अगर आप यह बात मान लेंगे तो मुझे यह पोर्टफोलियो नहीं मिलना चाहिये। तो अब अगरचे जो एम० एल० ए० साहबान ने यहां कटमोशन दिया और जो आलोचना की और सुझाव दिये, अगर यह महदूद कर दिया जाता सिर्फ हरिजन सदस्यों तक तो क्या यह उचित था ? इसलिये अगर यहां बैठकर नान-हरिजन मेम्बर हरिजनों के अधिकारों की रक्षा और उनकी सेवा करने की कोशिश करता है तो कोई वजह नहीं है कि वहां बैठकर न कर सके ।

श्री कल्पनाथसिंह—

एक गलतफहमी हो रही है । असल में इनका कहना यह था कि कोई एम० एल० ए० या एम० एल० सी० फतेहपुर जिले में उस कमेटी में है ही नहीं, इसका मतलब यह है कि वह कमेटी ही नहीं है । दूसरी सूचना मैं दे दूं कि मेरे गोरखपुर जिले में मुझको केवल एक बार सूचना मिली है साल भर के अन्दर, हरिजन सहायक समिति की, तो अगर इतने अरसे में इसकी मीटिंग होगी . . . . . .

श्री दीपनारायणसिंह—

मैं यह बता दूं कि फतेहपुर जिला हरिजन सहायक समिति का मेम्बर मैं नहीं हूं । वह अन्तरिम जिला परिषद् के जो भूदानी नेता हैं वह जिसको चाहते हैं उसको बना देते हैं ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

माननीय सदस्य अगर इस जी० ओ० को पढ़ लें तो इसमें यह लिखा हुआ है कि "आल एम० एल० एज०, आल एम० एल० सीज० एण्ड एम० पीज० रिजाइडिंग इन दि डिस्ट्रिक्ट" तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वह अंतरिम जिला परिषद् की कृपा पर निर्भर करें । (व्यवधान) अच्छा तो मैं उसका जो कांस्टीट्यूशन है उनको बताये देता हूं । क्षेत्र समिति के जितने चेयरमैन हैं वह इसके वे मेम्बर हैं, हरिजन वेलफेयर बोर्ड के जितने मेम्बर्स जो उस क्षेत्र में रहते हैं वे इसके मेम्बर हैं मेयर आफ कारपोरेशन एण्ड चेयरमैन म्युनिसिपैलटीज, चेयरमैन हरिजन सेवक संघ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा नामिनेट किया हुआ विमुक्त जाति का एक प्रतिनिधि, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा नामिनेट किया हुआ स्वीपर्स का एक प्रतिनिधि, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दो और नामिनी, एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (प्लानिंग) यह इसके मेम्बर सेक्रेटरी होंगे और डिस्ट्रिक्ट हरिजन एण्ड सोशल वेलफेयर आफिसर इसके मेम्बर ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे । तो अगर इत्तला नहीं मिलती है, अगर सेक्रेटरी काम नहीं करते तो आपको दिलचस्पी होनी चाहिये । मेरे पास एक शिकायत ऐसी आई कि एक जगह से उनको इत्तला नहीं दी गई । मैंने उसकी इंक्वायरी की । अपने यहां से मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर भेजा । इसी तरह से अगर आप दिलचस्पी लेना शुरू करेंगे और अपने अधिकारों को एसर्ट करेंगे तो यह बात नहीं रहेगी (व्यवधान) ।

अब इसी जी० ओ० के जरिये से हमने तीन सब कमेटियां बना दी हैं—एक एजूकेशन सब कमेटी, स्वीपर्स वेलफेयर कमेटी और एक इंडस्ट्रीज सब-कमेटी । इसके भी मेम्बर्स हैं । मेरे पास ज्यादा समय नहीं है वरना इनको भी बताता । इंडस्ट्रीज कमटी में एम० एल० एज० और एम० एल० सीज०, सब हैं । इसी तरह से एजूकेशन सब-कमेटी में हैं । जो इनको पहले हो-स्टेल्स का रुपया देते थे उसके लिये अब यह कर दिया गया है कि एजूकेशन कमेटी जिले में सब एडेड इंस्टीट्यूशन्स से एप्लीकेशन मांगे और देखे कि कितने लड़के हैं और कितनी जरूरत है और फिर वह अपनी रिकमेंडेशन अंतरिम जिला परिषद् के पास भेजे । मुझे दुख है कि जो प्रोग्राम था होस्टलें बनाने का वह फिलहाल एक साल के लिये नहीं रखा गया और सब चीजें तो हैं । मैं बहुत नम्रता से निवेदन करूंगा कि जो यह समितियां और उपसमितियां हैं इनमें माननीय सदस्य थोड़ी दिलचस्पी लें और उनके दिलचस्पी लेने से जो रुपया दिया जाता है उसका ठीक वितरण हो सकेगा और काम ठीक ढंग से हो सकेगा । इसके बाद यदि आपको कोई कठिनाई हो तो उसे आप बतला सकते हैं और उसे कमेटी में रख सकते हैं । वहां ही उनकी मेरिट्स पर विचार हो सकता है, यहां मैं अपने विचार उस संबंध में नहीं रख सकता ।

यहां के विवाद में हरिजन सेवा और हरिजन कल्याण का चर्चा हुआ । उसके दो रूप हैं—एक पाजिटिव और दूसरा निगेटिव । पाजिटिव तो यह हुआ कि हम उनको छात्रवृत्ति दें, स्कूल खोल दें, कुआं बनवा दें या दूसरी सुविधायें प्रदान करें । लेकिन दूसरा निगेटिव रूप जो है, वह यह कि अगर कहीं उनके साथ अन्याय होता है किसी दूसरे विभाग में तो उसे रोकने का काम भी हरिजन कल्याण में आता है । पहले में तो हम डाइरेक्ट काम, मदद आदि कर सकते हैं, लेकिन दूसरे में, जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि कहीं एक हरिजन मास्टर को निकाला जा रहा है और सवर्ण को रखा जा रहा है, उसके लिये मैं अपने शिक्षा मंत्री को एक नोट भेज दूंगा । उसके लिये इसके अतिरिक्त यह विभाग और कुछ नहीं कर सकता । अगर रेवेन्यू विभाग में

[श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव]

किसी हरिजन पटवारी का ५ जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है तो अगर उसका नाम लिख कर माननीय सदस्य देंगे तो मैं अपने माल मंत्री जी की सेवा में यह नोट भेज दूंगा कि हमारे हरिजन अधिकारी के साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है, लेकिन मैं डाइरेक्टली उसमें कुछ नहीं कर सकता, इसलिये कि दूसरे विभाग में मेरा कोई अधिकार नहीं है। आप बाई स्ट्रेच आफ इमैजिनेशन उसे सेवा में ला सकते हैं और उसके लिये मैं उनकी वकालत करने के लिये तैयार हूं, लेकिन उसका अनुदान कम करने से कोई संबंध नहीं होना चाहिये ।

अब रिजर्वेशन के लिये राधाकृष्ण कमेटी का हवाला कई बार दिया गया। मैं आपको बतलाऊं कि चतुर्थ श्रेणी के हरिजन कर्मचारियों की संख्या हमारे यहां २८ परसेंट है। यह ठीक है कि दूसरे क्लास की सर्विसेज में हम उनकी संख्या पूरी नहीं कर पाये हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, हम उसके लिये चेष्टा कर रहे हैं । हमारी कठिनाइयों को भी आपको देखना चाहिये । लेबर डिपार्टमेंट के पालीटेक्निक में हमने शेड्यूल कास्ट के लिये सीटें मुकर्रर कर रखी हैं। यह ठीक है कि आबादी के अनुपात से उनको १८ फीसदी जगहें मिलनी चाहिये । रुड़की यूनिवर्सिटी में हमने उनके लिये २० प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर दिये हैं । इसके अलावा इंजीनियरिंग कालेज में उनके लिये एज रिलैक्सेशन कर दिया है । मेडिकल कालेज में हरिजन विद्यार्थियों के लिये पास मार्क्स ५ परसेंट कर कर दिये हैं। स्टैनोग्राफी सिखाने के लिये उनके लिये १०,००० रुपया अलग रख दिया गया है । इस तरह की कार्यवाहियों का उद्देश्य यही है कि राधाकृष्ण अग्रवाल कमेटी के जो सुझाव हैं उनको पूरा करने की हम कोशिश करें । हम यह नहीं कहते कि उस कमेटी की सारी सिफारिशों को सरकार ने पूरा कर दिया है या उनके लिये सारी कार्यवाही कर दी है । यह बात नहीं है, यह तो मैंने पहले ही कह दिया । इस पर हमको गौर करना है कि वह कमेटियां अपनी जगह पर ठीक काम करती हैं, तभी वह कल्याण हो सकता है। यह तो भावना की बात है कि अनुदान से कुछ काम नहीं चलने वाला है और कानून पास करने से कुछ काम नहीं चलने वाला है । वह सब तो मास एजूकेशन की बातें हैं। उसके लिये जिन भाई ने हमारे कहा था, मैं उनको यह बतला देना चाहता हूं कि जब तक हमारे में उदार भावना नहीं आती है और जब तक हम मेहतर में भी उसी परमात्मा को नहीं देखते हैं, जिसको कि हम अपने में पाते हैं, तब तक वह काम चलने वाला नहीं है । इसके लिये हमको आर्थिक विषमताओं को भूल जाना पड़ेगा । हमको यह भूलना पड़ेगा कि वह फर्स्ट क्लास अंग्रेजी बोलता है इसलिये वह बड़ा है, या वह फर्स्ट क्लास सूट पहने है, और चूंकि मेहतर अछूत है इसलिये उससे हम होली नहीं मिल सकते हैं । हमको उन भावनाओं को छोड़ना पड़ेगा । तभी कल्याण होगा । इसलिये उदार विचारों और भावनाओं की आज बड़ी आवश्यकता है । इन चन्द शब्दों के साथ में यही निवेदन करता हूं कि इस अनुदान को स्वीकृति दी जाय ।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

कैबिनेट में हमारे एक ही आदमी हैं, जैसे हमारे ९४ प्रतिनिधि आये हुये हैं, उसमें एक राज्य उपमंत्री हैं और एक कैबिनेट में हैं, तो क्या उसमें संख्या बढ़ने-बढ़ाने के प्रश्न पर . . . . . .

(व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

तो इसका क्या मतलब है ? यदि हमारे भाई ऐसे हैं जो मंत्रिमंडल में आना चाहते हैं, तो उनको पहला कदम यह उठाना चाहिये कि वह कांग्रेस पार्टी में आ जायें। आने के बाद उनके केस पर विचार किया जायगा कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथसिंह—

जो हैं, उनकी यह वकालत कर रहे हैं।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

वह अपनी खुद कर लेंगे, उसमें आपकी जरूरत नहीं है । इन चन्द शब्दों के साथ में यह निवेदन करता हूं कि इस अनुदान को स्वीकार किया जाय और कटौती के प्रस्ताव का उद्देश्य जो आलोचना और सुझाव देना था, वह तो पूरा हो गया, इसलिये इस कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लिया जाय, जिससे कि यह यूनानिमसली पास हो सके । निर्विरोध पास होने में ही हमारे हरिजन भाइयों के समर्थकों की शान है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी हुयी जातियां की मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष, १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के अन्तर्गत ३,०४,८९,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ५१ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
१८ मार्च, १९६३ ।

देवकीनन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७० पर]

सूची (१)

रिलीफ शाप्स जो प्रदेश के बाढ़ क्षेत्रों में प्रत्येक जिले में गत बाढ़ के बाद खोली गई हैं और उन पर जो व्यय हुआ है—

क्रम संख्या	नाम जिला बाढ़ क्षेत्र	दुकानें जो बाढ़ के बाद खोली गई	इन दुकानों पर जो ३१ जनवरी, सन् ६३ तक व्यय हुआ है।
			रु० न० पै०
१	बस्ती	५४	६५,४१०.२०
२	आजमगढ़	१४७	३,३८,१८४.७७
३	गोरखपुर	१९२	२,५८,२७२.७७
४	गोंडा	८	८,५८१.९६
५	बलिया	३०	४,४४,७००.२१
६	देवरिया	२००	४,१०,६५२.४३
	कुल ..	६३१	१५,२५,८०२.४४

विधान सभा दुर्लभ पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ . . . . . पर]

सूची (२)

नयी दूकानों की सूची

१—कालेशर . . . .
२—धुनही महोबधक (बन्द कर दी गई)
३—जैतपुर . . . .
४—मजूरी . . . .
५—भुसावल . . . .
६—नंदापार . . . .
७—घासनव . . . .
८—गैरट . . . .
९—हरदिया . . . .
१०—भदवा (बन्द कर दी गई) . .
११—सेमरीना . . . .
१२—बनकटवा . . . .
१३—हरखपुरा . . . .
१४—हरब्या . . . .
१५ कराही
१६—बैरिया खास
१७—सिहोरवा
१८—गोविन्दपुर
१९—बक्सुरी
२०—बीजापार
२१—बिलन्दपुर
२२—प्रधानरा
२३—गरुपुर
२४—सेंमारा
२५—मनीराम
२६—छपराहाट
२७—गोपलापुर
२८—गांव घर (गल्ला नहीं उठाया गया)।

विधायी सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७७ पर)

१—प्रति सप्ताह राष्ट्रीय ध्वज को अधीक्षक महोदय अपने साथ-साथ घुमाते हैं। आगे-आगे अधीक्षक महोदय पीछे-पीछे राष्ट्रीय ध्वज रहता है। एक उस अहाते में लगाया जाता है जिसमें सफाई अधिक रहती है। यह परम सम्मानीय ध्वज न कभी फहराया जाता है न कभी झुकाया जाता है तथा बन्दियों तथा अधिकारियों द्वारा ध्वज सम्मुख ही सही और गलत व्यवहार किया जाता है।

२—जेल विभाग के अनुसार उच्च श्रेणी बन्दियों को एक पाव आलू प्रति दिन मिलना चाहिये परन्तु यहां आध पाव ही दिया जाता है जबकि रजिस्टर में एक पाव अंकित किया जाता है।

३—प्रतिदिन जेल अधिकारियों के अतिरिक्त जिले के उच्चाधिकारियों को डाली भेजी जाती है और इन्हीं डाली में निकले पत्ते ही साधारण बन्दियों को भुजिया के रूप में मिलते हैं।

४—जेल रजिस्टर में जो गेट पर रहता है अधीक्षक महोदय के लिये एक लाइन छोड़ दी जाती है जिससे वह एक समय आते हैं व दूसरे समय नहीं आते हैं तथा एक समय भी प्रातः १० बजे के करीब ही जबकि वह खाली पड़ी पंक्ति पर सुबह ७ बजे का टाइम अंकित करते हैं ?

५—अस्पताल में बन्दियों को दूध के नाम पर पाउडर वाला पानी दिया जाता है। कई दफा दूध परीक्षण कराया गया एवं जोन के ए० एम० ओ० ने यहां तक लिखा कि दूध बिल्कुल खराब है दूध वाले को पुलिस को देना चाहिये परन्तु जब दूध स्वयं ही अधीक्षक महोदय व जेलर साहब बिना मूल्य उससे लेते हैं तो उसके विरुद्ध कार्यवाही कौन करे ?

६—बन्दियों से मिलाई हेतु आये व्यक्तियों से चन्दे के नाम पर रुपया वसूल किया जाता जिसका कहीं कोई रिकर्ड नहीं रहता एवं यह पैसा जेलर साहब व अन्य अधिकारियों द्वारा नाश्ते में उड़ा दिया जाता है।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९०पर)

जिला मुजफ्फरनगर के तहसीलवार लकड़ी और कोयले से चलाये जाने वाले भट्ठों के स्थानों की सूची।

नाम तहसील	स्थान	भट्ठों की संख्या	कोयले से चलने वाले	लकड़ी से चलने वाले
१	२	३	४	५
बुढ़ाना	फुगाना	..	१	..
	ओली	..	१	..
	तजेल्हेड़ी	..	१	..
	गढ़ी नऊबाबाद	..	१	..
	ककड़ा	..	१	..
	गोयेला	..	२	१
	पुरा	..	१	..
	एडलम	..	२	..
	पुरवलिया	..	१	..
	सिसौली	..	१	..
	अटाली	..	१	..
	बुढ़ाना	..	१	..
	राजहर	..	१	..
	कांधला	..	१	..
	खेरी सुन्दियां	..	२	१
	खतौला	..	२	१
	खेरी गनी	..	१	१
	ताजपुर	..	१	१
	खरार	..	१	१
	डंगरोड	..	१	..
	शाहदब्बार	..	२	१
	मुबारकपुर	..	१	..
			२७	२० ७
कैराना	जरवर	..	१	..
	शामली	..	६	..
	जलालाबाद	..	१	..
	लल्लू खेड़ी	..	१	..
	भाजू	..	१	..

नाम तहसील	स्थान	भट्ठों की संख्या	कोयले से चलने वाले	लकड़ी से चलन वाले
१	२	३	४	५
कैराना ..	हरन वारा ..	१	१	..
	ऊन ..	१	१	..
	कैराना ..	२	२	..
	खेरी कर्म ..	१	१	..
	ऊंचा गांव ..	१	१	..
	हींड ..	१	१	..
	लांक ..	१	१	..
	खंडरावली ..	१	..	१
	बुन्टा ..	१	..	१
	झिझाना ..	२	१	१
	गोगवान जलालपुर	१	..	१
	गढ़ी पुख्ता ..	१	१	..
	कदरगढ़ ..	१	१	..
	करोदा ..	१	१	..
	कुदाना ..	१	१	..
	कंडेला ..	१	१	..
	थाना भावन ..	१	१	..
	दुन्दुखेड़ा ..	१	१	..
	सिलावर ..	१	१	..
	भूरा ..	१	१	..
		३२	२८	८
जानसठ	खतौली ..	६	५	१
	भूकेखेड़ी .	१	१	..
	भोमनावली ..	१	१	..
	भोपा ..	१	१	..
	नगला कबीर ..	१	१	..
	तलरा ..	१	१	..
	ककराली ..	१	१	..
	गठेरी .	१	१	..
	मीरापुर ..	१	१	..
	मोरना ..	१	१	..
..	रहमतपुर ..	१	१	..
		१६	१५	१

नाम तहसील	स्थान	भट्ठों की संख्या	कोयले से चलने वाले	लकड़ी से चलने वाले
१	२	३	४	५
मुजफ्फरनगर ..	मुजफ्फरनगर ..	१६	१५	१
	कुतबा ..	१	१	..
	तिबी ..	१	१	..
	बरला ..	१	१	..
	ढिन्ढावली ..	१	१	..
	बहेरी ..	१	१	.
	कुटेसरा ..	२	१	१
	नरेना ..	१	..	१
	पुरकाजी ..	२	२	१
	खरथावल ..	१	..	१
	बरवाला ..	१	१	..
	बहेलना ..	१	१	..
	बिरालसी ..	१	१	..
	बढ़ेरी ..	१	१	..
		३१	२६	५
	कुल जोड़ ..	१०६	८९	१७

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९३पर)

जिला इटावा तथा फर्रुखाबाद में प्रचलित ईंटों की कीमतों की तालिका

कीमत प्रति हजार

जिले का नाम	रेल द्वारा लाये गये कोयले से पकाई गई ईंटों की कीमत			ट्रक द्वारा लाये गये कोयले से पकाई गई ईंटों की कीमत			बरोनी द्वारा रेल तथा सड़क से लाये गये कोयले से पकाई हुई ईंटों की कीमत		
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय-श्रेणी
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	रु० *	रु० *	रु० *	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
इटावा	..	३०	२६.५०	१६.५०	३४	३०.७५	२२	..	..	..
फर्रुखाबाद	..	३० *	२४ *	१६ *	४०	३४	२६	३७	३०	२१

*टिप्पणी—जो भट्ठे रेलवे स्टेशन से दूर होते हैं उन भट्ठों में पकी हुई ईंटों के दाम कुछ अधिक होते हैं।

कीमतों में अन्तर का कारण—(१) रेल से लाये हुये कोयले से पकाई हुई ईंटों के दाम दोनों जिले में लगभग बराबर हैं लेकिन जिला इटावा में द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी की ईंटों के दाम जिला फर्रुखाबाद से कुछ ज्यादा हैं। उस अन्तर का कारण यह है कि इटावा में ईंटों के निर्माण की कीमतें फर्रुखाबाद से कुछ ज्यादा हैं।

(२) ट्रक से लाये हुये कोयले द्वारा बनाई हुई ईंटों की कीमत जिला फर्रुखाबाद में जिला इटावा से ज्यादा है। इस का कारण यह है कि फर्रुखाबाद तक का ट्रक का भाड़ा जिला इटावा की अपेक्षाकृत ज्यादा है।

अवधेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९६ पर)

बस्ती जिले में सीमेंट के स्टाकिस्टों तथा उनको जनवरी, १९६२ से १५ फरवरी, १९६३ तक दिये गये सीमेंट के वैगनों की सूची

क्रम-संख्या	सीमेंट स्टाकिस्ट का नाम	तहसील	जनवरी, १९६२ से १५ फरवरी, १९६३ तक सीमेंट की प्राप्ति
१	२	३	४
१	मेसर्स डी० सी० एफ० ..	बस्ती	..
२	सर्वश्री एम० एस० लखमानी ..	बस्ती	..
३	" काशी नाथ सरजू प्रसाद ..	"	..
४	" गनेश राम राम प्रसाद ..	"	२ वैगन
५	" ठाकुर लाल मदन लाल ..	"	..
६	" राम लखन राम बाबू लाल ..	"	..
७	" गनेश प्रसाद राम लोचन राम ..	"	..
८	" " " ..	"	..
९	" सत्य नरायन-गिगराज ..	"	३ वैगन
१०	" गोकुलराम रामफल ..	"	२ वैगन
११	" " " ..	"	१ वैगन
१२	" जिवधनराम प्रताप नारायन ..	"	१ वैगन
१३	" " " ..	"	..
१४	" माता प्रसाद रामदास ..	"	..
१५	" " " ..	"	१ वैगन
१६	" बनवारी लाल मुरारी लाल ..	"	१ वैगन
१७	" राधेकिशुन विमल कुमार ..	"	..
१८	" त्रिपाठी ब्रदर्स ..	"	..
१९	" छोटे लाल रामासरे ..	"	..
२०	" चतुर राम रामासरे राम ..	खलीलाबाद	२ वैगन
२१	" " " ..	"	..
२२	" " " ..	"	..
२३	" चतुर राम रामासरे राम ..	"	..
२४	" अम्बिका प्रसाद राधे श्याम ..	"	१ वैगन
२५	" नगेश्वर प्रसाद जगमोहन राम ..	"	..
२६	" मोहन राम हीरा लाल ..	"	१ वैगन
२७	" सीता राम राम लखन ..	"	..
२८	" राधेकिशुन विमल कुमार ..	"	१ वैगन
२९	" भवानी दीन दुर्गा प्रसाद ..	"	..
३०	" दुर्गादत्त मद्दी ..	"	१ वैगन
३१	" दुर्गादत्त मद्दी ..	"	..

क्रम-संख्या		सीमेंट स्टाकिस्ट का नाम		तहसील	जनवरी, १९६२ से १५ फरवरी, १९६३ तक सीमेंट की प्राप्ति
१		२		३	४
३२	,,	राम दास दसरथ प्रसाद	..	हरैया	१ वैगन
३३	,,	राम दास दसरथ प्रसाद	..	,,	..
३४	,,	गोकुल राम रामफल	..	,,	१ वैगन
३५	,,	शिवदीन राम गंगा प्रसाद	..	,,	१ वैगन
३६	,,	मदन लाल बनवारी लाल	..	,,	..
३७	,,	राम देव	..	हरैया	२ वैगन
३८	,,	महादेव प्रसाद छोटे लाल	..	,,	..
३९	,,	आत्मा राम रामदास	..	बांसी	..
३९-अ	,,	चतुर राम राम आसरे राम	..	डुमरियागंज	..
४०	,,	सुखई राम बजरंगी लाल	..	,,	१ वैगन
४०-अ	,,	चिमन लाल बाबूलाल	..	,,	..
४१	,,	चिमन लाल बाबूलाल	..	नौगढ़	..
४२	,,	गुर प्रसाद ऐण्ड ब्रदर्स	..	डुमरियागंज	..
४३	,,	बंशीधर पीरामल	..		१ वैगन
४४	,,	महाबीर प्रसाद राधेश्याम	..	,,	२ वैगन
४५	,,	श्यामसुन्दर पोद्दार	..	,,	..
४६	,,	,, ,,	..	,,	..
४७	,,	,, ,,	..	,,	..
४८	,,	त्रिपाठी ब्रदर्स	..	,,	..
४९	,,	विन्ध्याचल प्रसाद	..	,,	१ वैगन
५०	,,	,, ,,	..	,,	..
५१	,,	बनारसी लाल खेतान	..	,,	१ वैगन
५२	,,	मेसर्स बनारसी लाल खेतान	..	नौगढ़	..
५३	,,	सीताराक परसरामका	..	,,	..
५४	,,	,,	..	,,	..
५५	,,	पुरषोत्तम दास बालमुकुन्द	..	,,	१ वैगन
५६	,,	आत्मा राम रामदास	..	,,	१ वैगन
५७	,,	बृजमोहन देवी प्रसाद	..	,,	..
५८	,,	रामकुमार किशन लाल	..	,,	१ वैगन
५९	,,	बंशीधर दुर्गादत्त	..	,,	१ वैगन
६०	,,	सत्यनारायन रागटा	..	,,	..

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३५७ एल० ए०—१९६३—(प्रो०)—८५०